राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड
जयपुर

43 वाँ
वार्षिक प्रतिवेदन
2024–2025

अनुक्रमणिका

2. निदेशक मण्डल
3. निदेशक मण्डल की रिपोर्ट
21. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी
22. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
36. तुलन पत्र
37. लाभ और हानि विवरण
38. अनुसूची

निदेशक मण्डल

अध्यक्ष एवं निदेशक	:	श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार
प्रबन्ध निदेशक	:	श्री बृजेश दीक्षित
निदेशक	:	श्री प्रेम चन्द्र मोर्य श्रीमती अंजू गोयल श्री दिनेश कुमार पहाड़िया
लेखा परीक्षक	:	मैसर्स जी. के. मित्तल एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार जयपुर (राजस्थान)
बैंकर	:	पंजाब नेशनल बैंक एल.सी. शाखा, एम.आई. रोड़ जयपुर
पंजीकृत कार्यालय	:	2, कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र सिरसी रोड़, जयपुर – 302034

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर 43वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। वित्त वर्ष 2024–25 में, कंपनी ने 157.48 करोड़ रुपये का राजस्व और 12.24 करोड़ रुपये का कर–पूर्व घाटा दर्ज किया।

कंपनी ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान करके उन्हें गुणवत्तापूर्ण उत्पादों में परिवर्तित करके और विश्वसनीय बिक्री–पश्चात सेवाएं प्रदान करके संपूर्ण ग्राहक संतुष्टि के लिए प्रतिबद्ध है। रील सोलर फोटो वोल्टेइक, दूध परीक्षण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है और दूध सहकारी और डेयरी उद्योग क्षेत्र की गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं को ऑन/एटी लाइन दूध विश्लेषण और स्वचालन समाधान और ई–गवर्नेंस, डेयरी वर्टिकल, लघु व्यवसाय और सरकारी क्षेत्रों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार अनुप्रयोगों के माध्यम से पूरा करता है।

कंपनी ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, नेशनल सोलर मिशन, पेयजल मिशन, खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय दोगुनी करने और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान देने के लिए अपने व्यावसायिक कार्यों को समन्वित किया है। रील ने सुरक्षा एवं निगरानी, डिजिटल इंडिया, ऑटोमेशन, ई–गवर्नेंस, पेपरलेस ऑफिस, औद्योगिक आईओटी और क्लॉउड आदि के माध्यम से कंपनी के डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रयास किया है।

वित्तीय निष्पादन

कंपनी की वित्तीय विशेषताएं नीचे दी गई हैं।

(लाख रू. में)

क्र.सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1.	कारोबार एवं अन्य आय	**15960**	18922
2.	सामग्री लागत	**8866**	10289
3.	श्रम लागत	**3284**	3257
4.	अन्य राजस्व व्यय	**4809**	4665
5.	सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	**(999)**	711
6.	कर पूर्व लाभ/(हानि)(पीबीटी)	**(1224)**	437
7.	निवल मूल्य	**5657**	6561

कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति

आपकी कंपनी शीघ्र उत्पाद वितरण और बिक्री के बाद सहायता सुनिश्चित करके अपने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से डेयरी और सोलर उद्योग में सबसे प्रमुख स्थान रखती है।

डेयरी उद्योगों के उत्थान हेतु कंपनी के रणनीतिक और गहन दृष्टिकोण ने कंपनी के उत्पादों की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित क्रय आदेश प्राप्त करके अपनी पहचान बनाई है। डेयरी क्षेत्र में, वर्ष के दौरान, कंपनी को देश भर की विभिन्न दुग्ध सहकारी समितियों से एएमसीयू, एडीपीएमसीयू, ईएमटी और मिल्क एनालाइजर के बड़े ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। कंपनी के डेयरी समाधान दुग्ध समितियों को आत्मविश्वास से काम करने और अत्यधिक पारदर्शिता एवं दक्षता के साथ काम करने में मदद कर रहे हैं। ग्राहकों के विश्वास के कारण, कंपनी अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार परिदृश्य के बावजूद अच्छे ऑर्डर प्राप्त करने में सक्षम है।

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (JZDUSSL) से 894 बल्क मिल्क कूलर्स (बीएमसी) में लगभग 8 मेगावाट के एसपीवी पावर प्लांट स्थापित करने के लिए लगभग 37.00 करोड़ रुपये का प्रतिष्ठित ऑर्डर प्राप्त हुआ, जिसका उद्देश्य डेयरी संचालन को और अधिक आत्मनिर्भर बनाना है।

अक्षय ऊर्जा विभाग में, कंपनी ने विभिन्न सीपीएसई और विभागों जैसे पीएफसी, पीईएसएल, वन विभाग, वाटर शेड, पीएचईडी, गेल के लिए परियोजनाएं निष्पादित की हैं।

रील ने गुयाना ऊर्जा एजेंसी से एक प्रतिष्ठित चरण–2 निर्यात परियोजना प्राप्त की और उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। इस परियोजना के अंतर्गत गुयाना सहकारी गणराज्य के विभिन्न सुदूरवर्ती समुदायों को 6,530 एसपीवी होम एनर्जी सिस्टम्स और 700 सोलर चार्ज कंट्रोलर्स की आपूर्ति और वितरण किया जाना था।

प्रकाश व्यवस्था जैसी बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई यह परियोजना, नामांकन के आधार पर दिया गया रिपीट ऑर्डर था, जो रील की क्षमताओं में एजेंसी के निरंतर विश्वास को दर्शाता है।

कंपनी ने JAKEDA के एक आदेश के तहत, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभिन्न सरकारी भवनों में कुल 2.97 मेगावाट क्षमता के ग्रिड–कनेक्टेड एसपीवी पावर प्लांट का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया। इसके अलावा, रील ने JAKEDA के एक आदेश के तहत, पूरे क्षेत्र में रणनीतिक स्थानों पर कुल 1,183 एसपीवी एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम स्थापित किए।

कंपनी को राजस्थान सरकार के राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (RCSE) से 291 पीएम श्री सरकारी स्कूलों में 1,515 किलोवाट पावर की संचयी क्षमता वाले एसपीवी पावर प्लांट लगाने की परियोजना प्राप्त हुई और उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। इसमें 1,355 किलोवाट पावर के ऑफ–ग्रिड एसपीवी पावर प्लांट (271 स्कूलों में प्रत्येक 5 किलोवाट पावर) और 160 किलोवाट पावर के ऑन–ग्रिड एसपीवी पावर प्लांट (20 स्कूलों में प्रत्येक 8 किलोवाट पावर) शामिल हैं।

कंपनी को हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (एचएएम) योजना के तहत जोधपुर, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में विभिन्न राज्य सरकार भवनों/सरकारी उपक्रम भवनों की छतों पर 40 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड एसपीवी पावर प्लांट के डिजाइन, आपूर्ति, पहचान, स्थापना और 25 साल की सीएमसी अवधि के साथ कमीशनिंग के लिए RRECL, जयपुर से 259 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य का एलओए प्राप्त हुआ है।

कंपनी को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) से एक प्रतिष्ठित परियोजना मिली है, जिसके अंतर्गत सुरक्षित परीक्षा समाधान हेतु फेस/आइरिस/फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स, लाइव सीसीटीवी निगरानी, वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी और फ्रिस्किंग सेवाओं के माध्यम से प्रतिरूपण नियंत्रण शामिल है। इसके अंतर्गत राजस्थान राज्य भर में उनके द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

रील ने अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें रील, जयपुर परिसर में एक अत्याधुनिक रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (आरपीटीओ) केंद्र भी शामिल है, जो ड्रोन पायलट प्रशिक्षुओं को उद्योग का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगा। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण में उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा करना है, जिससे प्रमाणित ड्रोन पायलटों की कमी को पूरा किया जा सके।

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के लिए कोर बैंकिंग समाधान की चल रही परियोजना में, राजस्थान राज्य भर में 494 शाखाओं में एटीएसध्एएमसी और हेल्प डेस्क सेवाएं प्रदान करने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए आदेश का नवीनीकरण किया गया है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 4 करोड़ रुपये का व्यवसाय मूल्य उत्पन्न होगा।

कंपनी को उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक से परिसर में क्लाउड स्टोरेज सुविधा और एचसीआई सर्वर सेटअप की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए एक आदेश प्राप्त हुआ है। इस परियोजना में एचसीआई सर्वर, फायरवॉल और गीगाबिट स्विच शामिल हैं, जो एक सुरक्षित और स्केलेबल आईटी अवसंरचना के माध्यम से न्यायालय के डिजिटलीकरण, कागज रहित पहल और ई–कोर्ट्स परियोजना का समर्थन करते हैं।

कंपनी को राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (RSFCSC) से राजस्थान भर में लगभग 9,895 उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट–ऑफ–सेल (PoS) मशीनों के उन्नयन हेतु एक कार्य आदेश प्राप्त हुआ है। इस परियोजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत विश्वसनीयता, परिचालन दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए मौजूदा पीओएस उपकरणों को बेहतर बनाना शामिल है। इस पहल का उद्देश्य अंतिम छोर तक निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए एक अधिक मजबूत और उपयोगकर्ता–अनुकूल पीओएस अवसंरचना प्रदान करना है।

राजस्थान राज्य की 4052 गौशालाओं के लिए सहायता प्रबंधन हेतु वेब सर्वर प्रबंधन, डेटाबेस प्रबंधन और अनुप्रयोग रखरखाव के लिए गोपालन निदेशालय हेतु एकीकृत ऑनलाइन वेब आधारित अनुप्रयोग हेतु वार्षिक तकनीकी सहायता (एटीएस) सफलतापूर्वक पूरी की गई।

आपकी कंपनी अपने शक्तिशाली ब्रांड, गुणवत्तापूर्ण निर्माण प्रक्रिया, उत्कृष्ट बिक्री–पश्चात–सेवा और ग्राहक संबंधों के संदर्भ में आंतरिक ताकत के आधार पर दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ व्यवसाय बनाने के अपने कार्य को जारी रखे हुए है। यह बेहतर दक्षता और लागत में कमी लाने के लिए परिचालन को तर्कसंगत और सुव्यवस्थित करने को उच्च प्राथमिकता देती है।

लाभांश

चूंकि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए घाटा दर्ज किया है, इसलिए मौजूदा आर्थिक स्थिति और विकास हेतु संसाधनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कंपनी के संसाधनों के संरक्षण हेतु, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी भी लाभांश की अनुशंसा नहीं करने का प्रस्ताव है।

सामान्य संचय से स्थानांतरण

वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के सामान्य संचय से 9.00 करोड़ रुपये प्रतिधारित आय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

क्रेडिट रेटिंग

कंपनी ने CARE से अपनी क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की है। इसकी दीर्घकालिक बैंक सुविधाओं के लिए CARE द्वारा इसे 'CARE BB+; स्थिर' रेटिंग दी गई है। इसी प्रकार, अपनी अल्पकालिक बैंक सुविधाओं के लिए कंपनी को CARE द्वारा 'CARE A4+' रेटिंग दी गई है।

यह रेटिंग लंबे ट्रैक रिकॉर्ड और विविध उत्पाद पोर्टफोलियो के साथ स्थापित परिचालनों से लगातार मजबूती प्राप्त कर रही है।

निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री इंद्रजीत सिंह, आईएएस, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) को 23.09.2024 से अध्यक्ष एवं निदेशक नियुक्त किया गया है और श्री शिवप्रसाद नकाते, आईएएस, प्रबंध निदेशक, रीको 23.09.2024 से कंपनी के अध्यक्ष एवं निदेशक के पद से मुक्त हो गए हैं।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) की प्रबंध निदेशक श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, आईएएस को दिनांक 07.02.2025 से अध्यक्ष एवं निदेशक नियुक्त किया गया है तथा श्री इंद्रजीत सिंह, आईएएस, प्रबंध निदेशक, रीको दिनांक 07.02.2025 से कंपनी के अध्यक्ष एवं निदेशक के पद से मुक्त हो गए।

सीसीआई के सीएमडी श्री संजय बंगा को 28.04.2025 पूर्वाह्न से कंपनी के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

आईआरएसएमई के कार्यकारी निदेशक श्री बृजेश दीक्षित को 30.04.2025 की दोपहर से कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

डॉ. रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को 23.07.2024 से नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

सुश्री मुक्ता शेखर, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 23.07.2024 से कंपनी की नामित निदेशक के पद से मुक्त हो गई।

सीसीआई के सीएमडी श्री संजय बंगा, जिन्हें कंपनी के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, 30.04.2025 की दोपहर से कंपनी के प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के पद से मुक्त हो गए।

डॉ. पी.एन. शर्मा, प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) 27.04.2025 से कंपनी के प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के पद से मुक्त हो गए।

निदेशक मंडल कंपनी के अध्यक्ष एवं निदेशक श्री इंद्रजीत सिंह, निदेशक सुश्री मुक्ता शेखर और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) डॉ. पी.एन. शर्मा द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं तथा प्रदान की गई सलाह और मार्गदर्शन की गहरी सराहना करता है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

अधिनियम की धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक श्री बृजेश दीक्षित, प्रबंध निदेशक, श्री सुभाष अग्रवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी और श्री अमित कुमार जैन, कंपनी सचिव हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के अनुसार स्वतंत्रता घोषणा प्रस्तुत की है, जिसमें कहा गया है कि वे उपधारा (6) में दिए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

कॉर्पोरेट पुरस्कार/सम्मान और दूरदर्शिता

प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए, संगठन ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार जीते;

- "सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार 2024", ''ड्रोन तकनीक के माध्यम से बड़े जियोग्राफिकल सर्वे एवं मैपिंग में उत्कृष्ट योगदान'' के लिए 15वीं बार, एंपलॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान द्वारा।
- ''डिजिटल परिवर्तन'' डेयरी क्षेत्र में डिजिटलीकरण के लिए ''क्लाउड आधारित दूध खरीद समाधान (मिल्कनेट और दूध उत्पादक ऐप)'' परियोजना के लिए।
- कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2024 (3 से 5 अक्टूबर तक), इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में भाग लिया।
- कंपनी ने 09.12.2024 से 11.12.2024 तक आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में अपने उत्पादों का प्रदर्शन और कंट्री सेशन में भाग लेकर सक्रिय रूप से भाग लिया।
- कंपनी ने पटना में 06.03.2025 से 08.03.2025 तक आयोजित 51वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में भाग लिया।

गुणवत्ता और विश्वसनीयता

रील अपने उत्पादों, सेवाओं और प्रदर्शन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और सभी कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, नवाचार और टीम वर्क के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करता है। रील ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली स्थापित और अनुरक्षित की है। कंपनी ने रील मेक ईडब्ल्यूएस के निर्माण के लिए Class-I की सटीकता श्रेणी के अंतर्गत बीआईएस प्रमाणन प्राप्त किया है।

उत्पादन

कंपनी ने पिछले वर्ष 10535 की तुलना में 10550 इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एनेलाइजर और 9.01 मेगावाट के मुकाबले 2.34 मेगावाट के सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का उत्पादन किया है।

सहायता इकाइयों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास

रील अपनी नीति के तहत सहायक उद्योगों के विकास पर जोर देती है और उनकी प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए उनके साथ घनिष्ठ सहयोग बनाए रखता है, जिससे उनकी गुणवत्ता में सुधार और बड़े पैमाने पर उत्पादन में मदद मिलती है। रील, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से कच्चे माल और घटकों की अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है।

रील, समय–समय पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा आयोजित विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भाग लेकर नियमित रूप से सहायक उद्योगों का विकास कर रहा है।

वार्षिक रिर्टन

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के साथ पठित धारा 134 (3) (ए) और कंपनी (प्रबंधन और सुशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार वार्षिक रिटर्न इस रिपोर्ट में अनुलग्नक–अ के रूप में शामिल किया गया है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)अधिनियम, 2013 के तहत खुलासा

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरुप कंपनी ने एक

लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीति लागू की है। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संबंधित प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाए गई लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों का सारांश निम्नलिखित हैः

1. प्राप्त शिकायतों की संख्याः शून्य
2. निपटाई गई शिकायतों की संख्याः शून्य

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (3)(एम) के अनुसार, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ विवरण निम्नानुसार हैं:

अ. सतत विकास और ऊर्जा संरक्षण

रील में, ऊर्जा संरक्षण हमारी सतत उपभोग रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो केवल लागत में कमी तक ही फैला हुआ है। यह देश के ऊर्जा भंडार को संरक्षित करने और हमारे परिचालनों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। विभिन्न उपायों को लागू करके, हमारा लक्ष्य अपनी ऊर्जा को अनुकूलित करना और सतत भविष्य में अधिक योगदान देना है।

कंपनी ऊर्जा की बर्बादी को कम करने और खपत को अनुकूलित करने के लिए नवीन उपाय अपनाकर ऊर्जा संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाई है जिसकी प्रक्रियाएं पर्यावरण अनुकूल हैं। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण, कंपनी के हितों को उसके हितधारकों के हितों के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से, संगठन की संस्कृति में स्थिरता अंतर्निहित है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रियाएं अनुमेय सीमा के भीतर संचालित हो रही हैं, प्रासंगिक कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरणीय मापदंडों का आवधिक परीक्षण किया जाता है।

परियोजनाएं और प्रभाव

बिजली और ईंधन इनपुट की उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए विनिर्माण इकाइयों में ऊर्जा संरक्षण पहलों की निगरानी की जाती है। वर्ष के दौरान किए गए कुछ ऊर्जा संरक्षण उपायों में शामिल हैं :

- ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करना।
- हमारे परिसर में स्थापित कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्रों से बिजली उत्पादन।
- ऊर्जा के उपयोग को कम करने की क्षमता की पहचान, रिसाव को रोकना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग, ऊर्जा के अपव्ययी उपयोग की पहचान करना और उन्हें रोकना तथा ऊर्जा मापन प्रणाली का उपयोग।

ब. प्रौद्योगिकी अवशोषण और अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास (आरएडंडी) भविष्य में विकास हासिल करने और बाजार में प्रासंगिक उत्पाद बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह संगठनात्मक विकास और निरंतर बाजार हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कंपनी नए ज्ञान का सृजन करती है जिसका उपयोग वह नई तकनीक, उत्पाद, सेवाएं या प्रणालियां बनाने में कर सकती है जिनका वह उपयोग या बिक्री करेगी। आरएंडडी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य नए और बेहतर उत्पादों का डिजाइन और विकास करना, व्यावसायिक दक्षता बढ़ाना, लागत कम करना और बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहना है।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां बाजार की आवश्यकताओं को तकनीकी विशिष्टताओं में परिवर्तित करने के व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करती हैं, जिसमें नया प्रोटोटाइप विकसित करने, प्रोटोटाइप का फील्ड ट्रायल, नियामक विपणन और उत्पाद विकास गतिविधियां जैसे दस्तावेजीकरण और उत्पाद का अंतिम लांच होते हैं। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में मौजूदा उत्पादों और प्रक्रियाओं में सुधार भी शामिल है। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां कंपनी के लाभ को अधिकतम करने के लिए पेटेंट और नोन–डिस्कलोसर समझौतों के स्वामित्व अधिकारों की भी रक्षा करती हैं। कंपनी का अनुसंधान एवं विकास, संगठन के विभिन्न विभागों को उत्पादकता में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है।

कंपनी का अनुसंधान एवं विकास विभाग भारत सरकार के विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के साथ पंजीकृत है। कंपनी का अनुसंधान एवं विकास, मुख्य रूप से कृषि डेयरी और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है ताकि प्रक्रिया नवाचार के माध्यम से ग्रामीण जनता को समाधान प्रदान किया जा सके।

अनुसंधान एवं विकास द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां में शामिल हैं;

अ) लागत–प्रभावी एडवांस्ड डेटा प्रोसेसर इकाई का डिजाइन और विकास

बीओएम लागत को कम करने और बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, अनुसंधान एवं विकास ने लागत प्रभावी एडीपीयू डिजाइन और विकास का कार्यभार संभाला है। एडीपीयू पीसीबी के नए डिजाइन में यूएसबी कीबोर्ड, आंतरिक आरटीसी और एकीकृत यूएसबी फ्लैश ड्राइव जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं।

शुरुआत में, अलग हार्डवेयर FTDI PCB का उपयोग करके ADPU में USB सुविधा सक्षम की गई थी। लागत कम करने के लिए, माइक्रोकंट्रोलर की अंतर्निहित USB हार्डवेयर क्षमताओं का उपयोग करके, नए PCB को डिजाइन करके

और सॉफ्टवेयर एकीकरण के लिए कंपाइलर को बदलकर, USB सुविधा को उसी ADPU PCB में एकीकृत किया गया है।

उत्पाद उन्नयन

1. लैक्टोस्कैन के लिए पीसीबी परीक्षण जिग
2. NICU के लिए यूएसबी आधारित बीएलई मॉड्यूल डिजाइन और विकास
3. वाई–फाई के साथ किफायती 4जी मॉडेम
4. एडीपीओ के लिए वैकल्पिक बीएलई डिजाइन और विकास
5. एमएफएम के साथ बीएमसी डेटा लॉगर

इंजीनियरिंग और दस्तावेजीकरण

उत्पाद दस्तावेजीकरण निर्माण और संचालन में एकरुपता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुसंधान एवं विकास केंद्र दस्तावेज संग्रह का प्रबंधन करता है और आवश्यकतानुसार विभिन्न विभागों को सहायता प्रदान करता है। उपरोक्त के अलावा, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां केंद्र द्वारा री–इंजीनियरिंग, वैकल्पिक स्रोतों के विकास के माध्यम से लागत अनुकूलन, कंपनी की बौद्धिक संपदा की सुरक्षा आदि गतिविधियां भी की जाती है। आरएंडडी डेवलपर्स के संदर्भ के लिए तकनीकी पुस्तकों, पत्रिकाओं, मानकों आदि की एक लाइब्रेरी भी संधारित कर रहा है।

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास (आर.एण्ड.डी) पर व्यय निम्नानुसार है:

	(लाख रुपये में)
(अ) पूंजीगत	--
(ब) आयगत	228.46
(स) कुल	228.46

(द) कुल कारोबार के प्रतिशत के रुप में अनुसंधान एवं विकास व्यय 1.43 % रहा।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष के दौरान कंपनी ने विदेशी मुद्रा में 1638.00 लाख रुपये की आय अर्जित की है। कंपनी ने 444.45 लाख रुपये की कुल विदेशी मुद्रा का भी उपयोग किया है।

कॉर्पोरेट सुशासन पर रिपोर्ट
वर्ष 2024-25 के लिये

सुशासन कंपनी के बोर्ड और प्रबंधन की संस्कृति और मूल्यों को दर्शाता है। वर्षों से, रील ने कानूनी, नैतिक और स्थायी आधार पर हितधारकों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए प्रथाओं, मानकों और संसाधनों को बढ़ावा दिया है, साथ ही ग्राहकों, विक्रेताओं, निवेशकों, नियामकों, कर्मचारियों और समग्र समाज सहित सभी हितधारकों के लाभ के लिए निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है। कंपनी का मानना है कि किसी कंपनी में सुशासन उसके हितधारकों के विश्वास, भरोसा और उत्साह को बढ़ाता है। बाहरी हितधारकों के साथ व्यवहार करते समय, कंपनी समय पर सूचनाओं के आदान–प्रदान के साथ पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने में विश्वास करती है।

हमारा बोर्ड कॉर्पोरेट सुशासन के उच्च मानकों को बनाए रखने के महत्व को समझता है, जो हमारे हितधारकों को निरंतर वित्तीय प्रदर्शन और मूल्य प्रदान करने की हमारी क्षमता का आधार है। उपरोक्त के अनुरूप, कंपनी निरंतर उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत है और सर्वोत्तम सुशासन और प्रकटीकरण प्रथाओं को अपनाकर दीर्घकालिक हितधारक मूल्य में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करती है।

कंपनी का सुशासन ढांचा निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है :

- ❖ कंपनी और उसके हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हितधारकों के प्रति निष्पक्षता और न्यायसंगत व्यवहार;
- ❖ कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रदर्शन, स्वामित्व और सुशासन सहित कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों का समय पर और सटीक प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जाता है;
- ❖ कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण, विकास और एकीकरण पर निरंतर एवं सतत ध्यान केंद्रित करना;
- ❖ खुलासे और पारदर्शिता का उच्च स्तर;
- ❖ लोगों और पर्यावरण के प्रति सहानुभूति के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति;
- ❖ कंपनी जिन सभी क्षेत्रों में काम करती है, उनमें पूर्ण कानूनी और विनियामक अनुपालन;
- ❖ सभी हितधारकों – शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, समाज और आंतरिक नियंत्रण के लिए मजबूत प्रणालियों और प्रक्रियाओं के प्रति दायित्वों की पहचान।

कंपनी इस प्रकार व्यवसाय संचालित करने में विश्वास करती है जो कॉर्पोरेट सुशासन प्रक्रियाओं और आचार संहिता का अनुपालन करता हो, प्रत्येक मुख्य मूल्यों का उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा रील को शेयरधारकों को दीर्घकालिक लाभ, ग्राहकों को अनुकूल परिणाम, कर्मचारियों को आकर्षक अवसर प्रदान करने तथा आपूर्तिकर्ताओं को समाज की प्रगति और समृद्धि में कंपनी के साथ साझेदारी करने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित करता हो।

आपकी कंपनी का बोर्ड लगातार कंपनी के विजन और मिशन से अनुरुप ध्येय और लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करता हैदृ "डेयरी इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यावसायिक क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अग्रणीय बनना, अक्षय ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के संबंधित क्षेत्रों में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ अग्रणी बनना" और ''ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास करना और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के विकासधविपणन तथा विश्वसनीय बिक्री–पश्चात सेवा के माध्यम से उनकी सेवा करना''।

बोर्ड एवं समितियां :

अ) निदेशक मंडल :

कंपनी भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार की एक कंपनी है। निदेशक मंडल में कार्यकारी (कार्यात्मक) और गैर–कार्यकारी निदेशकों का संयोजन होता है। 31 मार्च, 2025 तक बोर्ड में 5 निदेशक थे, जिनमें एक प्रबन्ध निदेशक और चार गैर–कार्यकारी निदेशक (एक स्वतंत्र निदेशक सहित) शामिल थे। वर्ष के दौरान, चार बोर्ड बैठकें क्रमशः 16 जुलाई, 2024, 6 सितंबर, 2024, 30 दिसंबर, 2024 और 25 मार्च, 2025 को आयोजित की गईं।

31.03.2025 तक बोर्ड की सरंचना का विवरण, बोर्ड बैठक और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति रिकॉर्ड, साथ ही अन्य में कंपनियों में उनके द्वारा धारित निदेशक पदों, समिति अध्यक्ष पदों और सदस्यता की संख्या निम्नानुसार हैः

निदेशक का नाम	श्रेणी	कितनी बैठक में भाग लिया	क्या 30.10.2024 को अंतिम एजीएम में भाग लिया	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में निदेशकों की संख्या	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में समितियों पदों की संख्या	
					सदस्य	अध्यक्ष
श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार	अध्यक्ष (पार्ट टाईम) (07.02.2025 से)	1	लागू नहीं	6	--	--
श्री इंद्रजीत सिंह	अध्यक्ष (पार्ट टाईम) (07.02.2025 से)	1	उपस्थित	लागू नहीं	--	--
श्री शिवप्रसाद नकाते	अध्यक्ष (पार्ट टाईम) (23.09.2024 तक)	1	लागू नहीं	लागू नहीं	--	--
श्री राकेश चौपड़ा	प्रबन्ध निदेशक (30.07.2024 तक)	4	लागू नहीं	शून्य	--	--
श्री पी. एन. शर्मा	प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (01.08.2024 से)	2	उपस्थित	शून्य	--	--
डॉ. रेणुका मिश्रा	निदेशक (पार्ट टाईम) (23.07.2024 से)	2	उपस्थित नहीं	9	--	--
सुश्री मुक्ता शेखर	निदेशक (पार्ट टाईम) (23.07.2024 तक)	0	लागू नहीं	लागू नहीं	--	--
श्रीमती अंजू गोयल	निदेशक (पार्ट टाईम) (20.03.2024 तक)	4	उपस्थित	3	--	--
श्री दिनेश कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक (07.10.2024 तक)	2	लागू नहीं	शून्य	--	--
श्री दिनेश कुमार पहाड़िया	स्वतंत्र निदेशक (07.10.2024 से)	2	उपस्थित नहीं	1	--	--

ब) बोर्ड प्रक्रिया :

एक सुशासन पद्धति के रूप में और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देश पत्र के अनुसार, बोर्ड आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित होने वाली बोर्ड बैठकों के एक संभावित कार्यक्रम को अग्रिम रूप से अनुमोदित करता है, जिसमें लागू कानूनों के तहत न्यूनतम बैठकों की संख्या और दो लगातार बैठकों के बीच अधिकतम स्वीकार्य समय अंतराल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। बोर्ड का एजेंडा निदेशकों को पहले ही भेज दिया जाता है। बोर्ड एजेंडा में एक कार्रवाई रिपोर्ट शामिल होती है जिसमें बोर्ड बैठकों से उत्पन्न कार्रवाई और उनकी अद्यतन स्थिति का विवरण होता है। व्यावसायिक रणनीतियोंध्नीतियों पर चर्चा और निर्णय लेने तथा कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए बोर्ड नियमित अंतराल पर बैठकें करता है। निदेशकों को बैठकों में सुविधाजनक रूप से भाग लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रक्रिया के अनुसार वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

स) बोर्ड की जिम्मेदारियां :

बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय कंपनी के प्रबंधन को नेतृत्व, रणनीतिक मार्गदर्शन, उद्देश्य और एक स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रबंधन नैतिकता, पारदर्शिता और खुलासे का पालन करे, जिससे अंततः कंपनी के उद्देश्यों और सतत लाभदायक विकास को प्राप्त करने के साथ–साथ इसके सभी हितधारकों के दीर्घकालिक लक्ष्यों की पूर्ति हो सके।

द) लेखा परीक्षा समिति :

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को कंपनी के आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है। इसकी संरचना, कोरम, शक्तियां, भूमिका और कार्यक्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार हैं। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें क्रमशः 15 जुलाई, 2024, 6 सितंबर, 2024, 30 दिसंबर, 2024 और 25 मार्च, 2025 को आयोजित की गईं।

निदेशक का नाम	श्रेणी	लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या
श्री डी. के. शर्मा	अध्यक्ष	2
श्री दिनेश कुमार पहाड़िया	अध्यक्ष	2
श्री राकेश चौपड़ा	प्रबन्ध निदेशक	2
डॉ. पी. एन. शर्मा	प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	3
श्रीमती अंजू गोयल	निदेशक (पार्ट टाईम)	4

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट बोर्ड स्तरीय लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का खुलासा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है;
2. कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश;
3. बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:
   i. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप–धारा 3 के खंड (सी) के अनुसार निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित मामले बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे;
   ii. लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;
   iii. लेखापरीक्षा निष्कर्षों के परिणामस्वरुप वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
4. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना;
5. लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और लेखा परीक्षा प्रक्रिया के प्रदर्शन और प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;
6. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।
7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
8. प्रबंधन के साथ मिलकर, वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

य) निदेशकों की अन्य समितियां :

बोर्ड ने निदेशकों की समितियों का गठन किया है और विशिष्ट उद्देश्यों के संबंध में उन्हें शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंपे हैं। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, सीएसआर समिति, एसडी समिति, अनुसंधान एवं विकास समिति, आचार समिति और संचालन समिति जैसी समितियों में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व है। आवश्यकता इनकी बैठकें विधिवत आयोजित की गई हैं। कंपनी की एक व्हिस्ल ब्लोअर नीति है जिसके तहत किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति में प्रवेश से वंचित नहीं किया गया है।

प्रबंधन विश्लेषण और चर्चा

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण विवरण इस रिपोर्ट के साथ सलंग्न है।

मानव संसाधन प्रबंधन

कंपनी की मानव संसाधन नीतियों और प्रक्रियाओं में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास हुआ है ताकि वे बदलते परिवेश में प्रासंगिक बनी रहें, संगठनात्मक चपलता बढ़ाएं और बदलते नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इन प्रयासों के सम्मान में, कंपनी को एंपलॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार प्रतियोगिता 2024 में उत्कृष्टता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंत में, कंपनी के स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 173 है, जिसमें भारत सरकार की नीति के अनुसार अल्पसंख्यकों का संतोषजनक प्रतिनिधित्व शामिल है।

प्रशिक्षण एवं विकास

प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम कंपनी का अभिन्न अंग हैं, जो अपने कर्मचारियों के लिए निरंतर सीखने पर जोर देते हैं। कंपनी अपने कर्मचारियों को तकनीकी और व्यवहारिक कौशल हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि वे गुणवत्ता, उत्पादकता बढ़ा सकें और अपने–अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें, जिससे वे बदलती तकनीकों और कौशल के साथ तालमेल बनाए रख सकें। वित्त वर्ष 2024–25 में, कंपनी ने अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और श्रमिकों के लिए कुल 80 मानव–दिवसों का प्रशिक्षण आयोजित किया।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी ने आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर कर्मचारियों के लिए विविध प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें निविदा प्रक्रिया में अनुबंध प्रबंधनध्सुरक्षा उपायों, सार्वजनिक खरीद और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए आदेश 2018 और सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया के संदर्भ में) आदेश 2017 के अनुसार सार्वजनिक खरीद नीति पर विशेष ध्यान देते हुए अनुबंध, निवारक सतर्कता, साइबर स्वच्छता और यौन उत्पीड़न की रोकथाम तथा लैंगिक संवेदनशीलता पर जागरूकता सत्र, राजभाषा हिंदी, नैतिकता और शासन, फ्यूचर स्किल प्राइम कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नत संवर्धित एवं आभासी वास्तविकता, संगठन की प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए प्रशिक्षण पर कार्यशालाएं शामिल थीं।

हिंदी भाषा का प्रचार–प्रसार

कंपनी राजभाषा नीति के प्रचार–प्रसार और सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रगति की निगरानी और समीक्षा की जाती है। राजभाषा में दक्षता बढ़ाने के लिए, कंपनी ने हिंदी टाइपिंग पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया है। पखवाड़े भर चलने वाले ''हिंदी पखवाड़ा'' के दौरान गैर–हिंदी भाषी क्षेत्रों के कर्मचारियों सहित हिंदी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं, पुरस्कारों और प्रोत्साहनों की भी घोषणा की गई। वर्ष 2024–25 के दौरान, नराकास (उपक्रम), जयपुर द्वारा आयोजित गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी का मानना है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) देश के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसलिए, इसने सीएसआर को अपने लोकाचार और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया है। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 की आवश्यकताओं के अनुसार सीएसआर फंड की अनुपलब्धता के कारण, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी ने कोई भी सीएसआर परियोजना शुरू नहीं की है। कंपनी ने चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया है और खेल गतिविधियों के लिए मैदान

विकसित किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार और समग्र विकास हुआ है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है, जो 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी हुआ। आरटीआई अधिनियम के लागू होने के साथ ही, कंपनी ने अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन किया है और सभी आरटीआई आवेदनों का समय सीमा के भीतर जवाब दिया है।

जमा राशि

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के दायरे में आने वाले लोगों से जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

अन्य जानकारी

निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई खुलासे या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेनदेन नहीं हुआ :

1. लाभांश, मतदान या अन्यथा के रुप में विभेदक अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों का निर्गमन ।
2. किसी भी योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर (स्वेट इक्विटी शेयर सहित) जारी करना।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

अधिनियम की धारा 134(5) के अनुसार, निदेशक मंडल अपनी सर्वोत्तम ज्ञानकारी और क्षमता के अनुसार पुष्टि करता है कि:

I. 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे करते समय, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है और साथ ही, यदि कोई महत्वपूर्ण चूक हुई हो, तो उसके संबंध में उचित स्पष्टीकरणों भी दिया गया है;

II. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रुप से लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी की हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

III. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

IV. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे 'गोइंग कन्सर्न' के आधार पर तैयार किए गए हैं;

V. निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रुप से कार्य कर रहे हैंय और

VI. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए मेसर्स जी.के. मित्तल एंड एसोसिएट्स, जयपुर को कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के खातों पर योग्य रिपोर्ट दी है। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में दिए गए विषय पर जोर दिया गया है। बिंदु (ए) (बी) के संबंध में योग्य राय के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट दिनांक 18.07.2025 के अनुलग्नक–3 स्व–व्याख्यात्मक है और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में योग्यता पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया अनुलग्नक–बी के अनुसार है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की समीक्षा की गई है। सीएजी की समीक्षा और टिप्पणियां इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

लागत लेखापरीक्षक

समय–समय पर संशोधित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148 की आवश्यकताओं के अनुसार, आपकी कंपनी को लागत रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है और तदनुसार, ऐसे खाते तैयार किए गए हैं और विभाग से संबंधित रिकॉर्ड बनाए गए हैं। कंपनी की 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर केंद्र सरकार के समक्ष दाखिल की गई थी। मेसर्स के.जी. गोयल एंड एसोसिएट्स, जयपुर वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक थे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के संदर्भ में कर्मचारियों का विवरण

कंपनी का ऐसा कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं था जिसने कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के साथ अधिनियम की धारा 197(12) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त किया हो, इसलिए सूचना को शून्य माना जाए।

प्रशंसा एवं आभार

आपके निदेशकगण, भारत सरकार, राज्य सरकारों और विभिन्न नियामक प्राधिकरणों को व्यापार सुगमता हेतु उनके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। बोर्ड भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रुप से भारी उद्योग मंत्रालय और रीको प्रबंधन से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए भी आभार व्यक्त करता है।

आपके निदेशकगण, कंपनी के ग्राहकों, व्यावसायिक सहयोगियों, वितरकों, चौनल भागीदारों, आपूर्तिकर्ताओं और बैंकरों को उनके निरंतर समर्थन और कंपनी में विश्वास के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।

आपके निदेशकगण, कंपनी के प्रति सभी स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए उनके योगदान की हार्दिक सराहना करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरित	हस्ताक्षरित
बृजेश दीक्षित	**अंजू गोयल**
प्रबन्ध निदेशक	**निदेशक**
(DIN : 1108697)	**(DIN : 10558241)**

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.09.2025

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

अ) कॉर्पोरेट अवलोकन

इलेक्ट्रॉनिक्स, अक्षय ऊर्जा और आईटी समाधानों के माध्यम से ग्रामीण भारत को आकार देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रील डेयरी उद्योग क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में दूध के गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण के लिए प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करता है, सोलर फोटो फोटोवोल्टिक, सूचना प्रौद्योगिकी और सुरक्षा निगरानी अनुप्रयोगों के माध्यम से ग्रामीण और संबंधित शहरी क्षेत्र की आवश्यकतों को पूरा करता है। कंपनी ने भू–स्थानिक ड्रोन सर्वेक्षण के क्षेत्र में विविधकरण किया है। रील के उत्पाद ग्रामीण जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण में योगदान करते हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 भविष्य की संभावनाओं, परियोजना–केंद्रित संचालन और प्रमुख क्षेत्र में व्यवसाय विविधीकरण के साथ अच्छे ऑर्डर प्राप्त करने के मामले में सकारात्मक रहा है, जिससे कड़े प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक परिदृश्य में कंपनी की प्रगति के संदर्भ में चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धि होगी।

ब) अर्थव्यवस्था समीक्षा

वैश्विक अर्थव्यवस्था और –ष्टिकोण

नवीनतम विश्व अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण में वैश्विक विकास में मंदी की रिपोर्ट दी गई है क्योंकि नकारात्मक जोखिम बढ़ रहे हैं। नीतिगत बदलाव सामने आ रहे हैं और अनिश्चितताएं नए शिखर पर पहुंच रही हैं, ऐसे में नीतियों को इस तरह से संतुलित करने की जरूरत है कि विकास–मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बना रहे, बफर्स का पुनर्निर्माण हो और मध्यम अवधि की वृद्धि को फिर से मज़बूत किया जा सके, जिससे आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के असंतुलन कम हो सकें। ऐसी नीतियां जो स्वस्थ परंपरा को बढ़ावा देती हैं, लैंगिक असमानताओं को पाटती हैं तथा प्रवासियों के कौशल को स्थानीय श्रम बाजार की मांगों के साथ संरेखित करती है, धीमी आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय दबावों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, विशेष रुप से तब जब इन्हें बुनियादी ढांचे में निवेश के साथ जोड़ा जाए।

2025 और 2026 दोनों में वैश्विक विकास दर 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो अक्टूबर 2024 के वर्ड इकॉनोमिक ऑउटलुक (WEO) के पूर्वानुमान से मोटे तौर पर अपरिवर्तित है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में वृद्धि का संशोधन अन्यत्र गिरावट के संशोधनों की भरपाई करता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन और दृष्टिकोण

भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2024–25 में मज़बूत विकास का अनुभव कर रही है, अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 6.5% है, जिससे यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है। मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, जो मई 2025 में 2.82% के निम्नतम स्तर पर पहुंच जाएगी। निर्यात, विशेष रूप से सेवाओं में, रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, जो समग्र सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण में योगदान दे रहा है।

विकास में योगदान देने वाले कारक :

- मज़बूत घरेलू माँगः मज़बूत घरेलू खपत और निवेश आर्थिक विस्तार को बढ़ावा दे रहे हैं।
- सरकारी पहलः ''मेक इन इंडिया'', ''स्टार्टअप इंडिया'' और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं जैसी सरकारी नीतियां विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही हैं।
- लचीला सेवा क्षेत्रः सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में प्रमुख योगदानकर्ता बना हुआ है।
- सामरिक उद्योगः रक्षा उत्पादन जैसे सामरिक उद्योगों पर ध्यान बढ़ रहा है।
- कृषि क्षेत्र में सुधारः वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है।

स) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली लेखांकन अभिलेखों की दक्षता, विश्वसनीयता, पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रबंधन जानकारी का समय पर संकलन सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, यह सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन, कंपनी की परिसंपत्तियों का इष्टतम उपयोग और सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जांच और संतुलन मौजूद हैं और सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली व्यवस्थित हैं, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की अनुभवी फर्म द्वारा विभिन्न विभागों की नियमित और विस्तृत आंतरिक लेखा–परीक्षण किया जाता है।

द) जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट :

अवलोकन

जोखिम सभी व्यवसायों का एक अभिन्न और अपरिहार्य घटक है। रील की जोखिम प्रबंधन योजना, व्यवसाय को सतत विकास प्रदान करने और उसके ग्राहकों, निवेशकों, कर्मचारियों और

अन्य हितधारकों के लिए मूल्य उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यद्यपि जोखिमों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, फिर भी एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन योजना यह सुनिश्चित करती है कि जोखिमों को कम किया जाए, टाला जाए, बरकरार रखा जाए या साझा किया जाए। जोखिम प्रबंधन हमारे परिचालन ढांचे में अंतर्निहित है और हमारे पास एक सुपरिभाषित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संरचना है। व्यावसायिक जोखिमों से निपटने के लिए कंपनी का दृष्टिकोण व्यापक है और इससे ऐसे जोखिमों की आवधिक समीक्षा और ऐसे जोखिमों के नियंत्रण और रिपोर्टिंग तंत्र को कम करने के लिए एक रूपरेखा शामिल है।

जोखिम प्रबंधन अमल: प्रमुख जोखिम प्रबंधन अभ्यासों में निम्नलिखित रिपोर्टिंग प्रक्रिया शामिल है।

- जोखिम की पहचान और आकलन
- जोखिम मूल्यांकन
- जोखिम रिपोर्टिंग और खुलासा
- जोखिम न्यूनीकरण और निगरानी
- रणनीति और व्यवसाय योजना के साथ एकीकरण

जोखिमों का प्रबंधन निदेशक मंडल, प्रबन्ध निदेशक और संबंधित विभागों के प्रमुख द्वारा किया जाता है।

य) विश्लेषण और समीक्षा

कंपनी अपने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से, उत्पादों की शीघ्र डिलीवरी और बिक्री के बाद सहायता सुनिश्चित करके डेयरी उद्योग में एक प्रमुख स्थान रखती है। व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के अलावा, विभाग का मुख्य ध्यान अपने सम्मानित ग्राहकों की संतुष्ट पर रहा है। विभाग गांव स्तर/गांवों में दूध संग्रह केंद्र पर सटीक और विश्वसनीय परीक्षण उपकरणों की तैनाती और पूरे देश में रणनीतिक रूप से मानव संसाधन की तैनाती के माध्यम से अपने ग्राहकों को निरंतर सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर बुकिंग हासिल की, जिसकी कुल कीमत 360.69 करोड़ रुपये थी, जो इसके इतिहास में सर्वाधिक है। यह उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से अक्षय ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में मजबूत ऑर्डर प्रवाह के कारण हुई। उल्लेखनीय रूप से, कंपनी ने नए क्षेत्रों से भी ऑर्डर प्राप्त किए, जिससे विविध क्षेत्रों में उसकी सफल शुरुआत हुई और पहले से अनछुए बाजारों में उसकी उपस्थिति का विस्तार हुआ। राजस्थान राज्य चयन बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए सुरक्षा और सहायक सेवाओं के प्रावधान ने देश भर के अन्य परीक्षा प्राधिकरणों के साथ इस मॉडल को अपनाने के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं।

भविष्य की ओर देखते हुए, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में, विशेष रूप से हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (एचएएम), पीएसयू सीएसआर पहलों और सरकारी भवनों पर अन्य रूफटॉप सौर परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त ऑर्डर और लेटर्स ऑफ अवार्ड (एलओए) भविष्य में विस्तार के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करते हैं। रील का लक्ष्य विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों में एसपीवी–आधारित रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के विकास को रणनीतिक रूप से लक्षित करना है, जिससे इस आशाजनक क्षेत्र में और अधिक विकास संभव हो सके।

मिल्कनेट और सिमकोस जैसे स्मार्ट आईटी समाधान, दूध संग्रहण को डिजिटल बनाकर और किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की तरह सीधे भुगतान की सुविधा प्रदान करके, पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित करते हुए, हमें अप्रयुक्त डेयरी बाजारों में प्रवेश करने में मदद करेंगे। इसी प्रकार, डेयरियों पर सोलर परियोजनाओं में भी अपार संभावनाएं हैं और इन्हें व्यापक रूप से दोहराया जा सकता है, जिससे डेयरियों को आत्मनिर्भर और ऊर्जा–कुशल बनने में मदद मिलेगी। हम उच्च–स्तरीय डेयरी समाधानों में अवसर तलाश रहे हैं जो डेयरी क्षेत्र में हमारी उपस्थिति को और मजबूत और विस्तारित करेंगे।

ड्रोन और हवाई निगरानी प्रणालियों में परियोजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के बाद, अब हम ड्रोन निर्माण के लिए तकनीकी साझेदारी की संभावना तलाश रहे हैं। इसके अलावा, एक रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑरगइनाजेशन (आरपीटीओ) की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है, जिससे ड्रोन क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल विकास के नए अवसर पैदा होंगे।

गुयाना ऊर्जा एजेंसी के साथ सफलतापूर्वक कार्य करने से न केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी विश्वसनीयता बढ़ी है, बल्कि भविष्य में सहयोग के नए रास्ते भी खुले हैं। यह उपलब्धि हमें उनकी उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित ऊर्जा समाधान प्रदान करने की स्थिति में लाती है और समान वैश्विक बाज़ारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है।

मजबूत ऑर्डर बुकिंग स्थिति, प्रगति पर चल रहे अनेक ऑर्डर और समझौतों, तथा लागत में कटौती के उपायों, अनुसंधान एवं विकास तथा रणनीतिक विश्लेषण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के साथ, हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और आगामी वर्ष के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

अनुलग्नक–अ

फार्म नंबर एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का सार

31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

I. सी.आई.एन	U51395RJ1981GOI002249
II. पंजीकरण दिनांक	12 जून, 1981
III. कंपनी का नाम	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड
IV. कंपनी की श्रेणी / उप–श्रेणी	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम / शेयरों द्वारा सीमित कंपनी
V. क्या कंपनी सूचीबद्ध है हां / नहीं	नहीं
VI. रजिस्ट्रार का नाम, पता और संपर्क विवरण और ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो	लागू नहीं

II. कंपनी की मुख्य व्यवसाय गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

क्र.स.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एन.आई.सी.कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1.	डेयरी दूध टेस्टिंग उपकरण	2651 - मापने, टेस्टिंग, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरणों के निर्माता	43.51%
2.	सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स सिस्टमस्	3510- विद्युत ऊर्जा, ट्रांसमीशिन और वितरण	56.49%

** राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार–सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय*

III. नियंत्रक, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.स.	कंपनी का नाम	कंपनी का पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का %	लागू सेक्शन
1.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेकअप)

(i) श्रेणी वार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या (01-04-2024 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31-03-2025 को)				वर्ष के दौरान बदलाव का %
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
अ. प्रमोटर्स									
(1) भारतीय अ) व्यक्तिगत/एचयूएफ ब) केंद्रीय सरकार स) राज्य सरकार	लागू नहीं	6247500	6247500	51%	लागू नहीं	6247500	6247500	51%	0.00
द) निगम य) बैंक/वित्तीय संस्थान र) अन्य कोई......	लागू नहीं	6002500	6002500	49%	लागू नहीं	6002500	6002500	49%	0.00
उप योग (अ) (1) :-	लागू नहीं	12250000	12250000	100%	लागू नहीं	12250000	12250000	100%	0.00
(2) विदेशी अ) एनआरई-व्यक्ति ब) अन्य व्यक्ति स) निगम द) बैंक/वित्तीय संस्थान य) अन्य कोई									
उप योग (अ) (2) :-	लागू नहीं	0	0	0.00	लागू नहीं	0	0	0.00	0.00
प्रमोटर्स की कुल शेयर होल्डिंग (अ) = (अ)(1) + (अ) (2)	लागू नहीं	12250000	12250000	100%	लागू नहीं	12250000	12250000	100%	0.00
ब. सार्वजनिक शेयर धारिता **1. संस्थान** अ) म्यूचुअल फंड्स ब) बैंक/वित्तीय संस्थान स) केंद्रीय सरकार द) राज्य सरकार य) वेंचर कैपिटल फंड र) बीमा कंपनियां व) एफआईआई ल) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड ह) अन्य (लिखें)	लागू नहीं	0	0	0.00	लागू नहीं	0	0	0.00	0.00
उप योग (ब) (1) :-	लागू नहीं	0	0	0.00	लागू नहीं	0	0	0.00	0.00

2. गैर-संस्थान अ) निकाय निगम i) भारतीय ii) प्रवासी ब) व्यक्तिगत i) 1 लाख रूपये तक के नोमिनल शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक ii) 1 लाख रूपये तक से अधिक के नोमिनल शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक स) अन्य उप योग (ब)(2) :-	लागू नहीं	0	0	0.00	लागू नहीं	0	0	0.00	0.00
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ब) = (ब)(1)+(ब)(2)	लागू नहीं	0	0	0.00	लागू नहीं	0	0	0.00	0.00
स. जीडीआर और एडीआर के लिए कक्टोडियन द्वारा धारित शेयर	**लागू नहीं**	**0**	**0**	**0.00**	**लागू नहीं**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
कुल योग (अ+ब+स)	लागू नहीं	**12250000**	**12250000**	**100%**	लागू नहीं	**12250000**	**12250000**	**100%**	**0.00**

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र.स.	**शेयरधारक का नाम**	**वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01-04-2024 को)**			**वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31-03-2025 को)**			**वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन**
		शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों में से गिरवी रखे गए/ भारित शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों में से गिरवी रखे गए/ भारित शेयरों का %**	
1.	भारत के राष्ट्रपति	6247500	51	-	6247500	51	-	-
2.	रीको	6002500	49	-	6002500	49	-	-
	कुल	**12250000**	**100**	**-**	**12250000**	**100**	**-**	**-**

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में 31 मार्च, 2025 तक परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया निर्दिष्ट करें)

नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01-04-2024 को)		दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (01-04-2024 से 31-03-2025 तक)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
भारत के राष्ट्रपति	6247500	51	31.03.2025	कोई परिवर्तन नहीं		6247500	51
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर	6002500	49	31.03.2025	कोई परिवर्तन नहीं		6002500	49

(iv) शीर्ष दस शेयरधारक के शेयरधारित पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अलावा)

	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष की शुरुआत में	कुछ नहीं			
वृद्धि/कमी (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी, आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में दिनांक वार वृद्धि/कमी				
वर्ष के अंत में (या यदि वर्ष के दौरान वियोजित होने पर वियोजित होने की तिथि से)				

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

प्रत्येक निदेशकों के लिए और केएमपी	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के प्रारंभ में	कुछ नहीं			
वर्ष के दौरान शेयरधारिता में दिनांक वार वृद्धि/कमी का कारण निर्दिष्ट करें (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी, आदि)				
वर्ष के अंत में				

V. ऋणग्रस्सता

बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्सता

(राशि लाखों में)

विवरण	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	गैर-प्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्सता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्सता				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) ब्याज उपार्जित लेकिन बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्सता में बदलाव				
• वृद्धि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
• कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्सता				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) ब्याज उपार्जित लेकिन बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

अ. प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/ या प्रबंधक को पारिश्रमिकः

(राशि लाखों में)

क्र.स.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबन्ध निदेशक का नाम	
		श्री राकेश चौपड़ा (31.07.2024 तक)	**डॉ. पी. एन. शर्मा (01.08.2024 से)**
1.	सकल वेतन (अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ब) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य (स) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	 41.34 - -	 25.73 - -
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-
3.	स्वेट इक्विटी	-	-
4.	कमीशन – लाभ के % के रुप में – अन्य, निर्दिष्ट करें	- -	- -
5.	अन्य जैसे पीएफ, पेंशन	1.27	2.23
	कुल (अ)	42.61	27.96

ब. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक:

(राशि लाखों में)

क्र.स.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम
		श्री डी. के. शर्मा
1.	स्वतंत्र निदेशक ● बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क ● कमीशन ● अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	0.32
	कुल (1)	**0.32**
2.	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक ● बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क ● कमीशन ● अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य
	कुल (2)	**शून्य**
	कुल (ब) = (1+2)	0.32
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	**0.32**

स. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक, प्रबन्ध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा

(राशि लाखों में)

क्र.स.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सी.ई.ओ	सी.एफ.ओ. (श्री सुभाष अग्रवाल)	कंपनी सचिव (श्री अमित के. जैन)	कुल
1.	सकल वेतन (अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ब) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य (स) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	लागू नहीं	40.69	14.57	56.26
2.	स्टॉक विकल्प		-	-	-
3.	उद्यम इक्विटी		-	-	-
4.	कमीशन – लाभ के % के रुप में – अन्य, निर्दिष्ट करें		-	-	-
5.	अन्य जैसे पीएफ, पेंशन		3.52	1.32	4.84
	कुल		**44.21**	**15.89**	**61.10**

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों का कंपाउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाई गई जुर्माना/दंड/ कंपाउंडिंग शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/ एनसीएलटी/न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
शून्य					

अनुलग्नक-ब

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में योग्यता पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया नीचे उल्लिखित है:

	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
1.	**<u>फेम-II के अंतर्गत ईवी चार्जर्स के संबंध में भारत सरकार द्वारा सब्सिडी रद्द करने की सूचना न देना तथा मैजेंटा द्वारा सब्सिडी रद्द करने और माल वापस करने का लेखा-जोखा न रखना</u>** कंपनी ने मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्ष के दौरान लौटाए गए माल और प्राप्त होने वाली सब्सिडी पर परिणामी प्रभाव का लेखा–जोखा नहीं रखा है। विवरण इस प्रकार हैं: कंपनी ने एमएचआई की फेम–II योजना के अंतर्गत कंपनी के तैयार किए गए व्यावसायिक मॉडल (अर्थात ओएंडएम पार्टनर द्वारा निवेश – श्रेणी ए के अंतर्गत ईवी चार्जर लागत पर 30% + प्रस्तावित अग्रिम भुगतान + प्रस्तावित राजस्व साझाकरण) के अनुसार 10 वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव भागीदार के रूप में मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स मैजेंटा) को कार्य आवंटित किया था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 में संबंधित पक्ष को **19.36 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित)** मूल्य की सामग्री बेची। कंपनी ने इस आपूर्ति के लिए **13.32 करोड़ रुपये** के सरकारी अनुदान को मान्यता दी और समायोजित किया। कंपनी ने समझौते की शर्तों के उल्लंघन के कारण मेसर्स मैजेंटा के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) समाप्त कर दिया; जिसके बाद मेसर्स मैजेंटा ने विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11(6) के अंतर्गत एस.बी. सिविल मध्यस्थता आवेदन संख्या 12/2023, 13/2023 और 14/2023 दायर किया। **06.10.2023** को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने पक्षों के बीच विवादों के निपटारे हेतु एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। एकमात्र मध्यस्थ के निर्देशों के अनुसार मेसर्स मैजेंटा ने सामग्री कंपनी को सौंप दी है। **8.17 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर)** मूल्य की सामग्री कनकपुरा स्थित फैक्ट्री में वापस प्राप्त हो गई है, जबकि **4.70 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर)** मूल्य की सामग्री भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड, भोपाल के परिसर में और **4.70 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर)** मूल्य की सामग्री अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के परिसर में पड़ी हुई बताई गई है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, **8.17 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर)** मूल्य की सामग्री कनकपुरा स्थित कारखाने में वापस प्राप्त हुई, जबकि **4.70 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर)** मूल्य की सामग्री भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड, भोपाल के परिसर में और **4.70 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर)** मूल्य की सामग्री अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के परिसर में पड़ी हुई बताई गई है। चूंकि मेसर्स मैजेंटा द्वारा सामग्री वापस कर दी गई है और कंपनी ने स्वयं कहा है कि वह मेसर्स मैजेंटा के स्थान पर कार्य करने के लिए नई एजेंसी नियुक्त करने जा रही है, इसलिए कंपनी को पार्टी द्वारा लौटाए गए माल के साथ–साथ इन्वेंट्री, सब्सिडी और व्यय मदों पर पड़ने वाले परिणामी प्रभाव का भी हिसाब रखना चाहिए था, लेकिन उसने इस संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की है। परिणामस्वरूप : – वर्तमान दायित्वों को 6.04 करोड़ रुपये कम करके दर्शाया गया है (सब्सिडी और जीएसटी सहित बिक्री रिटर्न की राशि को छोड़कर)। – इन्वेंट्री 17.56 करोड़ रुपये कम बताई गई है (मेसर्स मैजेंटा द्वारा लौटाई गई सामग्री की लागत)। – सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी को 12.85 करोड़ रुपये (बही खातों में बकाया राशि) अधिक दर्शाया गया है और वर्तमान दायित्व को 0.47 करोड़ रुपये कम दर्शाई गई है (मैजेंटा के संबंध में सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी को 12.85 करोड़ रुपये (बही खातों में बकाया राशि) अधिक दर्शाया गया है और वर्तमान दायित्व को 0.47 करोड़ रुपये कम दर्शाई गई है (मैजेंटा के संबंध में स्वीकृत सब्सिडी और सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी के रूप में पहले से ही दर्ज की गई राशि के बीच का अंतर)। इसके अलावा, लगभग 4 वर्षों की देरी और इलेक्ट्रिक चार्जिंग के क्षेत्र में तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों को देखते हुए, मेसर्स मैजेंटा से वापस प्राप्त इन्वेंट्री के मूल्य में कमी आई होगी, लेकिन कंपनी द्वारा ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है और हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके अलावा, वारंटी अवधि भी इस अवधि तक समाप्त हो चुकी है।	फेम-II योजना के तहत ईवी चार्जरों की मंजूरी/आवंटन को रद्द करने के संबंध में मामले को ध्यान में नहीं रखा गया है, क्योंकि 20.06.2025 को भारत सरकार से संचार प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी को 222 ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के निष्पादन की अनुमति दी गई है और मामला अदालत में भी लंबित है, इसलिए प्रबंधन का मानना है कि वर्तमान में लेखांकन समायोजन की कोई आवश्यकता नहीं है।

2.	**अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए अपर्याप्त प्रावधान** हमें सूचित किया गया है कि **198.97 करोड़ रुपये** के कुल देनदारों में से, **81.09 करोड़ रुपये** की राशि के देनदार 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं, जो कुल देनदारों का 40.75% है। हमने पाया है कि इनमें से कई खातों में राशि परिसमाप्त क्षति (एलडी) या संविदात्मक दायित्वों के गैर–निष्पादन के कारण रोकी गई बताई गई है। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी कहा है कि वसूली के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और विभिन्न कारणों से कंपनी पर एलडी देय नहीं है। कंपनी ने देनदारों द्वारा लगाए गए एलडी सहित इन खातों में वसूली न होने के विशिष्ट कारणों के बारे में समेकित विवरण नहीं रखा है। कंपनी ने कुछ खातों के मामले में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के निरीक्षण के बाद कुछ मामलों में कानूनी नोटिस भी भेजे हैं। 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया **81.09 करोड़ रुपये** की राशि के विरूद्ध, **24.33 करोड़ रुपये** के संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान पहले ही लेखा पुस्तकों में किया जा चुका है (कंपनी की नीति के अनुसार) तथा लेनदारों पर **38.45 करोड़ रुपये** की राशि बैक–टू–बैक आधार पर बकाया बताई गई है, जिसके फलस्वरूप **18.31 करोड़ रुपये** शेष रह जाते हैं, जिनकी वसूली भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। इसके अलावा, 31.03.2025 तक अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए कुल प्रावधान **28.49 करोड़ रुपये** (5 वर्ष से अधिक अवधि के देनदारों के लिए **24.33 करोड़ रुपये** सहित) है, जो दर्शाता है कि 5 वर्ष से कम अवधि के बकाया शेष देनदारों के लिए केवल **4.16 करोड़ रुपये** का प्रावधान है। उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान अपर्याप्त है, लेकिन पूर्ण विवरण के अभाव और देनदारों से बकाया राशि की वसूली की उचित जानकारी न होने के कारण, हम इसका परिमाणन करने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्ण जानकारी और विभिन्न देनदारों द्वारा लगाए गए परिसमाप्त क्षतियों के आकलन के अभाव में, हम कंपनी के लाभ–हानि/आरक्षित निधियों पर इसके प्रभाव का परिमाणन नहीं कर सकते।	कंपनी ने वर्ष–दर–वर्ष सुसंगत लेखा नीति के अनुसार अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया है। प्रबंधन की राय में, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है क्योंकि 28.49 करोड़ रुपये के कुल प्रावधान के अलावा, अधिकांश पुराने बकाया शेष ग्राहकों से प्राप्तियों के साथ–साथ विक्रेताओं/उप–ठेकेदारों को बैक–टू–बैक आधार पर देय राशि द्वारा विधिवत कवर किए गए हैं। इस संबंध में, कृपया वर्ष 2024–25 के बैलेंस शीट के नोट संख्या 32.3(सी) का संदर्भ लें, जो निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है : 'व्यापार देय में 31 मार्च, 2025 तक 10661.54 लाख रुपये (31 मार्च, 2024 तक 9593.19 लाख रुपये) शामिल हैं, जो ग्राहक से भुगतान प्राप्त होने पर ही ठेकेदार को देय होगा।'
3.	**ईईएसएल–निम्बोनी एडिशनल साइट** कंपनी ने वर्ष 2019–20 में निंबोनी एडिशनल साइट (महाराष्ट्र) में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को एसपीवी पावर प्लांट की आपूर्ति की थी **4.03 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित)**। इसके बाद, इस बिक्री से प्राप्त बिक्री रिटर्न के लिए वित्त वर्ष 2021–22 में **1.14 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित)** का क्रेडिट नोट जारी किया गया। ईईएसएल को बेची गई सामग्री मेसर्स पॉवरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस स्थान पर कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। रील को लौटाई गई सामग्री (जैसा कि ऊपर बताया गया है) के अलावा, शेष सामग्री मेसर्स पॉवरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वापस ले ली गई है। इस संबंध में, एसपीवी पावर प्लांट की **1.14 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित)** की वापसी को छोड़कर, लेखा पुस्तकों में कोई लेखांकन प्रविष्टि नहीं की गई है। इस परियोजना के संबंध में ईईएसएल से प्राप्त होने वाली बकाया राशि **2.89 करोड़ रुपये** है, जो वास्तव में प्राप्त नहीं होने वाली है और इस प्रकार देनदार को **2.89 करोड़ रुपये** अधिक बताए गए हैं। इसके अलावा मेसर्स पॉवरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के लेनदार खाते में **2.20 करोड़ रुपये** अधिक बताए गए हैं, जो साइट पर जलाई गई सामग्री के संबंध में है और मेसर्स पॉवरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वापस ले ली गई है।	बकाया राशि वसूलने के लिए मेसर्स ईईएसएल को कानूनी नोटिस जारी किया गया है। चूँकि अनुबंध बैक–टू–बैक भुगतान अवधि के आधार पर निष्पादन के लिए दिया गया था, इसलिए सभी लंबित मुद्दों के निपटारे के बाद लेखांकन समायोजन किया जाएगा।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 18 जुलाई, 2025 को किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षरित
(डॉ. पवन कुमार कोंडा)
ओएसडी
(उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 28 अगस्त 2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के सदस्य के लिए

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक का तुलन पत्र और लाभ–हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिनमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश सहित शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, **योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर,** उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (''इंड एएस'') और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप, 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उसके नकदी प्रवाह सहित उसकी हानि का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं।

योग्य राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षण की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के ''वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी'' अनुभाग में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'आचार संहिता' के साथ–साथ कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी की ओर से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि गलत विवरण, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वित्तीय विवरणों में व्यापक नहीं हैं।

हम आपका ध्यान नीचे निर्दिष्ट मामलों की ओर आकर्षित करते हैं जिनके आधार पर हम वित्तीय विवरणों पर योग्यतापूर्ण राय व्यक्तकर रहे हैं:

अ. **FAME-II के अंतर्गत EV चार्जर्स के संबंध में भारत सरकार द्वारा सब्सिडी रद्द करने की सूचना न देना तथा मैजेंटा द्वारा सब्सिडी रद्द करने और माल वापस करने का लेखा–जोखा न रखना**

कंपनी ने मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्ष के दौरान लौटाए गए माल और प्राप्त होने वाली सब्सिडी पर परिणामी प्रभाव का लेखा–जोखा नहीं लगाया है। विवरण इस प्रकार हैः

कंपनी ने एमएचआई की फेम–II योजना के अंतर्गत कंपनी के तैयार किए गए बिजनेस मॉडल (अर्थात् O&M भागीदार द्वारा निवेश – श्रेणी A के अंतर्गत EV चार्जर लागत पर 30%+ प्रस्तावित अग्रिम भुगतान + प्रस्तावित राजस्व साझाकरण) के अनुसार, 10 वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव भागीदार के रूप में मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स मैजेंटा) को कार्य आवंटित किया था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान संबंधित पक्ष को 19.36 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) मूल्य की सामग्री बेची। कंपनी ने इस आपूर्ति के लिए 13.32 करोड़ रुपये के सरकारी अनुदान को मान्यता दी और समायोजित किया।

कंपनी ने समझौते की शर्तों के उल्लंघन के कारण मेसर्स मैजेंटा के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) समाप्त कर दियाय जिसके बाद मेसर्स मैजेंटा ने विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11(6) के अंतर्गत एस.बी. सिविल मध्यस्थता आवेदन संख्या 12/2023, 13/2023 और 14/2023 दायर किया। 06.10.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने पक्षों के बीच विवादों के निपटारे के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। एकमात्र मध्यस्थ के निर्देशानुसार मेसर्स मैजेंटा ने सामग्री कंपनी को सौंप दी है। 8.17 करोड़ रुपए (जीएसटी को छोड़कर) मूल्य की सामग्री कनकपुरा स्थित फैक्ट्री में वापस प्राप्त हो गई है, जबकि 4.70 करोड़ रुपए (जीएसटी को छोड़कर) मूल्य की सामग्री अभी भी शेष है, भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड, भोपाल के परिसर में पड़ी बताई गई है और 4.70 करोड़ रुपए (जीएसटी को छोड़कर) मूल्य की सामग्री अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के परिसर में पड़ी बताई गई है।

चूंकि मेसर्स मैजेंटा द्वारा सामग्री वापस कर दी गई है और कंपनी ने स्वयं कहा है कि वह मेसर्स मैजेंटा के स्थान पर कार्य करने के लिए नई एजेंसी नियुक्त करने जा रही है, इसलिए कंपनी को पार्टी से माल की वापसी के साथ–साथ इन्वेंट्री, सब्सिडी और व्यय मदों पर पड़ने वाले परिणामी प्रभाव का भी हिसाब रखना चाहिए था, लेकिन उसने इस संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की है। परिणामस्वरूपः

– चालू दायित्व को **6.04 करोड़ रुपये** कम करके दिखाया गया है (सब्सिडी के बाद बिक्री रिटर्न की राशि और जीएसटी सहित)।

– इन्वेंट्री को **17.56 करोड़ रुपये** (मेसर्स मैजेंटा द्वारा लौटाई गई सामग्री की लागत) कम बताई गई है ।

– सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी **12.85 करोड़ रुपये** (खाते में बकाया राशि) अधिक दर्शाया गई है और चालू दायित्व को **0.47 करोड़ रुपये** कम करके दर्शाया गया है (मैजेंटा के संबंध में स्वीकृत सब्सिडी और सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी के रूप में पहले से ही दर्ज की गई राशि के बीच का अंतर)।

इसके अलावा, लगभग **4 वर्षों** की देरी और इलेक्ट्रिक चार्जिंग के क्षेत्र में तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों को देखते हुए, मेसर्स मैजेंटा से वापस प्राप्त इन्वेंट्री के मूल्य में कमी आई होगी, लेकिन कंपनी द्वारा ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है और हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके अलावा, वारंटी अवधि भी इस अवधि तक समाप्त हो चुकी है।

ब. अशोध्य और संदिग्ध देनदारों के लिए अपर्याप्त प्रावधान

हमें सूचित किया गया है कि **198.97 करोड़ रुपये** के कुल देनदारों में से, **81.09 करोड़ रुपये** की राशि के देनदार 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं, जो कुल देनदारों का **40.75%** है। हमने पाया है कि इनमें से कई खातों में राशि परिसमाप्त क्षति (एलडी) या संविदात्मक दायित्वों के गैर–प्रदर्शन के कारण रोकी गई बताई गई है। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी कहा है कि वसूली के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और विभिन्न कारणों से कंपनी पर एलडी देय नहीं है। कंपनी ने देनदारों द्वारा लगाए गए एलडी सहित इन खातों में वसूली न होने के विशिष्ट कारणों के बारे में समेकित विवरण नहीं रखा है। कंपनी ने कुछ खातों के मामले में नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के निरीक्षण के बाद कुछ मामलों में कानूनी नोटिस भी भेजे हैं।

5 वर्षों से अधिक समय से बकाया **81.09 करोड़ रुपये** की राशि के विरूद्ध **24.33 करोड़ रुपये** के संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान पहले ही लेखा पुस्तकों में किया जा चुका है (कंपनी की नीति के अनुसार) तथा लेनदारों पर **38.45 करोड़ रुपये** की राशि बैक टू बैक आधार पर बकाया बताई गई है, जिससे **18.31 करोड़ रुपये** शेष बचते हैं, जिसकी वसूली भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी है।

इसके अलावा, 31.03.2025 तक अशोध्य और संदिग्ध देनदारों के लिए कुल प्रावधान **28.49 करोड़ रुपये** (5 वर्ष से अधिक अवधि के देनदारों के संबंध में **24.33 करोड़ रुपये** शामिल) है, जो दर्शाता है कि 5 वर्ष से कम अवधि से बकाया देनदारों के संबंध में केवल **4.16 करोड़ रुपये** का प्रावधान है।

उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान अपर्याप्त है, किंतु पूर्ण विवरण के अभाव में और देनदारों से बकाया राशि की वसूली की उचित जानकारी न होने के कारण, हम इसका परिमाणन करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, पूर्ण जानकारी और विभिन्न देनदारों द्वारा लगाए गए परिसमाप्त नुकसान के आकलन के अभाव में, हम कंपनी के लाभ और हानिधिरर्जव पर इसके प्रभाव का परिमाणन नहीं कर सकते।

स. ईईएसएल–निंबोनी एडिशनल साइट

कंपनी ने वर्ष 2019–20 में निंबोनी एडिशनल साइट (महाराष्ट्र) में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को **4.03 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित)** में एसपीवी पावर प्लांट की आपूर्ति की थी। इसके बाद, इस बिक्री से प्राप्त बिक्री रिटर्न के लिए वित्त वर्ष 2021–22 में **1.14 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित)** का क्रेडिट नोट जारी किया गया। ईईएसएल को बेची गई सामग्री मेसर्स पॉवरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस स्थान पर कार्य शुरू नहीं किया जा सका। रील को लौटाई गई सामग्री (जैसा कि ऊपर बताया गया है) के अलावा, शेष सामग्री मेसर्स पॉवरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वापस ले ली गई है।

इस संबंध में, एसपीवी पावर प्लांट की **1.14 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित)** की वापसी को छोड़कर, खातों में कोई लेखांकन प्रविष्टि नहीं की गई है। इस परियोजना के संबंध में ईईएसएल से प्राप्त होने वाली बकाया राशि **2.89 करोड़ रुपये** है, जो वास्तव में प्राप्य नहीं है और इस प्रकार देनदार को **2.89 करोड़ रुपये** अधिक बताए गए हैं।

इसके अलावा मेसर्स पावरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के लेनदार खाते में **2.20 करोड़ रुपये** अधिक बताए गए हैं, जो साइट पर जलाई गई सामग्री के संबंध में है और मेसर्स पावरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वापस ले ली गई है।

यद्यपि बिन्दु संख्या (ब) के मामले में योग्यताओं के प्रभाव का परिमाणीकरण नहीं किया जा सका, किंतु जैसा कि बिन्दु संख्या (अ) और (स) में उल्लेख किया गया है, चालू परिसंपत्तियों को 1.82 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया है और चालू दायित्वों को 4.31 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया है।

विषय पर बल

इस संबंध में अपनी राय स्पष्ट किए बिना, हम आपका ध्यान नीचे निर्दिष्ट मामलों की ओर आकर्षित करते हैं जो इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये वित्तीय विवरणों की उपयोगकर्ता की समझ के लिए मूलभूत हैं।

(अ) नोट नं. 7.1 और 19बी जिसमें व्यापार प्राप्य और व्यापार देय शेष की पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे शेष (जो प्रबंधन के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं होंगे) की पुष्टि/समाधान/समायोजन पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, ज्ञात नहीं है।

(ब) नोट नं. 8.1 में उल्लिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए लेखा पुस्तकों में **24.41 करोड़ रुपये** की आस्थगित कर परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है, जिसकी प्राप्ति प्रबंधन द्वारा प्रत्याशित/परिकल्पित भविष्य में पर्याप्त लाभ के सृजन पर निर्भर करेगी।

(स) नोट नं. 32.3(सी) व्यापार देय के संबंध में, जिसमें ग्राहकों से भुगतान प्राप्त होने पर ठेकेदारों को देय **106.62 करोड़ रुपये** शामिल हैं।

(द) नोट नं. 20.1.2, एक एमएसएमई विक्रेता (मेसर्स गन सन ग्लोबल सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा **14.75 लाख रुपये** की राशि पर ब्याज दावे की आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण न करने के संबंध में है, क्योंकि ब्याज की राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है और उन्होंने अमरावती स्थित माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था। 26.12.2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जयपुर स्थित मध्यस्थता न्यायालय में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अपील दायर करने का निर्देश दिया। अब मामला वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर के समक्ष लंबित है। प्रबंधन के अनुसार, ब्याज दायित्व का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है; इसलिए, इसे आकस्मिक दायित्व के रूप में खुलासा नहीं किया गया है।

(य) नोट नं. 10.2, **20.29 लाख रुपये** की इन्वेंट्री के प्रत्यावर्तन के संबंध में, वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान जारी क्रेडिट नोट हेतु।

(ह) सरकार ने दिनांक **31/07/2023** के पत्र द्वारा चार्जर्स के चालू न होने के कारण फेम–II योजना के अंतर्गत ई.वी.सी.एस. की स्वीकृति/आवंटन निरस्त कर दिया था तथा कम्पनी को **8,15,08,000/–** रूपये की सब्सिडी राशि ब्याज सहित वापस करने के निर्देश दिए थे। यद्यपि अब कम्पनी के विभिन्न अभ्यावेदनों के पश्चात सरकार ने दिनांक **20/06/2025** को एक पत्र जारी किया है कि रील **31/03/2026** तक **222** ई.वी.सी.एस. का निष्पादन पूर्ण कर ले तथा शेष सब्सिडी फेम–II योजना के अनुसार जारी की जाएगी।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, चालू वर्ष के वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में विचार किया गया था और इस पर अपनी राय बनाते हुए, हम इन मामलों पर अलग से कोई राय प्रदान नहीं देते हैं। हमने इन मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित नहीं किया है।

वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब ऊपर बताई गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो, पर उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि पर, हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट हमें इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में उल्लेखित मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखावय उचित लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय का अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं और लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी

करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि ऑडिटिंग पर मानक (एसएएस) के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें तभी महत्वपूर्ण माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या समग्र रुप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार ऑडिट के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते है। हम यह भी करते हैः

i) वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करना और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

ii) लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

iii) प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

iv) निदेशक मंडल द्वारा लेखांकन के लिए गोईंग कन्सर्न के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी को गोईंग कन्सर्न के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में सम्बंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय में संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी गोइंग कन्सर्न के रूप में जारी नहीं रह सकती है।

v) वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें खुलासे भी शामिल हैं और यह भी क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलतबयानों की वह मात्रा है जो, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में (2) वित्तीय विवरणों में अज्ञात गलतबयानों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम प्रशासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम प्रशासन के प्रभारी लोगों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के बारे में भी।

प्रशासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उस मामले के बारे में सार्वजनिक खुलासे को प्रतिबंधित न करे या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के जनहित लाभों से कहीं अधिक होने की संभावना है।

पूर्व लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षक विशेषज्ञ (SA 600, SA 610 और SA 620) के कार्य का उपयोग:

हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान अन्य लेखा परीक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों पर भरोसा किया हैः

अ. पूर्व लेखा परीक्षकों के कार्य का उपयोग (SA 600):

हमने प्रारंभिक शेष, तुलनात्मक वित्तीय जानकारी और उनकी विभिन्न टिप्पणियों, अर्हताओं और टिप्पणियों के संबंध में मेसर्स वाई. चतुर्वेदी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा 6 सितंबर, 2024 को जारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

ब. आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्य का उपयोग (SA 610 – संशोधित):

हमने आंतरिक लेखा परीक्षक, मेसर्स आर. के. मालपानी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, के कार्य पर SA 610 (संशोधित) के अनुसार, उनकी रिपोर्टों के आधार पर भरोसा

किया है :

अ) दिनांक 24 दिसंबर, 2024, 1 अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक की अवधि के लिए; और

ब) दिनांक 6 जून, 2025, 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए

उनके कार्य पर मुख्य रूप से आंतरिक नियंत्रण और अनुपालन तंत्र की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए विचार किया गया था।

स. कर्मचारी लाभों के मूल्यांकन हेतु लेखापरीक्षक विशेषज्ञ के कार्य का उपयोग (SA 620):

हमने कर्मचारी लाभों के मूल्यांकन हेतु लेखा परीक्षक विशेषज्ञ, मेसर्स के. ए. पंडित की 25 मई, 2025 की रिपोर्ट पर भरोसा किया है। उनकी योग्यता, क्षमता और निष्पक्षता का मूल्यांकन SA 620 के अनुसार किया गया था।

द. इन्वेंटरी मूल्यांकन हेतु स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट का उपयोगः

हमने इन्वेंटरी के मूल्यांकन के उद्देश्य से मेसर्स चित्तौड़ा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा 4 दिसंबर, 2024 को जारी स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट पर भी विचार किया है।

01.04.2023 से 31.03.2025 की अवधि के लिए C&AG द्वारा दिनांक 16 मई, 2025 को किए गए स्वामित्व लेखापरीक्षा में निहित टिप्पणियों को भी हमारी राय पर पहुंचते समय ध्यान में रखा गया था।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अपेक्षानुसार, हम "अनुलग्नक 1" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निंदिष्ट मामलों पर, जहां तक लागू हो, एक विवरण देते हैं।

2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर, जैसा कि हमने विचार किया और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर "अनुलग्नक 2" में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(अ) हमने वह सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरणों मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।

(ब) हमारी राय में, कंपनी द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

(स) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन पत्र, लाभ–हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) नकदी प्रवाह विवरण, ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण और अन्य इक्विटी में परिवर्तन विवरण, लेखा पुस्तकों के अनुरुप हैं।

(द) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुरूप हैं, जिसे संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा जाए।

(य) निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 को के अनुसार यह एक सरकारी कंपनी है।

(र) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में "अनुलग्नक 3" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

4. संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओँ के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार यह एक सरकारी कंपनी है।

5. कंपनी (लेखापरीक्षा व लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

i. कंपनी ने वित्तीय विवरण में लंबित कार्यवाही के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है। वित्तीय विवरण के लिए नोट नं. 20.1 (बी),(सी),(डी) और नोट 35 (जी) देखें।

ii. कंपनी ने लागू कानून या लेखा मानकों के तहत अपेक्षित, व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, भौतिक पूर्वानुमानित हानि के लिए प्रावधान किया है।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण फंड में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

iv. (अ) निदेशक मंडल ने यह प्रतिवेदन किया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, लेखा–टिप्पणियों में प्रकट की गई जानकारी के अलावा, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिनमें विदेशी संस्थाएं ("आंतरिक संस्थाएं") शामिल हैं, को कोई धनराशि अग्रिम, ऋण

या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से, शेयर प्रीमियम से, या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं दी गई है, इस सहमति के साथ कि चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगा;

(ब) निदेशक मंडल ने यह प्रतिवेदन किया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, लेखा–टिप्पणियों में प्रकट की गई जानकारी के अलावा, कंपनी ने किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों या संस्था/संस्थाओं, जिनमें विदेशी संस्थाएँ (वित्तपोषण पक्ष) भी शामिल हैं, से इस सहमति के साथ कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, अंतिम लाभार्थियों द्वारा या उनकी ओर से किसी भी रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगी या निवेश करेगी; और

(स) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार, जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप–धारा (ए) और (बी) के अंतर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी महत्वपूर्ण गलत कथन है;

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई लाभांश घोषित किया है और न ही भुगतान किया है।

vi. चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी के लिए लागू हैं, इसलिए इसके तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vii. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें टेस्ट जांच भी शामिल थी, यह पाया गया गया है कि कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखा पुस्तकों के रखरखाव हेतु आंतरिक रूप से विकसित विंडोज आधारित लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। प्रबंधन के अनुसार, प्रयुक्त लेखा सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है (इन्वेंट्री और मानव संसाधन रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग–अलग सॉफ्टवेयर को छोड़कर)। हालाँकि, यह सॉफ्टवेयर एकल–उपयोगकर्ता वाला है, जो उचित आंतरिक नियंत्रण को नहीं दर्शाता है। इसलिए, ऑडिट ट्रेल में उस उपयोगकर्ता का पूरा विवरण शामिल नहीं है जो प्रविष्टि को पास करता है और उसके बाद किए गए परिवर्तनों का विवरण देता है। कंपनी के प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हालांकि, ऐसी सुविधा विकसित करने वाले किसी भी तृतीय पक्ष विक्रेता से कोई औपचारिक प्रमाणपत्र न मिलने के कारण, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि प्रविष्टियों को अक्षमध्छेड़छाड़ किया जा सकता है या नहीं। इसके अलावा, हमें यह भी बताया गया कि कंपनी ने रिकॉर्ड रखने की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित रखा है।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

कृते: जी. के. मित्तल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि.नं. 005842C)

हस्ताक्षरित
(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 079348
यूडीआईएन : 25079348BMOU2Y2665

स्थान : जयपुर
दिनांक : 18.07.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि तक रिपोर्ट का अनुलग्नक -1

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर समदिनांक तक, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए

(हमारी ऑडिट रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' अनुभाग के पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में :

(अ) (अ) कंपनी ने सामान्यतः उपलब्ध सूचना के आधार पर परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ब) कंपनी ने सामान्यतः अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ब) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है और ऐसे भौतिक सत्यापन में कोई विसंगतियां नहीं पाई गईं।

(स) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा टाइटल डीड की प्रति की हमारी जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणों में बताई गई अचल संपत्तियां कंपनी के नाम पर हैं। यद्यपि मूल टाइटल डीड कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के विरुद्ध बैंक के पास रखे हुए बताए गए हैं।

(द) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(य) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी जांच के आधार पर, संशोधित बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत, कंपनी के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2025 तक कोई भी कार्यवाही लंबित नहीं है ।

(ii) अपनी इन्वेंट्री के संबंध में :

(अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के कुल योग में 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं पाई गई।

(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्राथमिक प्रतिभूति के आधार पर वर्ष के दौरान बैंक (पीएनबी) से **60 करोड़ रुपये** की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उक्त बैंक में आवश्यक तिमाही रिटर्न या विवरण दाखिल किए गए हैं।

(iii) ऋणों के संबंध में :

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अन्य पक्षों को ऋण के रूप में कोई निवेश या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों या सीमित दायित्व भागीदारी और अन्य पक्षों को ऋण के रुप में कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की हैं, ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है;

(अ) (अ) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

(ब) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी अन्य पक्ष या कर्मचारियों को ऋण के रूप में अग्रिम राशि नहीं दी है। कंपनी ने वर्ष के दौरान अन्य पक्षों को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

(ब) कंपनी ने निवेश नहीं किया है, अग्रिम या ऋण नहीं दिया है और इसके संबंध में गारंटी नहीं दी है और आदेश के खंड

(iii) (बी), (सी), (डी), (ई) (एफ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई।

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में अनुपालन किया गया है।

(v) प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को ग्राहकों से **13,28,81,022/– रुपये** की अग्रिम राशि प्राप्त हुई है, जो 365 दिनों से अधिक समय से बकाया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और कंपनी (जमा स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(सी) के अनुसार ऐसे अग्रिमों को जमा माना जाता है।

इसके अलावा, जैसा कि देखा गया है और हमें समझाया गया है, कंपनी न तो एक एनबीएफसी है और न ही उसने जमा के रूप में कोई धनराशि स्वीकार की है। हम यह भी सूचित करते हैं कि उपरोक्त के मद्देनजर, एनबीएफसी के संबंध में आरबीआई के निर्देश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) लागत रिकॉर्ड के संबंध में :

हमें सूचित किया गया है कि कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा–पुस्तकें, विद्युत वस्तुओं और विद्युत मशीनरी के निर्माण से संबंधित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार हैं और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित लागत रिकॉर्डों का रखरखान किया गया है। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक और पूर्ण हैं या नहीं। हम हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और पिछले वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट कर रहे हैं।

(vii) सांविधिक बकाया राशि के संबंध में :

अ. कंपनी आमतौर पर निर्विवाद सांविधिक बकाया राशि जमा करने में नियमित है, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, सेवा कर, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर और कंपनी पर लागू लेखा पुस्तकों में दर्ज अन्य वैधानिक बकाया शामिल है। इसके अलावा, वर्ष के अंत में देय कोई भी निर्विवाद राशि, देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी सिवाय निम्नलिखित के :

1) निर्यात दायित्व के विरुद्ध देय सीमा शुल्क **53.66 लाख रुपये** है। यह स्पष्ट किया गया कि इस संबंध में किसी भी प्राधिकारी द्वारा कोई डिमांड जारी नहीं की गई है।

ब. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, आयकर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर का कोई भी बकाया नहीं है जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो :

अधिनियम का नाम	देय का प्रकार	विवादित राशि (लाख रु. में)	अवधि किस राशि से संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
केंन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	सेवा कर	3.82	वित्तीय वर्ष 2009–10 (24.07.12 के आदेश द्वारा)	CESTAT (कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल)
सीजीएसटी अधिनियम	जीएसटी	238.45	वित्तीय वर्ष 2019–20	आयुक्त (अपील) द्वारा अपील खारिज कर दी गई थी। कंपनी ने डिमांड की वसूली के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया था। इसके अलावा, जब न्यायाधिकरण का गठन होगा, तब न्यायाधिकरण में अपील दायर की जाएगी।
सीजीएसटी अधिनियम	जीएसटी	2.32	वित्तीय वर्ष 2018–19	अति. आयुक्त (अपील) सीजीएसटी के समक्ष अपील दायर की गई है।
सीजीएसटी अधिनियम	जीएसटी	304.45	वित्तीय वर्ष 2020–21	डिमांड पर रोक लगाने के लिए सहायक आयुक्त, जीएसटी के माध्यम से भारत संघ के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में एक सिविल रिट याचिका दायर की।

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में, लेखा पुस्तकों में आय के रूप में पहले दर्ज न किए गए किसी भी लेनदेन को आय के रूप में समर्पित या प्रकट नहीं किया है।

(ix) बकाया राशि के पुनर्भुगतान के संबंध में :

(अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को बकाया राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर ऋण न चुकाने वाला घोषित नहीं किया गया है।

(स) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। अतः धारा (ix) (सी) कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(द) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का उपयोग कंपनी के दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(य) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

(ह) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी या संयुक्त उद्यमों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं लिया है।

(x) (अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) या सावधि ऋण के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3(x)(ए) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ब) वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3(x)(बी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xi) (अ) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमें वर्ष के दौरान कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का मामला न तो देखने को मिला है और न ही इसकी सूचना दी गई है और न ही प्रबंधन द्वारा हमें ऐसे किसी मामले की जानकारी दी गई है।

(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित पपत्र एडीटी–4 में हमने अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है।

(स) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी के अंतर्गत कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ।

(xii) निधि कंपनी के संबंध में :

यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, यह धारा इस कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xiii) संबंधित पक्षों के संबंध में :

संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और 177 के अनुरुप हैं और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार, वित्तीय विवरण आदि में विवरण का खुलासा किया गया है।

(xiv) (अ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, लेकिन यह उसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार नहीं है और इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(ब) हमें वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई है और हमने उस पर विचार किया है।

(xv) निदेशकों के साथ गैर–नकद लेनदेन के संबंध में :

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कपनी ने

निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) (अ) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xvi) (ए), (बी), (सी) और (डी) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvii) कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में **700.88 लाख रुपये** का नकद घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष **507.18 लाख रुपये** का नकद लाभ हुआ था।

(xviii) वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश की धारा 3(xviii) लागू नहीं होती है। हालांकि, पूर्व लेखा परीक्षकों ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में अपना पद त्याग दिया था।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय अनुपात, एजिंग और वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति तथा वित्तीय दायित्वों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों से जुड़ी अन्य सूचनाओं, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और प्रासंगिक साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई ऐसी अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि पर विद्यमान दायित्वों को, तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर, चुकाने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी दायित्व कंपनी द्वारा देय होने पर चुका दिया जाएगा।

(xx) कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के संबंध में धारा 135 के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, इसलिए धारा (xx) (ए) और (बी) कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xxi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण में शामिल कंपनियों (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्ट में संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

कृते: जी. के. मित्तल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि.नं. 005842C)

हस्ताक्षरित
(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 079348
यूडीआईएन : 25079348BMOU2Y2665

स्थान : जयपुर
दिनांक : 18.07.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक –2, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को इंगित करते हैंः–

क्र.स.	निर्देश	कार्रवाई की गई	इंड एएस वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेनों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है ? यदि हां, तो आई.टी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हों) का भी उल्लेख किया जाए।	लेखापरीक्षा प्रक्रियाओ और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, आई.टी प्रणाली के बाहर कोई भी लेखा लेनदेन संसाधितध्संचालित नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि लेखा सॉफ्टवेयर और इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर एकीकृत नहीं हैं। हालांकि, खातों की अंखडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।	शून्य
2	क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा–जोखा रखा गया है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)	लेखापरीक्षा प्रक्रियाओ और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋणों का कोई पुनर्गठन या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं बनाया गया था।	शून्य
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्तध्प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसकी शर्तों के अनुसार उचित लेखा–जोखा/उपयोग किया गया था ? विचलन के मामले को सूची बनाएं।	लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं के आधार, यह पाया गया कि कंपनी ने मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित योग्य राय के आधार की योग्यता संख्या (अ) में उल्लिखित को छोड़कर, प्राधिकरण/एजेंसी द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार निधियों का लेखा/उपयोग किया है।	मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृतेः जी. के. मित्तल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि.नं. 005842C)

हस्ताक्षरित
(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 079348
यूडीआईएन : 25079348BMOU2Y2665

स्थान : जयपुर
दिनांक : 18.07.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि तक रिपोर्ट का अनुलग्नक -3, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2025 तक राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के साथ हमारे ऑडिट के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए (''मार्गदर्शन नोट'')। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखाकंन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आतंरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शन नोट'') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग मानकों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और, दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा–परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने अपनी लेखा–परीक्षण, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षण संबंधी (''मार्गदर्शन नोट'') और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा–परीक्षण मानकों, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित माना जाता है, के अनुसार किया है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षण पर लागू होते हैं, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षण पर लागू होते हैं और दोनों ही भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार, हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा और लेखा–परीक्षण की योजना बनाकर उसे निष्पादित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः

स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो :

1) ऐसे रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

2) यह उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु आवश्यक रूप से दर्ज किए जा रहे हैं और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकते हैं और उसका पता नहीं चल पाता। इसके अलावा, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

योग्य राय का आधार

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2025 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियां पाई गई है:

(अ) व्यवसाय के आकार, प्रकृति और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के साथ–साथ कंपनी के वित्तीय विवरणों की आवधिक समीक्षा की आवश्यकता है।

(ब) कंपनी के पास माल की आवाजाही के संबंध में कोई उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, जिससे पता चलता है कि सामग्री के निर्गम और प्राप्ति तथा आंतरिक नियंत्रण का अभाव है और समय–समय पर व्यापार प्राप्य और व्यापार देय से बाह्य पुष्टि प्राप्त करने में भी। वर्ष के दौरान कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों और व्यापार देय के लिए लेखा विवरण जारी किया था, हालांकि उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की थी। इसलिए, हम इस प्रणाली की परिचालन प्रभावशीलता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

'महत्वपूर्ण गलतबयानी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी या कमियों का एक संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलतबयानी विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

योग्य राय

हमारी राय में, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में 31 मार्च 2025 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है, जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित है, जिसमें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर ध्यान में रखा गया है और नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण गलतबयानी के प्रभावोंध्संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रूप से कार्यरत थे।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2025 के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई महत्वपूर्ण गलतबयानी पर विचार किया है और ये महत्वपूर्ण गलतबयानी कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

कृतेः जी. के. मित्तल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि.नं. 005842C)

हस्ताक्षरित
(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 079348
यूडीआईएन : 25079348BMOU2Y2665

स्थान : जयपुर
दिनांक : 18.07.2025

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CA&AG) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों / उप–निदेशों के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निदेशों / उप–निदेशों का अनुपालन किया है।

कृते: जी. के. मित्तल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि.नं. 005842C)

हस्ताक्षरित
(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 079348
यूडीआईएन : 25079348BMOU2Y2665

स्थान : जयपुर
दिनांक : 18.07.2025

31 मार्च, 2025 को तुलन पत्र

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	नोट्स	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
परिसंपत्तियां			
I. **गैर-चालू परिसंपत्तियां**			
(अ) परिसंपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	4	2,516.73	2,706.00
(ब) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4	-	-
(स) निवेश परिसंपत्ति		-	-
(द) साख		-	-
(य) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां			
(i) तकनीकी जानकारी	5	-	-
(र) अमूर्त परिसंपत्तियां विकास के तहत		-	-
(ह) अन्य जैविक परिसंपत्तियां वाहक प्लांट के अलावा		-	-
(ल) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश		-	-
(ii) व्यापार प्राप्तियां	6	116.17	102.92
(iii) ऋण		-	-
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9ए	56.53	78.76
(v) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	8	2,441.37	2,109.21
(vi) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां		-	-
कुल गैर चालू परिसंपत्तियां		**5,130.80**	**4,996.89**
II. **चालू परिसंपत्तियां**			
(अ) इन्वेंट्री	10	1,701.76	1,913.05
(ब) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश		-	-
(ii) व्यापार प्राप्तियां	7	17,048.04	15,180.16
(iii) नकद व नकद समतुल्य	11	4,846.89	1,118.02
(iv) उपरोक्त (iii) के अलावा अन्य बैंक शेष	11ए	195.61	307.58
(v) ऋण			
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9बी	182.33	113.64
(स) चालू कर परिसंपत्तियां	13	279.93	439.28
(द) अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	490.57	724.00
कुल चालू परिसंपत्तियां		**24,745.13**	**19,795.73**
कुल परिसंपत्तियां (I + II)		**29,875.93**	**24,792.62**
इक्विटी और दायित्व			
I. **इक्विटी**			
(अ) इक्विटी शेयर पूंजी	14	1,225.00	1,225.00
(ब) अन्य इक्विटी	15	4,431.85	5,336.04
कुल इक्विटी		**5,656.85**	**6,561.04**
दायित्व			
II. **गैर चालू दायित्व**			
(अ) वित्तीय दायित्व		-	-
(i) उधारी		-	-
(ii) लीज देनदारियां		-	-
(iii) व्यापार देय			
(अ) सूक्ष्म और लघु उद्यम के लेनदारों की कुल बकाया राशि	19ए	-	-
(ब) सूक्ष्म और लघु उद्यम के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	19ए	16.60	48.52
(ब) प्रावधान	17ए	306.90	292.22
(स) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		-	-
(द) अन्य गैर चालू दायित्व	18ए	164.46	147.26
कुल गैर चालू दायित्व		**487.96**	**488.00**
III. **चालू दायित्व**			
(अ) वित्तीय दायित्व			
(i) उधारी		-	-
(ii) लीज देनदारियां		-	-
(iii) व्यापार देय			
(अ) सूक्ष्म और लघु उद्यम के लेनदारों का कुल बकाया	19बी	2,193.76	2,214.10
(ब) सूक्ष्म और लघु उद्यम के अलावा लेनदारों का कुल बकाया	19बी	16,354.99	12,161.79
(iv) अन्य वित्तीय दायित्व	16	453.63	372.97
(ब) अन्य चालू दायित्व	18बी	3,668.02	2,065.05
(स) प्रावधान	17बी	1,060.72	929.67
कुल चालू दायित्व		**23,731.12**	**17,743.58**
IV. **कुल दायित्व** (II + III)		**24,219.08**	**18,231.58**
कुल इक्विटी और दायित्व (I + IV)		**29,875.93**	**24,792.62**

वित्तीय विवरणों के साथ नोट्स देखें (1–36)

हमारी समसंख्यक तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी. के. मित्तल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN 005842C
हस्ताक्षरित
(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)
साझेदार
सदस्यता संख्या 079348
स्थान : जयपुर
दिनांक : 18.07.2025
यूडीआईएन : 25079348BMOU2Y2665

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरित
(दिनेश कुमार पहाड़िया)
निदेशक
डीआईएन : 08925960

हस्ताक्षरित
(बृजेश दीक्षित)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 11086971

हस्ताक्षरित
(अमित कुमार जैन)
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
(सुभाष अग्रवाल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि विवरण

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	नोट्स	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
I. प्रचालन से राजस्व	21	15,748.78	18,578.06
II. अन्य आय	22	211.22	343.48
III. कुल आय (I + II)		**15,960.00**	**18,921.54**
IV. व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	23	9,053.74	10,199.78
व्यपार में स्टॉक की खरीद		-	-
तैयार माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन	24	(187.69)	88.87
कर्मचारी लाभ व्यय	25	3,284.13	3,256.61
वित्तीय लागत	26	30.35	83.32
मूल्हास, क्षति और परिशोधन व्यय	27	194.55	191.04
अन्य व्यय	28	4,808.91	4,665.04
कुल खर्चे		**17,183.99**	**18,484.66**
V. अपवादात्मक मदों से पहले लाभ / (हानि) और कर (III-IV)		**(1,223.99)**	**436.88**
VI. जोड़े : अपवादात्मक मद		-	-
VII. अपवादात्मक मदों से पहले लाभ / (हानि) और कर		**(1,223.99)**	**436.88**
VIII. घटायें : कर व्यय	29		
1. वर्तमान कर		-	-
2. प्रावधान बदलाव		-	-
3. आस्थगित कर		(328.56)	120.74
कुल कर खर्चे		**(328.56)**	**120.74**
IX. निरंतर परिचालन से अवधि के लिए लाभ / (हानि) (VII - VIII)		**(895.43)**	**316.14**
X. बंद किए गए परिचालनों से लाभ / (हानि)		-	-
XI. बंद किए गए परिचालनों का कर व्यय		-	-
XII. बंद किए गए परिचालनों से लाभ / (हानि) (कर पश्चात) (X - XI)		-	-
XIII. अवधि के लिए लाभ / (हानि) (IX + XII)		**(895.43)**	**316.14**
XIV. अन्य व्यापक आय		-	-
अ (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
(अ) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन		(12.36)	(57.35)
ब (i) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		3.60	16.71
कुल अन्य व्यापक आय (XIV=अ (i)+ब(i))		**(8.76)**	**(40.64)**
XV. वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV)		**(904.19)**	**275.50**
XVI. प्रति इक्विटी शेयर आय	30		
(1) मूल (रुपये में)		(7.31)	2.58
(2) डाइलुटेड (रुपये में)		(7.31)	2.58

वित्तीय विवरणों के साथ नोट्स देखें (1–36)

हमारी समसंख्यक तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी. के. मित्तल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN 005842C
हस्ताक्षरित
(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)
साझेदार
सदस्यता संख्या 079348
स्थान : जयपुर
दिनांक : 18.07.2025
यूडीआईएन : 25079348BMOU2Y2665

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरित
(दिनेश कुमार पहाड़िया)
निदेशक
डीआईएन : 08925960

हस्ताक्षरित
(बृजेश दीक्षित)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 11086971

हस्ताक्षरित
(अमित कुमार जैन)
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
(सुभाष अग्रवाल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

	विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
अ.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	(895.43)	316.14
	इनके लिए समायोजन :		
	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय	(328.56)	120.74
	बट्टे खाते में डाली गई संपत्तिया	319.63	100.93
	परिसंपत्तियां हटाई गई	0.31	0.11
	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त वित्तीय लागत	30.35	83.32
	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त ब्याज आय	(92.27)	(106.45)
	मूल्यह्रास और परिशोधन	194.55	191.04
	अशोध्य ऋण / सब्सिडी प्राप्त बट्टे खाते में डालने योग्य	0.72	-
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व परिचालन से उत्पन्न नकदी	**(770.70)**	**705.83**
	कार्यशील पूंजी में उतार–चढ़ावः		
	व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि) / कमी	(2,201.48)	1,280.04
	अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	298.94	(322.97)
	इन्वेंट्री में (वृद्धि) / कमी	211.29	161.75
	व्यापार देय राशि में वृद्धि / (कमी)	4,140.94	(556.05)
	प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	133.37	(255.43)
	अन्य देय राशि में वृद्धि / (कमी)	1,700.83	(1,087.95)
		4,283.89	**(780.61)**
	परिचालन से उत्पन्न नकदी	3,513.19	(74.78)
	आयकर (भुगतान / प्राप्त रिफंड)	**159.35**	**(172.22)**
	परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी	**3,672.54**	**(247.00)**
ब.	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान	(7.44)	(16.72)
	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से प्राप्त आय	1.85	-
	ब्याज आय	92.27	106.45
	निवेश गतिविधियों से उत्पन्न/प्रयुक्त शुद्ध नकदी	**86.68**	**89.73**
स.	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	भुगतान की गई वित्तीय लागत	(30.35)	(83.32)
	शुद्ध (प्रयोग मे ली)/वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न	**(30.35)**	**(83.32)**
	नकद तथा नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	3,728.87	(240.59)
	वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य*	1,118.02	1,358.61
	वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य*	**4,846.89**	**1,118.02**

नकद और नकद समतुल्यों का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकद और नकद समतुल्य	4,846.89	1,118.02
अंतर	-	-
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समतुल्य (नीचे दी गई तालिका देखें)	4,846.89	1,118.02

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
बैंकों में शेष (अ+ब+स)	**4,844.99**	**1,116.99**
पीएनबी बचत खाता (अ)	0.14	0.14
अन्य बैंक शेष (ब)	946.47	104.95
बैंक में जमा (स)	3,898.38	1,011.90
रोकड़ हाथ में	1.90	1.03
उपलब्ध चेक, ड्राफ्ट	-	-
नकदी और नकद समतुल्य	**4,846.89**	**1,118.02**

1. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण को ''अप्रत्यक्ष पद्धति'' के तैयार किया गया है, जैसा इंड एएस 7 ''नकद प्रवाही विवरण'' में निर्धारित है।
2. प्रस्तुति में एकरूपता के लिए जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ो को पुनः समूहिकृत किया गया है।
3. कोष्ठक नकदी बहिर्वाह को दर्शाते है।
4. नकद और नकद समुतल्य में 0.14 लाख रुपये शामिल हैं जो सामान्य व्यावसायिक परिचालन में उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।

वित्तीय विवरणों के साथ नोट्स देखें (1–36)

हमारी समसंख्यक तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी. के. मित्तल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN 005842C
हस्ताक्षरित
(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)
साझेदार
सदस्यता संख्या 079348
स्थान : जयपुर
दिनांक : 18.07.2025
यूडीआईएन : 25079348BMOU2Y2665

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरित
(दिनेश कुमार पहाड़िया)
निदेशक
डीआईएन : 08925960

हस्ताक्षरित
(बृजेश दीक्षित)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 11086971

हस्ताक्षरित
(अमित कुमार जैन)
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
(सुभाष अग्रवाल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

अ. इक्विटी शेयर पूंजी

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः घोषित शेष	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
1,225.00	-	-	-	1,225.00

2. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः घोषित शेष	पिछले वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
1,225.00	-	-	-	1,225.00

वित्तीय विवरणों के साथ नोट्स देखें (1–36)

हमारी समसंख्यक तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी. के. मित्तल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN 005842C

हस्ताक्षरित
(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)
साझेदार
सदस्यता संख्या 079348

स्थान : जयपुर
दिनांक : 18.07.2025
यूडीआईएन : 25079348BMOU2Y2665

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरित
(दिनेश कुमार पहाड़िया)
निदेशक
डीआईएन : 08925960

हस्ताक्षरित
(बृजेश दीक्षित)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 11086971

हस्ताक्षरित
(अमित कुमार जैन)
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
(सुभाष अग्रवाल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

ब. अन्य इक्विटी

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	चक्रवृद्धि वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	संचय और अधिशेष				अन्य व्यापक आय के माध्यम से देनदार साधन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन	कैशफ्लो हेजेज का प्रभावी हिस्सा	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष	विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय मतभेद	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स	वारंट के विरुद्ध प्राप्त धन का हिस्सा	कुल
			पूंजी संचय	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य संचय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	प्रतिधारित आय								
					सामान्य संचय							(शुद्ध परिभाषित लाभ योजना की पुर्नगणना)		
(अ) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		-	-	-	5,273.45	318.67	-	-	-	-	-	(256.08)	-	5,336.04
(ब) लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियों		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(स) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(द) चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.76)	-	(8.76)
(य) लाभांश		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(र) सामान्य संचय से स्थानांतरण		-	-	-	(900.00)	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(ह) कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाना है)		-	-	-	-	(895.43)	-	-	-	-	-	-	-	(895.43)
(ल) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में शेष राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	**4,373.45**	**323.24**	-	-	-	-	-	**(264.84)**	-	**4,431.85**

वित्तीय विवरणों के साथ नोट्स देखें (1–36)

2. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	चक्रवृद्धि वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	संचय और अधिशेष				अन्य व्यापक आय के माध्यम से देनदार साधन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन	कैशफ्लो हेजेज का प्रभावी हिस्सा	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष	विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय मतभेद	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स	वारंट के विरुद्ध प्राप्त धन का हिस्सा	कुल
			पूंजी संचय	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य संचय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	प्रतिधारित आय								
					सामान्य संचय							(शुद्ध परिभाषित लाभ योजना की पुर्नगणना)		
(अ) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		-	-	-	4,973.45	302.53	-	-	-	-	-	(215.44)	-	5,060.54
(ब) लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियों		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(स) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(द) चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40.64)	-	(40.64)
(य) लाभांश		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(र) सामान्य संचय से स्थानांतरण		-	-	-	300.00	(300.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
(ह) कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाना है)		-	-	-	-	316.14	-	-	-	-	-	-	-	316.14
(ल) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में शेष राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	**5,273.45**	**318.67**	-	-	-	-	-	**(256.08)**	-	**5,336.04**

वित्तीय विवरणों के साथ नोट्स देखें (1–36)

हमारी समसंख्यक तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार।

कृते जी. के. मित्तल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN 005842C
हस्ताक्षरित
(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)
साझेदार
सदस्यता संख्या 079348
स्थान : जयपुर
दिनांक : 18.07.2025
यूडीआईएन : 25079348BMOU2Y2665

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरित
(दिनेश कुमार पहाड़िया)
निदेशक
डीआईएन : 08925960

हस्ताक्षरित
(बृजेश दीक्षित)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 11086971

हस्ताक्षरित
(अमित कुमार जैन)
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
(सुभाष अग्रवाल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली सामान्य जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. सामान्य जानकारी

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रमेन्ट्स लिमिटेड, जयपुर (रील) भारत में निगमित और अधिवासित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 2, कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, सिरसी रोड़, जयपुर में है। यह कंपनी भारत सरकार (51% हिस्सेदारी) और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर (रीको) के माध्यम से राजस्थान सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसकी हिस्सेदारी 49% है।

कंपनी की स्थापना 12 जून 1981 को हुई थी और यह भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है और एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। रील इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एनेलाइजर और सौर ऊर्जा उपकरण के व्यवसाय में है, जबकि पवन ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन में भी इसकी थोड़ी–बहुत रुचि है।

2. हाल की लेखा घोषणाएं

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। इस प्रकार अधिसूचित संशोधन इस अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होंगे। वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की आवश्यकता के अनुसार तैयार किए गए हैं और तदनुसार वित्तीय विवरणों में आंकड़े (राशि) लाख रुपये में लिए गए हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

प्रमुख लेखा नीतियां नीचे दी की गई हैं:

3.1 अनुपालन का विवरण

वित्तीय विवरण समय–समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (''इंड एएस'') के अनुसार तैयार किए गए हैं।

3.2 तैयारी और प्रस्तुति का आधार

वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों ('इंड एएस') के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसमें समय–समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित नियम भी शामिल हैं।

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित परिसंपत्तियों और दायित्वों के जिनकी उचित मूल्य राशि पर गणना की गई है :

i. कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और दायित्व,

ii. परिभाषित लाभ योजनाएं–योजना परिसंपत्तियां

वित्तीय विवरण एक्रुअल और गोइंग कन्सर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं। लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर एकसमान रूप से लागू की जाती है।

वर्तमान और गैर–वर्तमान वर्गीकरणः कंपनी अपने तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और दायित्वों को चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है।

किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब वह –

i. सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद हो;

ii. मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित हो;

iii. रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद हो, या

iv. नकद या नकद समतुल्य हो, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों तक विनिमय या किसी देनदारी के निपटान हेतु उपयोग पर प्रतिबंध न लगाया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दायित्व तब चालू होता है जब :

i. इसे सामान्य परिचालन चक्र में निपटाने की उम्मीद होती है;

ii. इसे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा जाता है;

iii. इसका निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर किया जाना है, या

iv. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने तक दायित्व के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

कंपनी अन्य सभी दायित्वों को गैर–चालू दायित्वों के रूप में वर्गीकृत करती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और दायित्वों को गैर–चालू परिसंपत्तियां और दायित्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3.3 अनुमानों का उपयोग

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है। ये अनुमान, निर्णय और धारणाएं लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करती हैं। इन वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त मुख्य लेखांकन अनुमानों का वर्णन संबंधित आय/व्यय और/या परिसंपत्ति/दायित्व मद के अंतर्गत किया गया है। प्रबंधन का मानना है कि इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में

प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

3.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

कंपनी द्वारा अधिग्रहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को अधिग्रहण लागत पर रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें संचित मूल्यह्रास और क्षति हानि, यदि कोई हो, के लिए कटौती शामिल है। अधिग्रहण लागत में खरीद मूल्य (वापसी योग्य करों को छोड़कर) और व्यय, जैसे डिलीवरी और हैंडलिंग लागत, स्थापना, कानूनी सेवाएं और परामर्श सेवाएं शामिल हैं, जो सीधे परिसंपत्ति को साइट पर लाने और उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार हैं। बाद की लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या आवश्यकतानुसार एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, केवल तभी जब यह संभावना हो कि उस मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और उस मद की लागत को विश्वसनीय रूप से गणना की जा सकती है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव उस अवधि के दौरान लाभ–हानि विवरण में शामिल किए जाते हैं जिसमें वे किए जाते हैं।

फ्रीहोल्ड भूमि का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है। लीजहोल्ड भूमि का मूल्यह्रास लीज अवधि के दौरान किया जाता है।

मूल्यह्रास की गणना इस प्रकार की जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट, सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए, उनके उपयोगी जीवन काल में उनके अवशिष्ट मूल्यों को घटाकर लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाए। अनुमानित उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास पद्धति की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, जिसमें अनुमान में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को भावी आधार पर ध्यान में रखा जाता है। 5,000 रुपये या उससे कम लागत वाली परिसंपत्तियों को खरीद वर्ष में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब उसका निपटान हो जाता है या जब परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ होने की उम्मीद न हो। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जो तुलन पत्र की तिथि तक इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें ''पूंजीगत कार्य प्रगति में'' के रूप में दर्शाया गया है।

3.5 अमूर्त संपत्तियां

अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत में से वसूली योग्य करों, व्यापार छूट और रिबेट को घटाकर संचित परिशोधन/क्षय और क्षति हानि, यदि कोई हो, घटा दिया जाता है। ऐसी लागत में खरीद मूल्य, उधार लेने की लागत तथा परिसंपत्ति को इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रुप से जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल होती है।

बाद की लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या एक अलग संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा कि उपयुक्त हो, केवल तभी जब यह संभावना हो कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और लागत की विश्वसनीय रूप से गणना की जा सके।

अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन परिमित या अनिश्चित माना जाता है। परिमित–जीवन अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन उनके अपेक्षित उपयोगी जीवन काल में सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

किसी पहचान योग्य अमूर्त परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन कई कारकों पर आधारित होता है, जिसमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारक (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति) के प्रभाव, और परिसंपत्ति से अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल होता है।

परिमित–जीवन अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो उसे भावी रूप से समायोजित किया जाता है।

किसी अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में गणना की जाती है और परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अनुसंधान लागत को व्यय के रूप में खर्च किया जाता है। सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास लागत को व्यय के रूप में खर्च किया जाता है, जब तक कि परियोजना की तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता सिद्ध न हो जाए, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित न हों, कंपनी के पास सॉफ्टवेयर को पूरा करने, उपयोग करने या बेचने का इरादा और क्षमता न हो और लागत की विश्वसनीय रूप से गणना की जा सके। जिन लागत को पूंजीकृत किया जा सकता है उनमें सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहैड लागत शामिल हैं जो परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने से सीधे संबंधित हैं।

3.6 साख के अलावा मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी अपनी परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह, जिसे कैश जनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) कहा जाता है, की वहन राशि की समीक्षा करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या इस बात का कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों को क्षति हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता

है ताकि क्षति हानि (यदि कोई हो) की सीमा निर्धारित की जा सके। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, तो कंपनी उस सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है जिससे वह परिसंपत्ति संबंधित है।

क्षति हानि को लाभ–हानि विवरण में उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जब परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो। वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति के उचित मूल्य में से निपटान लागत और उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है। उपयोग मूल्य, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर आधारित होता है, जिसे कर–पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जो परिसंपत्तियों के लिए विशिष्ट धन के समय मूल्य और जोखिम के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों तथा उपयोग के लिए अभी तक उपलब्ध न होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की क्षति के लिए वार्षिक रूप से जांच की जाती है, या जब भी ऐसा संकेत मिलता है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है।

पूर्व में मान्यता प्राप्त क्षति हानि का प्रतिवर्तन केवल तभी किया जाता है जब पिछली क्षति हानि की पहचान के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं में कोई परिवर्तन हुआ हो। प्रतिवर्तन सीमित होता है ताकि परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो, और न ही उस वहन राशि से अधिक हो जो कि मूल्यह्रास को घटाकर निर्धारित की गई होती, यदि पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए कोई क्षति हानि की पहचान नहीं की गई होती।

इस तरह के प्रतिवर्तन को लाभ–हानि विवरण में तब तक मान्यता दी जाती है जब तक कि परिसंपत्ति को पुनर्मूल्यांकित राशि पर नहीं रखा जाता है, ऐसी स्थिति में, प्रतिवर्तन को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि के रूप में माना जाता है।

3.7 <u>इन्वेंटरी</u>

इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्त योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर पर किया जाता है। हालांकि, इन्वेंट्री के उत्पादन में उपयोग के लिए रखी गई सामग्री और अन्य वस्तुओं को लागत से कम पर नहीं लिखा जाता है, यदि जिन तैयार उत्पादों में उन्हें शामिल किया जाएगा, उनके लागत पर या उससे अधिक पर बेचे जाने की उम्मीद है। लागत की गणना FIFO आधार पर की जाती है, तैयार माल और कार्य–प्रगति की लागत में खरीद की सभी लागतें, रूपांतरण लागत और इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में हुई अन्य लागत शामिल होती हैं।

इन्वेंटरी की लागत में रूपांतरण की सभी लागतें और उन्हें उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागत शामिल होती हैं और इसका मूल्यांकन FIFO पद्धति के आधार पर किया जाता है।

शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है जिसमें से समापन की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को घटाया जाता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान जिन इन्वेंटरी में कोई खरीद/बिक्री/उपभोग का कोई लेनदेन नहीं हुआ, उसे नॉन मूविंग इन्वेंटरी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि जिन इन्वेंटरी में 20% से कम लेनदेन हुए हैं, उन्हें स्लो मूविंग इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन इन्वेंटरी की पहचान वर्ष के अंत में की जाती है और तदनुसार उनके मूल्य के बीस प्रतिशत तक कम कर दिया जाता है। हालांकि, यदि प्राप्त मूल्य वास्तविक लागत से अधिक है, तो कोई प्रभाव नहीं लिया जाता है।

3.8 <u>राजस्व मान्यता</u>

कंपनी भारतीय लेखा मानक (इंड एएस–115) में निर्धारित पांच–चरणीय मानदंडों के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व की पहचान करती हैः–

(i) ग्राहक के साथ अनुबंधों की पहचानः अनुबंध को दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लागू करने योग्य अधिकारों और दायित्व का निर्माण करता है और प्रत्येक अनुबंध के लिए मानदंड निर्धारित करता है जिसे पूरा किया जाना चाहिए।

(ii) अनुबंध में निष्पादन दायित्वों की पहचानः निष्पादन दायित्व, ग्राहक के साथ अनुबंध में किया गया एक वादा है, जिसके तहत ग्राहक को कोई वस्तु या सेवा हस्तांतरित की जाती है।

(iii) लेनदेन मूल्य का निर्धारणः लेन–देन मूल्य वह प्रतिफल राशि है जिसकी कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है, जिसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्रित राशि शामिल नहीं है।

(iv) अनुबंध में निष्पादन दायित्वों के लिए लेनदेन मूल्य का आवंटनः एक से अधिक निष्पादन दायित्व वाले अनुबंध के लिए कंपनी प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेनदेन मूल्य को एक राशि में आवंटित करती है जो उस प्रतिफल की राशि को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी प्रत्येक निष्पादन दायित्व को पूरा करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

(v) राजस्व की मान्यता तब या तब जब कंपनी किसी निष्पादन दायित्व को पूरा करती है।

- इंड एएस 115 के अनुसार, जो यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करता है कि राजस्व को कब, कितना और कब मान्यता दी जानी है।

- कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व की पहचान तब करती है जब वह ग्राहक को वादा किया गया सामान या सेवा हंस्तातरित करके प्रदर्शन दायित्व पूरा करती है। राजस्व की पहचान, निष्पादन दायित्व की पूर्ति के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य की सीमा तक की जाती है। निष्पादन दायित्व समय के साथ पूरा होता है जब परिसंपत्ति (वस्तु या सेवा) का नियंत्रण ग्राहक को समय के साथ हस्तांतरित किया जाता है और अन्य मामलों में, निष्पादन दायित्व किसी समय बिंदु पर पूरा होता है। समय के साथ निष्पादन दायित्व की पूर्ति के लिए, राजस्व मान्यता, निष्पादन दायित्व की पूर्ण पूर्ति की दिशा में प्रगति की गणना करके की जाती है।
- राजस्व की गणना लेनदेन मूल्य के आधार पर की जाती है, जो कि एक प्रतिफल है, जिसे ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट मात्रा छूट, सेवा स्तर क्रेडिट, प्रदर्शन बोनस, मूल्य रियायतें और प्रोत्साहन (यदि कोई हो) के लिए समायोजित किया जाता है। राजस्व में ग्राहकों से वसूले गए कर भी शामिल नहीं हैं।
- लेनदेन मूल्य वह प्रतिफल राशि है जिसकी कंपनी किसी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले में हकदार होने की अपेक्षा करती है, जिसमें किसी तृतीय पक्ष की ओर से एकत्रित राशि शामिल नहीं है। परिवर्तनीय प्रतिफल का अनुमान अपेक्षित मूल्य पद्धति या किसी विशेष परिस्थिति में उपयुक्त संभावित राशि का उपयोग करके लगाया जाता है। ग्राहक के साथ सहमत भुगतान शर्तें व्यावसायिक प्रथा के अनुसार होती हैं और वित्तपोषण घटक, यदि महत्वपूर्ण हो, तो लेनदेन मूल्य से अलग कर दिया जाता है और ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को तब माना जाता है जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ क्रेता को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, माल के साथ कोई निरंतर प्रबंधकीय जुड़ाव नहीं होता है और राजस्व राशि की विश्वसनीय रूप से गणना की जा सकती है। कंपनी हस्तांतरित माल पर उस सीमा तक कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रखती है जो आमतौर पर स्वामित्व से जुड़ी होती है और माल की बिक्री से प्राप्त होने वाले प्रतिफल की राशि के बारे में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं होती है। राजस्व की गणना प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर की जाती है, जिसमें किसी भी व्यापार छूट, मात्रा छूट और सरकार की ओर से बिक्री पर लगाए जाने वाले किसी भी कर या शुल्क, जैसे माल और सेवा कर, आदि को घटाया जाता है।
- प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान ग्राहकों के साथ किए गए समझौतों/व्यवस्थाओं के आधार पर, रिपोर्टिंग अवधि में निष्पादन दायित्वों की पूर्ण पूर्ति की दिशा में प्रगति की गणना की जाती है और राजस्व की राशि की गणना विश्वसनीय रूप से की जा सकती है।

राजस्व निर्धारण में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग

- ग्राहकों के साथ कंपनी के अनुबंधों में ग्राहक को कई उत्पाद और सेवाएं हस्तांतरित करने के वादे शामिल हो सकते हैं। कंपनी अनुबंध में दिए गए उत्पादों/सेवाओं का मूल्यांकन करती है और अनुबंध में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान करती है। विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान में वितरण योग्य वस्तुओं और ग्राहक की ऐसी वितरण योग्य वस्तुओं से स्वतंत्र रूप से लाभ उठाने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए निर्णय लेना शामिल है।
- कंपनी किसी निष्पादन दायित्व के लिए उपयुक्त स्टैंडअलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करने हेतु विवेक का उपयोग करती है। कंपनी अनुबंध में दिए गए प्रत्येक विशिष्ट उत्पाद या सेवा के सापेक्ष स्टैंडअलोन विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करती है। जहां स्टैंडअलोन विक्रय मूल्य अवलोकनीय नहीं है, वहां, कंपनी प्रत्येक विशिष्ट निष्पादन दायित्व के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करने हेतु अपेक्षित लागत और मार्जिन दृष्टिकोण का उपयोग करती है।
- कंपनी यह निर्धारित करने में विवेक का प्रयोग करती है कि निष्पादन दायित्व किसी समय पर या समयावधि में पूरा होता है या नहीं। कंपनी ऐसे संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि सेवाएं प्रदान किए जाने पर ग्राहक किस प्रकार लाभ प्राप्त करता है या परिसंपत्ति के निर्माण के समय उसका नियंत्रण किसका है या आज तक निष्पादन हेतु भुगतान के प्रवर्तनीय अधिकार का अस्तित्व और ऐसे उत्पाद या सेवा का वैकल्पिक उपयोग, ग्राहक को महत्वपूर्ण जोखिमों और पुरस्कारों का हस्तांतरण, ग्राहक द्वारा वितरण की स्वीकृति, आदि।

ब्याज आय

वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय की गणना प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

3.9 कर्मचारी लाभ

- **सेवानिवृत्ति लाभ लागत और समाप्ति लाभ**

  निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के भुगतान को तब व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी योगदान के लिए पात्र होने हेतु सेवा प्रदान करते हैं।

परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है और प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। पुनःगणना, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि, परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन का प्रभाव (यदि लागू हो) और योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज को छोड़कर) शामिल हैं, तुलन पत्र में तुरंत परिलक्षित होता है और उस अवधि में अन्य व्यापक आय में प्रभार या क्रेडिट के रूप में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें वे घटित होते हैं। अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनःगणना तुरंत परिलक्षित होता है और इसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

योजना संशोधन की अवधि में पिछली सेवा लागत को लाभ या हानि में शामिल किया जाता है। शुद्ध ब्याज की गणना अवधि की शुरुआत में शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व या परिसंपत्ति पर छूट दर लागू करके की जाती है।

परिभाषित हितलाभ लागतों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है :

- सेवा लागत (वर्तमान सेवा लागत, पिछली सेवा लागत, साथ ही कटौती पर लाभ और हानि सहित) और
- शुद्ध ब्याज व्यय या आयय और
- पुनःगणना

कंपनी परिभाषित लाभ लागत के पहले दो घटकों को लाभ या हानि में 'कर्मचारी लाभ व्यय' लाइन मद में प्रस्तुत करती है। कटौती लाभ और हानि को पिछली सेवा लागत के रूप में दर्ज किया जाता है।

तुलन पत्र में मान्या प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व कंपनी की परिभाषित लाभ योजनाओं में वास्तविक घाटे या अधिशेष को दर्शाता है। इस गणना से प्राप्त कोई भी अधिशेष, योजनाओं से रिफंड या योजनाओं में भविष्य के योगदान में कटौती के रूप में उपलब्ध किसी भी आर्थिक लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित है। समाप्ति लाभ के लिए दायित्व को उस समय मान्यता दी जाती है, जब कंपनी समाप्ति लाभ के प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकती है, तथा जब कंपनी किसी भी संबंधित पुनर्गठन लागत को मान्यता देती है।

- **अल्पकालीन और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ**

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की छूट रहित राशि को उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवाएं प्रदान करते हैं। अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त दायित्वों को रिपोर्टिंग तिथि तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा किए जाने वाले अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह के वर्तमान मूल्य पर गणना की जाती है।

3.10 <u>वित्तीय साधन</u>

वित्तीय परिसंपत्तियां:

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है।

प्रारंभिक मान्यता पर, वित्तीय परिसंपत्ति को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, लाभ और हानि (FVTPL) के माध्यम से उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, उनकी लेनदेन लागत को लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। अन्य मामलों में, लेनदेन लागत को वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य के अनुसार समायोजित किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में निम्नलिखित के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है :

- परिशोधित लागत
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL)
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (FVOCI)

वित्तीय परिसंपत्तियों को उनकी पहचान के बाद पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय इसके कि यदि और उस अवधि के दौरान कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करती है।

व्यापार प्राप्तियां और ऋण :

व्यापार प्राप्तियां और ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। इसके बाद, इन परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (EIR) पद्धति का उपयोग करके, किसी भी अपेक्षित ऋण हानि को घटाकर, परिशोधित लागत पर रखा जाता है। EIR वह दर है जो वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद आय को छूट देती है। संदिग्ध देनदारों के लिए 3 वर्ष से अधिक तथा 4 वर्ष तक के बकाया के लिए 10% की दर से, 4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक के बकाया के लिए 20% की दर से और 5 वर्ष से अधिक के बकाया के लिए 30% की दर से प्रावधान किया गया है।

ऋण विलेख :

ऋण विलेखों को प्रारंभ में परिशोधन लागत, अन्य व्यापक आय ('FVOCI') के माध्यम से उचित मूल्य या लाभ या हानि मूल्य ('FVTPL') के माध्यम से उचित के

आधार पर गणना की जाती है, जब तक कि मान्यता समाप्त न हो जाए ;

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए कंपनी का व्यवसाय मॉडल और

(ii) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदागत नकदी प्रवाह विशेषताएं

(अ) परिशोधित लागत पर गणना :

वित्तीय परिसंपत्तियां जो एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखी जाती हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह (जो केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान है) एकत्र करने के लिए वित्तीय संपत्तियों को धारण करना है, उन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर ('EIR') पद्धति का उपयोग कर परिशोधन लागत पर क्षति हानि (यदि कोई हो) घटा दी जाती है।

EIR का परिशोधन और क्षति से उत्पन्न होने वाली हानि, यदि कोई हो, को लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ब) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर गणना:

वित्तीय परिसंपत्तियां जो किसी ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचना और संविदात्मक नकदी प्रवाह (जो केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान है) एकत्र करके प्राप्त किया जाता है, बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर गणना की जाती है। उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव को अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता दी जाती है।

EIR पद्धति का उपयोग करके गणना की गई ब्याज आय और क्षति हानि, यदि कोई हो, को लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। मान्यता समाप्त होने पर, OCI में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को लाभ–हानि विवरण में इक्विटी से 'अन्य आय' में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

(स) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर गणना :

किसी वित्तीय परिसंपत्ति जिसे परिशोधित लागत या FVOCI के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, उसे FVTPL के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों की उचित मूल्य में गणना की जाती है, जिसमें ब्याज आय और लाभांश आय (यदि कोई हो) सहित उचित मूल्य में सभी परिवर्तन शामिल होते हैं, जिसे लाभ– हानि विवरण में 'अन्य आय' के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करना

कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तब रद्द कर देती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या यह परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकारों को स्थानांतरित कर देती है।

वित्तीय परिसंपत्ति की क्षति

- FVTPL श्रेणी की वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर, प्रारंभिक मान्यता के बाद सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट घाटे की पहचान की जाती है।
- व्यापार प्राप्तियों के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, इंड एएस 109 के अनुसार, कंपनी सभी आरंभिक या अर्जित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि को मान्यता देती है, यदि रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय परिसंपत्ति का क्रेडिट जोखिम इसकी प्रारंभिक मान्यता के बाद से महत्वपूर्ण रुप से नहीं बढ़ा है।
- यदि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम इसकी प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ जाता है, तो अपेक्षित क्रेडिट हानि को आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानियों के रूप में गणना की जाती है।
- व्यापार प्राप्तियों के लिए कंपनी 'सरलीकृत दृष्टिकोण' अपनाती है (बिंदु संख्या 3.10 ''व्यापार प्राप्तियां और ऋण'' देखें), जिसके लिए अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्त राशियों की प्रारंभिक पहचान से मान्यता प्राप्त होने आवश्यक है। कंपनी व्यापार प्राप्य पोर्टफोलियो पर क्षति हानि का निर्धारण करने के लिए ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों का उपयोग करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों की समीक्षा की जाती है और भविष्योन्मुखी अनुमानों में परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है।
- क्षति हानि और प्रतिवर्तन को लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय दायित्व :

प्रारंभिक पहचान और गणना

वित्तीय दायित्वों की पहचान तब की जाती है जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है। वित्तीय दायित्वों को प्रारंभ में परिशोधन लागत पर गणना की जाती

है, जब तक कि प्रारंभिक मान्यता के समय उन्हें लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत न किया जाए। व्यापार देय के मामले में, उन्हें शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में, इन दायित्वों को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर रखा जाता है।

बाद की गणना

वित्तीय दायित्वों को बाद में EIR पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर गणना की जाती है। लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वहन किये गए वित्तीय दायित्वों को लाभ–हानि विवरण में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर गणना की जाती है।

वित्तीय दायित्व की मान्यता रद्द करना

वित्तीय दायित्व की मान्यता रद्द तब की जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व खत्म, रद्द या समाप्त हो जाता है।

3.11 उचित मूल्य की गणना

उचित मूल्य वह मूल्य है जो गणना तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने या दायित्व हस्तांतरित करने के लिए प्राप्त किया जाएगा। उचित मूल्य गणना इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या दायित्व को हस्तांतरित करने के लिए लेनदेन निम्न में से किसी एक तरीके से होता है :

- परिसंपत्ति या दायित्व के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार के अभाव में, परिसंपत्ति या दायित्व के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में

किसी परिसंपत्ति या दायित्व का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके किया जाता है, जिनका उपयोग बाजार सहभागी परिसंपत्ति या दायित्व का मूल्य निर्धारण करते समय करते हैं, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य करते हैं।

किसी गैर–वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य की गणना, परिसंपत्ति का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करके या उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर, जो परिसंपत्ति का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करेगा, आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की बाजार प्रतिभागी की क्षमता को ध्यान में रखता है।

कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों के लिए अनुकूल हो और जिनके लिए उचित मूल्य की गणना के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हो, प्रासंगिक अवलोकनीय इनपुट्स का अधिकतम उपयोग करते हुए और अवलोकनीय न होने वाले इनपुट्स का न्यूनतम उपयोग करते हुए।

सभी परिसंपत्तियां और दायित्व जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य की गणना की जाती है या खुलासा किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है, जो कि समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के इनपुट पर आधारित हैः

- **लेवल 1** – समान परिसंपत्तियों या दायित्वों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- **लेवल 2** – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य गणना के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय है।
- **लेवल 3** – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य गणना के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अप्राप्य है।

वित्तीय विवरणों में आवर्ती आधार पर पहचानी जाने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है) यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं।

उचित मूल्य खुलासे के उद्देश्य के लिए, कंपनी ने परिसंपत्ति या दायित्व की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों तथा उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और दायित्वों के वर्ग निर्धारित किए हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

3.12 प्रावधान और आकस्मिक दायित्व

प्रावधान तब मान्य हैं जब कंपनी पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो, यह संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। प्रावधान के रूप में मान्य राशि, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान है, जिसमें दायित्व से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है।

जब कंपनी किसी प्रावधान के कुछ या सभी हिस्से की प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करती है, उदाहरण के लिए, किसी बीमा अनुबंध के तहत, तो प्रतिपूर्ति को एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन केवल तभी जब प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को किसी भी प्रतिपूर्ति को घटाकर लाभ–हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों को वर्तमान कर–पूर्व दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, जो उपयुक्त होने पर, दायित्व से संबंधित विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में हुई वृद्धि को वित्तीय लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

आकस्मिक दायित्वों का खुलासा तब किया जाता है जब अतीत की घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व हो, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से की होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, या कोई वर्तमान दायित्व जो अतीत के घटनाओं से उत्पन्न होता है जहां या तो यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

3.13 <u>उधार लेने की लागत</u>

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सीधे संबंधित उधार लेने की लागत, ऐसी परिसंपत्तियां जिन्हें अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, उन परिसंपत्तियों की लागत में तब तक जोड़ी जाती है जब तक कि परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से तैयार न हो जाएं।

विशिष्ट उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित निवेश आय, जब तक कि योग्य परिसंपत्तियों पर उनका व्यय लंबित न हो, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों से घटा दी जाती है।

अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि के लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे व्यय की गई थी।

3.14 आयकर

वर्ष के लिए आयकर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं। इसे लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब यह किसी ऐसी मद से संबंधित हो जिसे सीधे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

वर्तमान कर, तुलन पत्र की तिथि पर लागू कर दरों और पिछले वर्षों के करों में किसी भी समायोजन का उपयोग करते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय/हानि पर देय/प्राप्त होने पर योग्य अपेक्षित कर है। आयकर से संबंधित ब्याज आय/व्यय और जुर्माना, यदि कोई हो, वर्तमान कर व्यय में शामिल है।

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए परिसंपत्तियों और दायित्वों की वहन राशि और कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त संगत कर आधार के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में मान्यता दी जाती है।

सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर दायित्वों को मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां यह संभावना हो कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर घाटे को आगे ले जाने का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा उन्हें उस सीमा तक कम किया जाता है कि जहां यह संभावना नहीं रह जाती है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होगा।

आस्थगित कर दायित्वों और परिसंपत्तियों को उन कर दरों पर गणना की जाती है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिसमें दायित्व का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति का एहसास होता है, जो कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होती हैं, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया जा चुका है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियां और वर्तमान कर दायित्व का समायोजन तब किया जाता हैं जब मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा हो। आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर दायित्वों का समायोजन तब किया जाता है जब वर्तमान कर दायित्वों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार होय और आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर दायित्व एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर दायित्वों और परिसंपत्तियों की गणना उन कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों और दायित्वों की वहन राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा के अनुरुप होंगे।

3.15 <u>विदेशी मुद्रा लेनदेन</u>

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और दायित्वों का, रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा की समापन विनिमय दरों पर अनुवाद किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटान या स्थानान्तरण पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उन विनिमय अंतरों के जिन्हें विदेशी मुद्रा उधारों पर ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है, जो सीधे अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण के कारण होते हैं, उन्हें परिसंपत्तियों की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के आधार पर गणना की जाने वाली गैर–मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके दर्ज किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर की गई गणना गैर–मौद्रिक मदों का अनुवाद उस तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके अनुवाद करके किया जाता है जब उचित मूल्य की गणना की गई हो। उचित मूल्य पर की गई गणना को गैर–मौद्रिक मदों के अनुवाद से होने वाले लाभ या हानि को मद के उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ या हानि की मान्यता के अनुसार माना जाता है (अर्थात, जिन मदों के उचित मूल्य लाभ या हानि को ओसीआई या लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी गई है, उन पर अनुवाद अंतर को क्रमशः ओसीआई या लाभ–हानि विवरण में भी मान्यता दी जाती है)।

3.16 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान (सहायता अनुदान) का लेखा–जोखा इंड एएस 20 के अनुसार किया जाता है। कंपनी को उन लागतों की पहचान करते समय, जिनकी भरपाई अनुदान के लाभ से की जानी है, उन शर्तों और दायित्वों पर विचार करना होगा जो पूरी हो चुकी हैं या होनी चाहिए।

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि यह उचित आश्वासन न मिल जाए कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त किए होंगे। सरकारी अनुदानों को लाभ–हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी उन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में पहचानती है जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान का उद्देश्य है। विशेष रूप से, सरकारी अनुदान जिनकी प्राथमिक शर्त यह है कि कंपनी गैर–चालू परिसंपत्तियों को खरीदना, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण करना चाहिए, उन्हें तुलन पत्र में आस्थगित राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है और संबंधित संपत्तियों के उपयोगी जीवन काल के दौरान व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ–हानि विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

3.17 पट्टा

कंपनी अनुबंध के आरंभ में ही यह आकलन करती है कि अनुबंध पट्टा है या नहीं। कोई अनुबंध पट्टा है, या नहीं, यदि वह किसी निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को प्रतिफल के बदले में नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

उपयोग के अधिकार (ROU) परिसंपत्तियों को किसी अनुबंध या व्यवस्था के आरंभ में महत्वपूर्ण पट्टा घटकों के लिए लागत में से पट्टा प्रोत्साहन घटाकर मान्यता दी जाती है, यदि कोई हो। परिसंपत्तियों को बाद में लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति हानि घटाकर गणना की जाती है, यदि कोई हो। ROU परिसंपत्तियों की लागत में मान्यता प्राप्त पट्टा दायित्वों की राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और पट्टा प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए पट्टा भुगतान शामिल होते हैं। ROU संपत्तियों का मूल्यह्रास आम तौर पर पट्टा अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन में से जो भी कम हो, उस पर स्ट्रेट–लाइन के आधार पर किया जाता है। पट्टे की अवधि उन तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करके निर्धारित की जाती है जो विस्तार विकल्प का प्रयोग करने या समाप्ति विकल्प का प्रयोग न करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन उत्पन्न करते हैं। अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाले पट्टों से संबंधित पट्टा भुगतान, संबंधित पट्टे की अवधि के दौरान, स्ट्रेट–लाइन के आधार पर लाभ–हानि के विवरण में दर्शाए जाते हैं।

कंपनी पट्टे की मान्यता की तिथि पर किए जाने वाले पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर की गई गणना को पट्टा दायित्वों के रुप में मान्यता देती है। ऐसे पट्टा दायित्वों में परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होते हैं) शामिल नहीं होते हैं, जिन्हें उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे किए जाते हैं। पट्टे के दायित्वों पर प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। ब्याज की वृद्धि को दर्शाने के लिए पट्टा दायित्वों को बाद में बढ़ाया जाता है और किए गए पट्टा भुगतानों के लिए घटाया जाता है। बाद में, ब्याज में वृद्धि को दर्शाने के लिए पट्टा दायित्वों को बढ़ा दिया जाता है और किए गए पट्टा भुगतानों के लिए घटा दिया जाता है। पट्टे की व्यवस्था में संशोधन या पट्टे की अवधि के मूल्यांकन में परिवर्तन होने पर पट्टा दायित्वों की वहन राशि भी पुनःगणना की जाती है। ऐसे पुनःगणना का प्रभाव ROU परिसंपत्तियों के मूल्य के अनुसार समायोजित किया जाता है।

3.18 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। अवधि के दौरान और प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को उन घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है, जैसे बोनस शेयर, संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण को छोड़कर, जिनसे बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या में परिवर्तन हुआ है, संसाधनों में तदनुरुपी परिवर्तन के बिना।

प्रति शेयर डाइलुटेड आय की गणना के उद्देश्य हेतु, इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए शुद्ध लाभ और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी डाइलेटेड संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.19 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू संपत्तियां

गैर–चालू परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वहन राशि मुख्यतः बिक्री लेनदेन के माध्यम से

वसूल की जाएगी, न कि निरंतर उपयोग के माध्यम से। यह शर्त तभी पूरी मानी जाएगी जब परिसंपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, बशर्ते कि ऐसी संपत्ति की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत शर्तें लागू हों और उसकी बिक्री अत्यधिक संभावित हो। प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिससे वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता प्राप्त होने की उम्मीद की जानी चाहिए।

बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों का न तो मूल्यह्रास किया जाता है और न ही उनका परिशोधन किया जाता है।

बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों को उनकी वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री की लागत घटाकर, जो भी कम हो, उस पर गणना की जाती है और उन्हें तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

3.20 लाभांश

भुगतान किए गए लाभांश (उस पर आयकर सहित) को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, या अंतिम लाभांश के संबंध में जब शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

3.21 नकद और बैंक शेष

तुलन पत्र में नकद और नकद समतुल्य में बैंकों और रोकड़ हाथ में तथा तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि शामिल होती हैं, जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य होता है।

नकद और बैंक शेष में सावधि जमा, मार्जिन मनी जमा, बैंकों में निर्धारित शेष और अन्य बैंक शेष भी शामिल हैं, जिनके प्रत्यावर्तन पर प्रतिबंध है। अल्पकालिक और तरल निवेश, जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य होता है, उन्हें नकद और नकद समतुल्यों के भाग के रूप में शामिल नहीं किया जाता है।

3.22 परिचालन खंड

परिचालन खंडों की रिपोर्टिंग मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (CODM) को प्रदान की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप की जाती है। CODM, जो संसाधनों के आवंटन और परिचालन खंडों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, को कॉर्पोरेट प्रबंधन समिति के रूप में पहचाना गया है।

खंडों को उन व्यवसायों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है जिनकी आर्थिक विशेषताएं समान होती हैं तथा साथ ही उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति, उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति, ग्राहक के प्रकार और वर्ग तथा वितरण विधियों में समानताएं प्रदर्शित होती हैं।

तृतीय–पक्ष ग्राहकों से प्राप्त खंड राजस्व की रिपोर्ट वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए राजस्व के आधार पर ही की जाती है। अंतर–खंड राजस्व की रिपोर्ट मुख्यतः बाजार–आधारित लेनदेन के आधार पर की जाती है। खंड परिणाम वित्तीय शुल्क, गैर आवंटित कॉर्पोरेट व्यय और करों से पूर्व लाभ दर्शाते हैं।

''अनआबंटित कॉर्पोरेट व्यय'' में राजस्व और व्यय शामिल हैं जो समग्र रूप से उद्यम से संबंधित पहलोंध्लागतों से संबंधित हैं।

3.23 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, जहां कर पूर्व लाभ को गैर–नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों, पूर्व या भविष्य की परिचालन नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन और नकदी प्रवाह के निवेश या वित्तपोषण से सम्बन्धित आय या व्यय के मदों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अलग–अलग किया जाता है।

3.24 पूर्व अवधि की त्रुटियां

पूर्व अवधि की त्रुटियों में वे चूकें और गलत विवरण शामिल हैं जो उस विश्वसनीय जानकारी का उपयोग न करने के कारण में उत्पन्न होते हैं जो उस समय उपलब्ध थी या प्राप्त की जा सकती थी जब उन अवधियों के लिए वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित किए गए थे। पिछली तुलनात्मक अवधि से संबंधित महत्वपूर्ण पूर्व अवधि की त्रुटियां को, जहां आवश्यक हो, तुलन पत्र और लाभ–हानि विवरण के तुलनात्मक आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत करके दर्शाया जाएगा। इस प्रकार, तुलनात्मक वित्तीय विवरणों में इसका खुलासा इस तरह किया जाएगा मानो त्रुटि हुई ही न हो।

3.25 रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं

'रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं' को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः

- **समायोजन घटनाएं :** समायोजन घटनाएं वे हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद स्थितियों का साक्ष्य प्रदान करती हैं ; और
- **गैर–समायोजन घटनाएं :** गैर–समायोजन घटनाएं वे हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद उत्पन्न हुई स्थितियों का संकेत देती हैं।

वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को रिपोर्टिंग अवधि के बाद समायोजनकारी घटनाओं को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को रिपोर्टिंग अवधि के बाद गैर–समायोजनकारी घटनाओं को दर्शाने करने के लिए समायोजित नहीं किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग अवधि के बाद गैर–समायोजनकारी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, तो ऐसी घटनाओं की प्रकृति और उसके वित्तीय प्रभाव के अनुमान के साथ खुलासा किया जाता है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

नोट 4 : मूर्त परिसंपत्तियां

चालू वर्ष

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	लागत तथा मानित लागत					संचित मूल्यह्रास और क्षति						आगे ले जाने वाली राशि	
	1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि	वृद्धि	समायोजन	निपटान	31 मार्च, 2025 को शेष राशि	1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि	समायोजन	मूल्यह्रास खर्चे	क्षति	निपटान	31 मार्च, 2025 को शेष राशि	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
परिसंपत्ति, प्लांट तथा उपकरण													
वाहन	25.95	-	-	-	25.95	23.34	-	1.30	-	-	24.64	1.31	2.61
सड़क, नालियां एवं जलापूर्ति	26.34	-	-	-	26.34	25.02	-	-	-	-	25.02	1.32	1.32
भवन	1,838.43	-	-	-	1,838.43	287.60	-	31.44	-	-	319.04	1,519.39	1,550.83
फर्नीचर और फिक्चर्स	398.50	-	-	2.92	395.58	196.19	-	30.27	-	1.17	225.29	170.29	202.31
कार्यालय उपकरण	135.70	-	-	-	135.70	74.58	-	9.20	-	-	83.78	51.92	61.12
पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट	580.00	-	-	-	580.00	551.00	-	-	-	-	551.00	29.00	29.00
अस्थाई निर्माण	26.13	-	-	-	26.13	26.13	-	-	-	-	26.13	-	-
संयंत्र एवं मशीन – आयातित	1,519.14	-	-	-	1,519.14	977.65	-	89.87	-	-	1,067.52	451.62	541.49
संयंत्र एवं मशीन – स्वदेशी	495.50	0.27	-	2.00	493.77	321.82	-	20.64	-	-	342.46	151.31	173.68
कम्प्यूटर एवं प्रिंटर्स	232.11	7.17	6.29	-	232.99	194.80	5.98	10.54	-	1.90	197.46	35.53	37.31
लीजहोल्ड परिसर													
भूमि	127.28	-	-	-	127.28	20.95	-	1.29	-	-	22.24	105.04	106.33
उपयोग	**5,405.08**	**7.44**	**6.29**	**4.92**	**5,401.31**	**2,699.08**	**5.98**	**194.55**	**-**	**3.07**	**2,884.58**	**2,516.73**	**2,706.00**
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**5,405.08**	**7.44**	**6.29**	**4.92**	**5,401.31**	**2,699.08**	**5.98**	**194.55**	**-**	**3.07**	**2,884.58**	**2,516.73**	**2,706.00**

4.1 कंपनी पंजाब नेशनल बैंक से फंड / गैर–फंड आधारित सीमा प्राप्त कर रही है, जो कच्चे माल, प्रक्रियाधीन स्टॉक और बंधक द्वारा सुरक्षित के माध्यम से सुरक्षित तथा कंपनी की अचल और चल पूंजीगत परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार द्वारा संपार्श्विक रूप से सुरक्षित है।

4.2 पट्टे पर दी गई भूमि में कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, सिरसी रोड, जयपुर में स्थित 40000 वर्ग मीटर क्षेत्र और मानसरोवर, जयपुर स्थित क्षेत्र में 2500 वर्ग मीटर क्षेत्र शामिल है।

पिछला वर्ष

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	लागत तथा मानित लागत					संचित मूल्यह्रास और क्षति						आगे ले जाने वाली राशि	
	1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	वृद्धि	समायोजन	निपटान	31 मार्च, 2024 को शेष राशि	1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	समायोजन	मूल्यह्रास खर्चे	क्षति	निपटान	31 मार्च, 2024 को शेष राशि	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
परिसंपत्ति, प्लांट तथा उपकरण													
वाहन	25.95	-	-	-	25.95	21.34	-	2.00	-	-	23.34	2.61	4.61
सड़क, नालियां एवं जलापूर्ति	26.34	-	-	-	26.34	25.02	-	-	-	-	25.02	1.32	1.32
भवन	1,838.43	-	-	-	1,838.43	256.21	-	31.39	-	-	287.60	1,550.83	1,582.22
फर्नीचर और फिक्चर्स	398.50	-	-	-	398.50	164.48	-	31.71	-	-	196.19	202.31	234.02
कार्यालय उपकरण	135.70	-	-	-	135.70	65.33	-	9.25	-	-	74.58	61.12	70.37
पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट	580.00	-	-	-	580.00	551.00	-	-	-	-	551.00	29.00	29.00
अस्थाई निर्माण	26.13	-	-	-	26.13	26.13	-	-	-	-	26.13	-	-
संयंत्र एवं मशीन – आयातित	1,519.14	-	-	-	1,519.14	887.73	-	89.92	-	-	977.65	541.49	631.41
संयंत्र एवं मशीन – स्वदेशी	495.50	-	-	-	495.50	302.80	-	19.02	-	-	321.82	173.68	192.70
कम्प्यूटर एवं प्रिंटर्स	217.67	16.72	2.28	-	232.11	190.51	(2.17)	6.46	-	-	194.80	37.31	27.16
लीजहोल्ड परिसर													
भूमि	127.28	-	-	-	127.28	19.66	-	1.29	-	-	20.95	106.33	107.62
उपयोग	**5,390.64**	**16.72**	**2.28**	**-**	**5,405.08**	**2,510.21**	**(2.17)**	**191.04**	**-**	**-**	**2,699.08**	**2,706.00**	**2,880.43**
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**5,390.64**	**16.72**	**2.28**	**-**	**5,405.08**	**2,510.21**	**(2.17)**	**191.04**	**-**	**-**	**2,699.08**	**2,706.00**	**2,880.43**

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

नोट 5 : अमूर्त परिसंपत्तियां

चालू वर्ष

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	लागत तथा मानित लागत					संचित मूल्यह्रास और क्षति				आगे ले जाने वाली राशि	
	1 अप्रैल, 2024 को शेष	अलग अधिग्रहण से वृद्धि	आंतरिक विकास से वृद्धि	बिक्री के लिए रखे गए निपटान या वर्गीकृत	31 मार्च, 2025 को शेष	1 अप्रेल, 2024 को शेष	परिशोधन खर्चे	समायोजन	31 मार्च, 2025 को शेष	31 मार्च, 2025 को शेष	31 मार्च, 2024 को शेष
तकनीकी जानकारी	72.70	-	-	-	72.70	72.70	-	-	72.70	-	-
उपयोग (अ)	**72.70**	**-**	**-**	**-**	**72.70**	**72.70**	**-**	**-**	**72.70**	**-**	**-**

पिछला वर्ष

विवरण	लागत तथा मानित लागत					संचित मूल्यह्रास और क्षति				आगे ले जाने वाली राशि	
	1 अप्रैल, 2023 को शेष	अलग अधिग्रहण से वृद्धि	आंतरिक विकास से वृद्धि	बिक्री के लिए रखे गए निपटान या वर्गीकृत	31 मार्च, 2024 को शेष	1 अप्रेल, 2023 को शेष	परिशोधन खर्चे	समायोजन	31 मार्च, 2024 को शेष	31 मार्च, 2024 को शेष	31 मार्च, 2023 को शेष
तकनीकी जानकारी	72.70	-	-	-	72.70	72.70	-	-	72.70	-	-
उपयोग (अ)	**72.70**	**-**	**-**	**-**	**72.70**	**72.70**	**-**	**-**	**72.70**	**-**	**-**

6. व्यापार प्राप्तियां – गैर चालू

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
(अ) असुरक्षित, शोध्य माने गए	116.17	102.92
कुल	**116.17**	**102.92**

7. व्यापार प्राप्तियां – चालू

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
संबंधित पार्टियों से		
(अ) असुरक्षित, शोध्य माने गए	1,284.85	2,078.74
अन्य से		
(अ) सुरक्षित, शोध्य माने गए	-	-
(ब) असुरक्षित, शोध्य माने गए	15,763.19	13,101.42
(स) संदिग्ध	2,849.37	2,529.74
घटाये : संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता	2,849.37	2,529.74
कुल	**17,048.04**	**15,180.16**

7.1 कंपनी ने 31 मार्च 2025 तक बकाया राशि की पुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र भेजे, लेकिन इन पत्रों का जवाब कंपनी को नहीं मिला है।

7.2 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की फेम II योजना में, 222 ईवीसीएस स्थापित करने के लिए 680 ईवीसीएस के लिए 8.15 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ था। अनुदान का उपयोग, बिल किए गए ईवीसीएस के 70% तक किया जा चुका है, इसके अतिरिक्त ईवीसीएस की शेष असमायोजित राशि के लिए 12.85 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्त होने हैं। मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स टेक्सो चार्जजोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परफोरमेंस बैंक गारंटी जमा करने के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण समझौता ज्ञापन समाप्त कर दिया गया था। मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड ने विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11(6) के तहत एसबी सिविल मध्यस्थता आवेदन संख्या 12/2023, 13/2023 और 14/2023 दायर किया है।

दिनांक 06.10.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने एक आदेश पारित किया, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति सबीना को पक्षों के बीच विवादों का निपटारा करने हेतु एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया और मध्यस्थ के निर्देशों के अनुसार, सामग्री रील को सौंप दी गई है और अंतिम निर्णय लंबित है। तदनुसार, लेखा पुस्तकों में समायोजन अंतिम निर्णय के अनुसार किया जाएगा। मेसर्स टेस्को चार्ज जोन को बैंक गारंटी प्रस्तुत न करने के कारण अनुबंध समाप्त कर दिया गया। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत एक मध्यस्थता आवेदन संख्या 286/2024–25 माननीय वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर के समक्ष दायर किया गया था।

8. आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)

तुलन पत्र में प्रस्तुत आस्थगित कर संपत्तियां/(दायित्व) का विश्लेषण निम्नलिखित है :

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
आस्थगित कर दायित्व	(368.60)	(368.42)
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	2,809.97	2,477.63
शुद्ध	**2,441.37**	**2,109.21**

8.1 आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की विश्वसनीयता का आकलन करते समय, प्रबंधन इस बात पर विचार करता है कि क्या आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों का कुछ भाग या संपूर्ण भाग वसूल नहीं किया जाएगा। आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की अंतिम प्राप्ति, उन अवधियों के दौरान भविष्य में कर योग्य आय के सृजन पर निर्भर करती है जिनमें अस्थायी अंतर कटौती योग्य हो जाते हैं। प्रबंधन इस आकलन में आस्थगित आयकर देनदारियों के निर्धारित प्रत्यावर्तन, अनुमानित भावी कर योग्य आय और कर नियोजन रणनीतियों पर विचार करता है। ऐतिहासिक कर योग्य आय के स्तर और आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की कटौती योग्य अवधियों के दौरान भविष्य की कर योग्य आय के अनुमानों के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि कंपनी इन कटौती योग्य अंतरों का लाभ प्राप्त करेगी। आस्थगित आयकर संपत्तियों की राशि वसूली योग्य मानी जाती है, हालांकि, यदि कैरी–फॉरवर्ड अवधि के दौरान भविष्य की कर योग्य आय के अनुमानों को कम कर दिया जाए, तो वसूली योग्य मानी जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की राशि निकट भविष्य में कम हो सकती है। प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, यह संभावना है कि कंपनी के पास आने वाले वर्षों में कर योग्य लाभ होंगे, जिन पर इस परिसंपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। कंपनी की आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की क्षमता का मूल्यांकन प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है, जिसमें भविष्य के कर योग्य परिणामों के पूर्वानुमान को ध्यान में रखा जाता है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

वर्तमान व्यापार प्राप्तियां एजिंग शिडयूल 31 मार्च, 2025 को

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – अच्छा माना जाता है	5,117.41	782.97	1,243.29	1,356.40	-	**8,500.07**
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – जिनसे क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	8,627.21	**8,627.21**
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट खराब	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	2,770.13	**2,770.13**
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनसे क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	**-**
(vi) विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट खराब	-	-	-	-	-	**-**
कुल	5,117.41	782.97	1,243.29	1,356.40	11,397.34	**19,897.41**
घटायें : संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	2,849.37	**2,849.37**
कुल व्यापार प्राप्तियां	**5,117.41**	**782.97**	**1,243.29**	**1,356.40**	**8,547.97**	**17,048.04**

गैर वर्तमान व्यापार प्राप्तियां एजिंग शिडयूल 31 मार्च, 2025 को

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – अच्छा माना जाता है	116.17	-	-	-	-	116.17
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – जिनसे क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट खराब	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनसे क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट खराब	-	-	-	-	-	-
कुल	116.17	-	-	-	-	116.17
कुल व्यापार प्राप्तियां	**116.17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**116.17**

वर्तमान व्यापार प्राप्तियां एजिंग शिडयूल 31 मार्च, 2024 को

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – अच्छा माना जाता है	3,443.58	843.63	215.41	3,948.56	-	**8,451.18**
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – जिनसे क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	7,487.40	**7,487.40**
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट खराब	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	1,771.32	**1,771.32**
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनसे क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	**-**
(vi) विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट खराब	-	-	-	-	-	**-**
कुल	3,443.58	843.63	215.41	3,948.56	9,258.72	**17,709.90**
घटायें : संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	2,529.74	**2,529.74**
कुल व्यापार प्राप्तियां	**3,443.58**	**843.63**	**215.41**	**3,948.56**	**6,728.98**	**15,180.16**

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

गैर वर्तमान व्यापार प्राप्तियां एजिंग शिडयूल 31 मार्च, 2024 को

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – अच्छा माना जाता है	102.92	-	-	-	-	102.92
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – जिनसे क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट खराब	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनसे क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट खराब	-	-	-	-	-	-
कुल	102.92	-	-	-	-	102.92
कुल व्यापार प्राप्तियां	**102.92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**102.92**

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष

विवरण	प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	अंतिम शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(दायित्व) के संबंध में :				
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	(297.11)	9.22	-	(287.89)
वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	7.94	1.46	-	9.40
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	736.27	93.47	-	829.74
आस्थगित राजस्व	(71.31)	(9.40)	-	(80.71)
आस्थगित व्यय	43.12	(3.06)	-	40.06
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	516.89	20.53	3.60	541.02
एमएसएमई ब्याज के प्रावधान	-	1.14	-	1.14
हानियों पर कर (आगे ले जाई गई हानि)	1,173.41	215.20	-	1,388.61
कुल	**2,109.21**	**328.56**	**3.60**	**2,441.37**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष

विवरण	प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	अंतिम शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(दायित्व) के संबंध में :				
परिसंपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	(346.29)	49.18	-	(297.11)
वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9.20	(1.26)	-	7.94
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	707.27	29.00	-	736.27
आस्थगित राजस्व	(102.23)	30.92	-	(71.31)
आस्थगित व्यय	70.78	(27.66)	-	43.12
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	589.96	(89.78)	16.71	516.89
हानियों पर कर (आगे ले जाई गई हानि)	1,284.54	(111.14)	-	1,173.41
कुल	**2,213.23**	**(120.74)**	**16.71**	**2,109.21**

9. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

9अ. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - गैर चालू

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
संबंधित पार्टियों से		
– प्रतिभूति जमा	0.40	0.40
अन्य	-	-
– प्रतिभूति जमा	53.37	75.60
– कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	2.76	2.76
– ईएमडी के रूप में जारी एफडीआर	-	-
– नकद एवं बैंक शेष तत्काल उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है (नीचे टिप्पणी देखें)	-	-
कुल	**56.53**	**78.76**

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

टिप्पणी : नकद और बैंक शेष का विवरण, तत्काल उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हे।

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
बैंक शेष (उस पर अर्जित ब्याज सहित) तत्काल उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह मार्जिन मनी के रूप में बैंक के पास गिरवी रखी गई जमा राशि है।	-	224.64
घटायें : अन्य बैंक शेष के तहत दर्शाई गई राशि (नोट 11ए)	-	224.64
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत दर्शाई गई राशि-गैर-चालू (नोट 9ए)	-	-

9ब. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - चालू

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
– प्रतिभूति जमा	7.33	6.24
– बयाना राशि	175.00	107.40
कुल	**182.33**	**113.64**

10. इन्वेंट्री

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
इन्वेंट्री		
कच्चा माल	813.81	1,181.41
उत्पादन विभाग में कच्चा माल	506.17	540.10
तैयार माल	369.86	182.17
पैंकिग सामग्री	11.92	9.37
भंडार और पुर्जे	-	-
ढीले औज़ार	-	-
परिवहन में माल	-	-
व्यापार में स्टॉक	-	-
अन्य	-	-
कुल	**1,701.76**	**1,913.05**

10.1 इन्वेंट्री में नॉन मूविंग आइटम और स्लो मूविंग आइटम शामिल हैं।

10.2 इस इन्वेंट्री में बिक्री रिवर्सल के विरुद्ध 20.29 लाख रुपये की इन्वेंट्री भी शामिल है, जिसके लिए वर्ष 2025–26 के दौरान क्रेडिट नोट जारी किया गया है।

11. नकद और नकद समतुल्य

नकदी प्रवाह के विवरण के प्रयोजनों के लिए, नकद और नकद समतुल्यों में शेष नकद और बैंकों में बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध शामिल है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष, जैसा कि नकदी प्रवाह विवरण में दिखाया गया है, को तुलन पत्र में संबंधित मदों के साथ निम्नानुसार मिलान किया जा सकता है:

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
बैंकों में शेष (अ+ब+स)	**4,844.99**	**1,116.99**
पीएनबी बचत खाता (अ)	0.14	0.14
अन्य बैंक बैलेंस (ब)	946.47	104.95
बैंक में जमा (स)	3,898.38	1,011.90
रोकड़ हाथ में	1.90	1.03
चेक, ड्राफ्ट हाथ में	-	-
नकद और नकद समतुल्य	**4,846.89**	**1,118.02**

FAME II योजना के अंतर्गत भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) से प्राप्त सब्सिडी को बचत खाते में रखा गया है और ये धनराशि सामान्य व्यवसाय संचालन के लिए उपलब्ध नहीं होती है।

11ए. अन्य बैंक शेष

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
बैंक के पास मार्जिन मनी के रूप में गिरवी रखी गई बैंक जमा राशि (परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम)	116.29	224.64
ईएमडी के रूप में जारी की गई एफडीआर	79.32	82.94
कुल	**195.61**	**307.58**

टिप्पणी : कंपनी पंजाब नेशनल बैंक से फंड/गैर–फंड आधारित सीमाएं प्राप्त कर रही है,जो कच्चे माल, प्रक्रिया में स्टॉक, तैयार माल और बुक डेट के दृष्टिबंधक के माध्यम से सुरक्षित है तथा कंपनी की अचल और चल पूंजीगत परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार द्वारा संपार्श्विक रूप से सुरक्षित है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

12. अन्य परिसंपत्तियां - गैर चालू

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
कर्मचारियों के खर्चों के विरुद्ध अग्रिम राशि	11.11	1.12
जीएसटी अपील के विरुद्ध जमा राशि	47.92	23.84
पूर्व–भुगतान व्यय	13.08	11.32
अन्य अग्रिम	10.47	18.89
विक्रेताओं को अग्रिम	15.95	10.34
जीएसटी समायोज्य	-	571.05
प्राप्त अग्रिम पर जमा जीएसटी	306.46	7.63
जीएसटी टीडीएस	85.58	79.81
कुल	**490.57**	**724.00**

13. वर्तमान कर परिसंपत्तियां एवं दायित्व

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
वर्तमान कर परिसंपत्तियां		
पूर्व अवधि में भुगतान किए गए करों की वसूली के लिए कर हानि का लाभ वापस लिया जाएगा	-	-
करों का अग्रिम भुगतान	298.34	457.68
	298.34	**457.68**
वर्तमान कर दायित्व	-	-
देय आयकर	18.41	18.40
	18.41	**18.40**
वर्तमान कर परिसंपत्तियां / (दायित्व)	**279.93**	**439.28**

14. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
इक्विटी शेयर पूंजी	1,225.00	1,225.00
कुल	**1,225.00**	**1,225.00**

प्राधिकृत शेयर पूंजी:		
1,50,00,000 इक्विटी शेयर्स प्रत्येक 10/– रु. के (31 मार्च, 2025 तकः 1,50,00,000)	1,500.00	1,500.00
निर्गमित और खरीदे गए पूंजी में शामिल है :		
1,22,50,000 इक्टिवी शेयर्स पूर्ण प्रदत्त, प्रत्येक 10/– रु. के (31 मार्च, 2025 तक : 1,22,50,000)	1,225.00	1,225.00
	1,225.00	**1,225.00**

14.1 अवधि के दौरान बदलाव

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
विवरण	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी (राशि)	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी (राशि)
अवधि के आरंभ में शेष	1,22,50,000	1,225.00	1,22,50,000	1,225.00
बदलाव	-	-	-	-
अवधि के अंत में शेष	1,22,50,000	1,225.00	1,22,50,000	1,225.00

पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर, जिनका 10 रुपये के बराबर मूल्य है, प्रति शेयर एक वोट रखते हैं और लाभांश का अधिकार रखते हैं।

14.2 प्रत्येक शेयरधारक द्वारा रखे गए 5% से अधिक शेयर का विवरण

	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
विवरण	धारित शेयरों की संख्या	शेयरों की श्रेणी में % होल्डिंग	धारित शेयरों की संख्या	शेयरों की श्रेणी में % होल्डिंग
<u>इक्विटी शेयर्सः</u>				
भारत सरकार	62,47,500	51%	62,47,500	51%
रीको, जयपुर	60,02,500	49%	60,02,500	49%
कुल	1,22,50,000	100%	1,22,50,000	100%

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

14.3 प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

वर्ष के अंत में प्रमोटर द्वारा रखे गए शेयर			वर्ष के दौरान % परिवर्तन
प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरो का %	
भारत सरकार	62,47,500	51%	-
मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर	60,02,500	49%	-

14.4 पूर्ववर्ती पांच वर्षों के लिए शेयरों का विवरण

विवरण	31/03/2024	31/03/2023	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2020
नकद भुगतान प्राप्त किए बिना अनुबंधों के लिए आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या	-	-	-	-	-
बोनस शेयर के रूप में जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	-	-	-	-	-
वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की संख्या	-	-	-	-	-

15. अन्य इक्विटी

इक्विटी शेष में विस्तृत बदलाव के लिए इक्टिवी में परिवर्तन का विवरण देखें।

चालू वर्ष

विवरण	सामान्य संचय	प्रतिधारित अर्जन	कुल
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	5,273.45	62.59	5,336.04
जोड़े : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	(895.43)	(895.43)
जोड़े : अन्य व्यापक आय	-	(8.76)	(8.76)
घटाइयें : प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	(900.00)	-	(900.00)
जोड़े : सामान्य संचय में स्थानांतरण	-	900.00	900.00
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**4,373.45**	**58.40**	**4,431.85**

पिछला वर्ष

विवरण	सामान्य संचय	प्रतिधारित अर्जन	कुल
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	4,973.45	87.09	5,060.54
जोड़े : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	316.14	316.14
जोड़े : अन्य व्यापक आय	-	(40.64)	(40.64)
घटाइयें : प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	300.00	-	300.00
जोड़े : सामान्य संचय में स्थानांतरण	-	(300.00)	(300.00)
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**5,273.45**	**62.59**	**5,336.04**

16. अन्य वित्तीय देनदारियां – चालू

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
(अ) बयाना राशि	88.07	40.03
(ब) रिटेंशन राशि	20.96	20.96
(स) प्रतिभूति जमा	142.89	97.64
(द) कर्मचारी लाभ देय	79.98	84.29
(य) अन्य	108.80	111.65
(ल) खर्चों के विरुद्व कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति	12.93	18.40
कुल	**453.63**	**372.97**

17. प्रावधान

17 ए. प्रावधान – गैर चालू

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
कर्मचारी लाभ	306.90	292.22
कुल	**306.90**	**292.22**

17 बी. प्रावधान – चालू

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
कर्मचारी लाभ	1,010.72	879.67
वारंटी के लिए प्रावधान	50.00	50.00
कुल	**1,060.72**	**929.67**

17.1 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान में ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, आधा वेतन अवकाश और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना के लिए देयता का प्रावधान शामिल है। उपरोक्त को एक्चुअरी द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

17.2 ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं के साथ–साथ वस्तुओं के लिए भी वारंटी प्रदान की जाती है। कंपनी इंड एएस 37 के अनुसार वारंटी खर्चों के लिए प्रावधान करती है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

18. अन्य दायित्व

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

18 ए. अन्य गैर-चालू दायित्व

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
– आय से संबंधित आस्थगित अनुदान	16.02	17.09
– आस्थगित राजस्व	148.44	130.17
कुल	**164.46**	**147.26**

18 बी. अन्य चालू दायित्व

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
ग्राहकों से अग्रिम		
संबंधित पक्षों से	-	42.39
अन्य से	3,207.87	1,674.12
– आय से संबंधित आस्थगित अनुदान	12.87	12.87
– परिसंपत्ति से संबंधित आस्थगित अनुदान	1.07	1.07
– भारत की संचित निधि के अंतर्गत देय ब्याज	0.13	0.13
– आस्थगित राजस्व	163.73	165.94
– वैधानिक बकाया	282.35	168.53
कुल	**3,668.02**	**2,065.05**

18.1 आय से संबंधित आस्थगित अनुदान को लाभ या हानि में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि में मान्यता दी जाएगी जिसमें संस्था संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देती है, जिसके लिए अनुदानों से क्षतिपूर्ति करने का इरादा है।

18.2 परिसंपत्तियों से संबंधित आस्थगित अनुदान को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि के रुप में मान्यता दी जाती है।

19 ए. व्यापार देय - गैर चालू

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
संबंधित पार्टियों से	-	-
अन्य से		
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लेनदारों की बकाया राशि	-	-
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की बकाया राशि	16.60	48.52
कुल	**16.60**	**48.52**

19 बी. व्यापार देय - चालू

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
संबंधित पार्टियों से	-	-
अन्य से		
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लेनदारों की बकाया राशि	2,193.76	2,214.10
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की बकाया राशि	16,354.99	12,161.79
कुल	**18,548.75**	**14,375.89**

19.1 उपरोक्त बकाया राशि में मेसर्स सनटेक इंडस्ट्रीज को संविदात्मक दायित्वों को पूरा न करने के कारण देय 3229.89 लाख रुपये शामिल हैं। कंपनी के ग्राहकों मेसर्स प्रादेशिक सहकारी डेयरी फेडरेशन (PCDF) उत्तर प्रदेश और मेसर्स यूपीनेडा के संबंध में पार्टी पहले ही निचली अदालत में दो मामले हार चुकी है। PCDF के मामले में 29.09.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने एक मध्यस्थ नियुक्त करने और मध्यस्थता की कार्यवाही में विचारार्थ आने वाले सभी मुद्दों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। दिनांक 27.05.2025 के आदेश द्वारा दोनों पक्षों को मुद्दावार और दावावार अपने–अपने लिखित तर्क प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। मामला अब अंतिम निर्णय के लिए तैयार है। UPNEDA के मामले में, मैसर्स सनटेक इंडस्ट्रीज द्वारा माननीय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष एस.बी.सिविल मध्यस्थता आवेदन दायर किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा एस.बी. मध्यस्थता आवेदन संख्या 133/2021 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2023 के तहत, इस मामले में एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। मामला मध्यस्थ के समक्ष विचाराधीन है।

वर्तमान व्यापार देय एजिंग निर्धारण 31 मार्च, 2025 को

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) एमएसएमई	858.55	122.47	233.44	88.60	890.70	**2,193.76**
(ii) अन्य	5,846.50	495.68	655.24	304.55	5,706.41	**13,008.38**
(iii) विवादित बकाया–एमएसएमई	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित बकाया–अन्य	-	-	16.19	0.11	3,330.31	**3,346.61**
कुल	**6,705.05**	**618.15**	**904.87**	**393.26**	**9,927.42**	**18,548.75**

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

गैर वर्तमान व्यापार देय एजिंग निर्धारण 31 मार्च, 2025 को

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	16.60	-	-	-	-	16.60
(iii) विवादित बकाया–एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया–अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	**16.60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.60**

वर्तमान व्यापार देय एजिंग निर्धारण 31 मार्च, 2024 को

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) एमएसएमई	918.92	239.28	74.33	113.65	867.92	**2,214.10**
(ii) अन्य	2,532.00	294.74	249.21	2,124.88	3,731.06	**8,931.89**
(iii) विवादित बकाया–एमएसएमई	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित बकाया–अन्य	-	-	-	-	3,229.90	**3,229.90**
कुल	**3,450.92**	**534.02**	**323.54**	**2,238.53**	**7,828.88**	**14,375.89**

गैर वर्तमान व्यापार देय एजिंग निर्धारण 31 मार्च, 2024 को

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	48.52	-	-	-	-	48.52
(iii) विवादित बकाया–एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया–अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	**48.52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.52**

20. आकस्मिक दायित्व, आकस्मिक परिसंपत्ति और प्रतिबद्धता

20.1 आकस्मिक दायित्व

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
(अ) कंपनी की ओर से बैंकरों द्वारा दी गई गारंटी	1,214.20	1,197.36
(ब) कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	7,445.07	8,017.94
(स) जीएसटी डिमांड पर उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त	238.46	238.46
(द) जीएसटी डिमांड आयुक्त अपील के पास लंबित है	304.45	-
(य) सेवा कर डिमांड – उच्च न्यायालय में अपील लंबित है	3.82	3.82

20.1.1 कंपनी के विरुद्ध जिन दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, उनमें मैसर्स सनटेक इंडस्ट्रीज, मेसर्स उत्तम प्रकाश, मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स केबीएस सर्टिफिकेशन, कंपनी के संविदा कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के ग्रेच्युटी से संबंधित मामले शामिल हैं, जिनके लिए अदालत में मुकदमा लंबित है।

20.1.2 आकस्मिक दायित्व को तब पहचाना जाता है जब कोई संभावित दायित्व अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से मंगठन के नियंत्रण में होती हैं। एमएसएमई विक्रेताओं में से एक, मैसर्स गनसम ग्लोबल सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिस पर 14.75 लाख रुपये की राशि बकाया है ने MSMED अधिनियम, 2006 के अनुसार ब्याज का दावा किया है और अमरावती में आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया है। 26.12.2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत जयपुर स्थित मध्यस्थता न्यायालय में अपील दायर करने का निर्देश दिया। अब मामला वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर में लंबित है। प्रबंधन के अनुसार, ब्याज दायित्व का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए, इसे आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रकट नहीं किया गया है।

20.1.3 मेसर्स केबीएस सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने इस मामले में एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11(6) के अंतर्गत एस.बी. मध्यस्थता आवेदन दायर किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09.02.2024 के माध्यम से न्यायमूर्ति आर.एस. कुल्हारी (डी.जे. सेवानिवृत्त) को एस.बी. मध्यस्थता आवेदन संख्या 31/2023 में एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है।

20.1.4 मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड ने विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11(6) के अंतर्गत एस.बी. सिविल मध्यस्थता आवेदन संख्या 12/2023, 13/2023 और 14/2023 दायर किया है। दावे की कुल राशि 2269 लाख रुपये है। 06.10.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने एक आदेश पारित किया, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति सबीना को पक्षों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया। 20.05.2025 को अंतिम बहस पूरी हुई और मध्यस्थ ने अंतिम निर्णय सुरक्षित रख लिया।

20.2 आकस्मिक परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
बीमा दावें दर्ज किए गए लेकिन स्वीकृत/निपटाए नहीं किये गए	-	-
कुल	**-**	**-**

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

20.3 प्रतिबद्धताएं

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
प्रतिबद्धताएं		
सेवा और रखरखाव अनुबंधों सहित निष्पादित किए जाने वाले और प्रदान नहीं किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि	25,562.83	6,197.17
कुल	**25,562.83**	**6,197.17**

21. परिचालन से राजस्व

कंपनी के निरंतर परिचालन से अवधि के लिए प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नलिखित है।

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
(अ) बिक्री		
निर्यात	1,637.58	6,554.88
घरेलू	11,601.89	8,962.57
(ब) सेवाओं की बिक्री	-	-
सेवा रखरखाव और स्थापना शुल्क	2,509.31	3,060.61
(स) अन्य परिचालन राजस्व		
अनुदान सहायता	-	-
(द) उत्पाद शुल्क	-	-
कुल	**15,748.78**	**18,578.06**

21.1 सहायता अनुदान में पिछले वर्ष में 12.87 लाख रुपये की आय से संबंधित अनुदान शामिल है, जिसे उस अवधि में व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, जिसमें संगठन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में पहचानती है, जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा है।

21.2 राजस्व वियोजन जैसा कि खंड सूचना में शामिल किया गया है (नोट 34 देखें)।

21.3 असंतुष्ट (या आंशिक रूप से संतुष्ट) निष्पादन दायित्वों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य का कुल मूल्य 312.17 लाख रुपये है, जिसमें से 52.44% अगले वर्ष मान्यता मिलने की उम्मीद है। ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त किसी भी प्रतिफल को उपरोक्त राशि से बाहर नहीं रखा गया है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आस्थगित राजस्व में परिवर्तन इस प्रकार हैं :

वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	**296.11**
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	(166.98)
वर्ष के दौरान वृद्धि	183.04
वर्ष के अंत में शेष राशि	**312.17**

22. अन्य आय

अ) ब्याज आय

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
बैंक जमा	49.93	53.58
अन्य	42.34	52.87
कुल (अ)	**92.27**	**106.45**

ब) अन्य गैर–परिचालन आय

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
बीमा रसीद	3.71	5.77
वाहन रसीद	2.89	4.17
सरकारी अनुदान का परिशोधन*	1.07	1.07
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव (शुद्ध)	30.67	71.23
निर्यात पर डयूटी ड्रॉबैक	26.70	120.26
किराया रसीद	52.16	26.00
अन्य (गैर–भौतिक वस्तुओं का कुल योग)	1.75	8.53
कुल (ब)	**118.95**	**237.03**
कुल (अ+ब)	**211.22**	**343.48**

*1,06,800 रुपये के अनुदान का परिशोधन (पिछले वर्ष में 1,06,800 रुपये) परिसंपत्ति से संबंधित अनुदान का परिशोधन है जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

23. उपभोग की गई सामग्री की लागत

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
उपभोग की गई सामग्री की लागत		
प्रारंभिक स्टॉक	1,730.88	1,803.76
जोड़ें : कच्चे माल की खरीद	8,654.76	10,126.90
	10,385.64	**11,930.66**
घटायें : अंतिम स्टॉक	1,331.90	1,730.88
कुल	**9,053.74**	**10,199.78**

23 ए. उपभोग की गई सामग्री का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
(अ) खपत किए गए कच्चे माल का विवरण		
सौर ऊर्जा उपकरण		
– सोलर सेल्स	121.16	230.72
– अन्य	5,645.63	6,276.46
इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एनेलाइजर	3,254.50	3,659.68
उपभोग्य और पैकिंग सामग्री	32.45	32.92
कुल	**9,053.74**	**10,199.78**
(ब) आयातित और स्वदेशी सामग्री की खपत का मूल्य		
आयातित	352.69	381.04
स्वदेशी	8,701.05	9,818.74
कुल	**9,053.74**	**10,199.78**

24. तैयार माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
स्टॉक में वृद्धि(–)/कमी(+)		
प्रारंभिक स्टॉक		
तैयार माल	182.17	271.04
	182.17	271.04
घटाइयें : अंतिम स्टॉक		
तैयार माल	369.86	182.17
	369.86	182.17
तैयार माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन	(187.69)	88.87
कुल	**(187.69)**	**88.87**

25. कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
वेतन और मजूदरी	2,874.61	2,883.06
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	322.42	293.26
कर्मचारी कल्याण व्यय	39.87	41.56
चिकित्सा व्यय	47.23	38.73
कुल	**3,284.13**	**3,256.61**

26. वित्त लागत

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
ब्याज लागत*	3.93	0.96
बैंक शुल्क	11.51	52.29
बैंक गारंटी कमीशन	14.91	30.07
कुल	**30.35**	**83.32**

*इसमें एमएसएमई बकाया पर ब्याज के लिए प्रदान किए गए 3.92 लाख रुपये शामिल हैं।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

27. मूल्यह्रास, क्षति और परिशोधन व्यय

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
निरंतर संचालन से संबंधित परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का मूल्यह्रास	194.55	191.04
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की क्षति	-	-
घटाइयें : पिछले वर्ष का मूल्यह्रास जिसे बट्टे खाते में डाला गया है	-	-
अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन	-	-
निरंतर संचालन से संबंधित कुल मूल्यह्रास, क्षति और परिशोधन	**194.55**	**191.04**

28. अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
अन्य व्यय		
विद्युत एवं ईंधन	43.09	40.62
मरम्मत एवं रखरखाव		
– प्लांट एवं मशीनरी	11.29	5.30
– भवन	26.12	5.65
– अन्य	3.12	4.72
टेस्टिंग और अन्य खर्च	2.13	32.33
अनुसंधान एवं विकास के लिए घटक और प्रोटोटाइप	3.20	4.51
किराया	15.22	14.75
दर और कर	20.86	16.50
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	13.27	11.75
यात्रा एवं परिवहन	76.36	92.77
डाक एवं संचार व्यय	13.98	16.43
कानूनी एवं व्यावसायिक शुल्क	54.96	55.31
सुरक्षा, सफाई और अन्य व्यय	123.07	77.71
लेखा परीक्षकों को भुगतान	2.98	2.62
बीमा शुल्क	8.84	7.78
संदिग्ध देनदारी की स्वीकार्यता	319.63	100.93
विज्ञापन और व्यावसायिक प्रचार	37.23	16.77
अग्रेषण व्यय	193.81	438.09
वारंटी दायित्व	80.72	59.05
रॉयल्टी, छूट और कमीशन	237.07	189.39
सेवा, रखरखाव और स्थापना शुल्क	3,486.14	3,415.40
विविध व्यय	34.79	56.55
डूबत खाते	0.72	-
परिसंपत्तियों की हानि को हटाना	0.31	0.11
कुल	**4,808.91**	**4,665.04**

28.1 लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक का विवरण

लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
(अ) सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	1.25	1.25
(ब) कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.70	0.70
(स) प्रमाणन कार्य	0.78	0.42
(द) जेब खर्च से बाहर	0.25	0.25
कुल	**2.98**	**2.62**

28.2 विविध व्ययों में निदेशक की बैठक फीस 0.32 लाख रुपये (पिछले वर्ष 0.60 लाख रुपये) और बोर्ड मीटिंग व्यय 0.07 लाख रुपये (पिछले वर्ष 0.07 लाख रुपये) शामिल हैं।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

29. सतत संचालन से संबंधित आय कर

29.1 लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त आय कर

विवरण	**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष**
वर्तमान कर		
वर्तमान अवधि के संबंध में	-	-
पिछले वर्षों से संबंधित कर का समायोजन	-	-
	-	-
प्रावधान वापसी		
पिछली अवधि के संबंध में	-	-
	-	-
आस्थगित कर		
वर्तमान अवधि के संबंध में	328.56	(120.74)
पिछले वर्ष से संबंधित कर का समायोजन	-	-
	328.56	**(120.74)**
वर्तमान अवधि में जारी चालू संचालन से संबंधित मान्यता प्राप्त कुल आयकर व्यय	**328.56**	**(120.74)**

29.2 अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर

विवरण	**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**
आस्थगित कर		
परिभाषित लाभ दायित्व का पुनर्मूल्यांकन	3.60	16.71
कुल	**3.60**	**16.71**
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर का विभाजन :– ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	3.60	16.71

30. प्रति शेयर आय

विवरण	**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**
	रु. प्रति शेयर	**रु. प्रति शेयर**
निरंतर संचालन से		
कर पश्चात लाभ/(हानि)	(895.43)	316.14
मूल ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	122.50	122.50
प्रति शेयर मूल आय (प्रत्येक 10/- रुपये का एक इक्विटी शेयर)	**(7.31)**	**2.58**
डाइलुटेड ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	122.50	122.50
प्रति शेयर डाइलुटेड आय (प्रत्येक 10/- रुपये का एक इक्विटी शेयर)	**(7.31)**	**2.58**
निरंतर संचालन से	**रु. प्रति शेयर**	**रु. प्रति शेयर**
प्रति शेयर मूल आय	(7.31)	2.58
प्रति शेयर डाइलुटेड आय	(7.31)	2.58

30.1 प्रति शेयर मूल आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या इस प्रकार है।

विवरण	**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**
कंपनी के मालिकों को देय अवधि के लिए लाभ/(हानि) (अ)	(895.43)	316.14
प्रति शेयर मूल आय के प्रयोजनों के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (ब)	122.50	122.50
प्रति शेयर मूल आय (अ/ब)	**(7.31)**	**2.58**

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

30.2 प्रति शेयर डाइलुटेड आय (सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

प्रति शेयर डाइलुटेड आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आय इस प्रकार है :

प्रति शेयर डाइलुटेड आय के उद्देश्य के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग किए गए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के साथ मेल खाती है :

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय	(895.43)	316.14
प्रति शेयर डाइलुटेड आय की गणना में प्रयुक्त आय (अ)	(895.43)	316.14
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	122.50	122.50
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (ब)	122.50	122.50
प्रति शेयर डाइलुटेड आय (अ/ब)	**(7.31)**	**2.58**

31. कर्मचारी लाभ योजनाएं

31.1 परिभाषित योगदान योजनाएं

कंपनी अपने सभी अर्हक कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, भारत सरकार में अनुरक्षित परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं में योगदान देती है।

लाभ या हानि खाते में कुल व्यय 218.63 लाख रुपये (पिछले वर्ष 221.88 लाख रुपये) दर्ज किया गया।

31.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड योजना का प्रबंधन एक पॉलिसी द्वारा किया जाता है, जिसका प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अनुमोदित ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड के माध्यम से किया जाता है। दायित्व का वर्तमान मूल्य, योजना की देनदारियों का आकलन करने के लिए अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्ति, इस्तीफे और सेवा–काल में मृत्यु से संबंधित लाभ शामिल हैं।

निवेश जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता (भारतीय रुपये में अंकित) का वर्तमान मूल्य छूट दर का उपयोग करके गणना की जाती है, जो सरकारी बॉन्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में निर्धारित होती है। चूंकि निवेश बीमा कंपनी (एलआईसी) के पास है, इसलिए परिसंपत्तियों को सुरक्षित माना जाता है।
ब्याज जोखिम	बांड ब्याज दर में कमी से योजना की देनदारी बढ़ जाएगीय हालांकि, योजना के ऋण निवेश पर रिटर्न में वृद्धि से इसकी आंशिक भरपाई हो जाएगी।
दीर्घावधि जोखिम	परिभाषित लाभ योजना दायित्व का वर्तमान मूल्य, योजना प्रतिभागियों की उनके रोजगार के दौरान और उसके बाद मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देनदारी भी बढ़ेगी।
वेतन जोखिम	परिभाषित लाभ योजना दायित्व का वर्तमान मूल्य, योजना प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में गणना किया जाता है। इस प्रकार, योजना प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देनदारी भी बढ़ जाएगी।

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त प्रमुख धारणाएं इस प्रकार थीं।

विवरण	मूल्यॉंकन	
	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
डिस्कांउट की दर	6.72%	7.20%
वेतन में वृद्धि की दर	6.00%	6.00%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	3.00%	3.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिर्टन	6.72%	7.20%
मृत्यु दर (रोजगार के दौरान)	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012–14) (शहरी)	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012–14) (शहरी)

अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में संगठन के दायित्व से उत्पन्न होने वाली तुलन पत्र में शामिल राशि निम्नानुसार है।

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
वित्त पोषित परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(1,480.64)	(1,486.46)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	958.73	655.62
वित्त पोषित स्थिति	(521.91)	(830.84)
मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति पर प्रतिबंध		
परिभाषित लाभ दायित्व से उत्पन्न शुद्ध दायित्व	**(521.91)**	**(830.84)**

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत निम्नानुसार हैं :

विवरण	**31 मार्च, 2025 को**	**31 मार्च, 2024 को**
अवधि में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,486.46	1,479.35
अवधि के प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	(655.62)	(783.02)
प्रारंभ में शुद्ध दायित्व/(परिसंपत्ति)	**830.84**	**696.33**
ब्याज लागत	107.03	110.06
(ब्याज आय)	(47.21)	(58.26)
वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत	**59.82**	**51.80**

वर्तमान अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय निम्नानुसार है :

विवरण	**31 मार्च, 2025 को**	**31 मार्च, 2024 को**
वर्तमान सेवा लागत	31.37	31.43
शुद्ध ब्याज लागत	59.82	51.80
पिछली सेवा लागत	-	-
मान्यता प्राप्त व्यय	**91.19**	**83.23**

वर्तमान अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त व्यय निम्नानुसार है :

विवरण	**31 मार्च, 2025 को**	**31 मार्च, 2024 को**
अवधि के लिए दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	38.05	51.33
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न, ब्याज आय को छोड़कर	(25.69)	6.02
परिसंपत्तियों की सीमा में परिवर्तन	-	-
ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	**12.36**	**57.35**

प्रक्षेपित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है :

विवरण	**31 मार्च, 2025 को**	**31 मार्च, 2024 को**
प्रारंभिक प्रक्षेपित लाभ दायित्व	1,486.46	1,479.35
ब्याज लागत	107.03	110.06
वर्तमान सेवा लागत	31.37	31.43
पिछली सेवा लागत	-	-
पुनर्मूल्यांकन (लाभ)/हानिः	-	-
जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानि	-	-
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकित लाभ और हानि	32.76	16.39
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानि	5.29	34.95
फंड से लाभ भुगतान	(182.27)	(185.72)
अंतिम प्रक्षेपित लाभ दायित्व	**1,480.64**	**1,486.46**

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्यों में परिवर्तन निम्नानुसार है :

विवरण	**31 मार्च, 2025 को**	**31 मार्च, 2024 को**
योजना परिसंपत्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	655.62	783.02
ब्याज आय	47.21	58.26
योजना परिसंपत्तियों पर रिर्टन (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	25.69	(6.02)
नियोक्ता का अंशदान	412.47	6.08
फंड से भुगतान किया गया लाभ	(182.27)	(185.72)
योजना परिसंपत्तियों का अंतिम उचित मूल्य	**958.72**	**655.62**

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

तुलन पत्र मिलान

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
प्रारंभिक शुद्ध दायित्व	830.84	696.33
लाभ–हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	91.19	83.23
ओसीआई में मान्यता प्राप्त व्यय	12.36	57.36
अंतरण में शुद्ध दायित्व/(परिसंपत्ति)	-	-
शुद्ध दायित्व/(परिसंपत्ति) अंतरण के बाहर	-	-
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
(नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ)	-	-
नियोक्ता से अंशदान	(412.47)	(6.08)
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध दायित्व/(परिसंपत्ति)	**521.92**	**830.84**

परिसंपत्तियों की श्रेणी

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
बीमा फंड	958.73	655.62
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध दायित्व/(परिसंपत्ति)	**958.73**	**655.62**

अन्य जानकारियां

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
सक्रिय सदस्यों की संख्या	186	197
सक्रिय सदस्यों के लिए प्रति माह वेतन	151.98	152.56
अनुमानित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	-	-
औसत अपेक्षित भावी सेवा	-	-
अनुमानित लाभ दायित्व (पीबीओ)	1,480.64	1,486.46
अगले वर्ष (12 माह) के लिए निर्धारित अंशदान	151.98	152.56

अगले वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,480.64	1,486.46
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(958.73)	(655.62)
अवधि के अंत में शुद्ध दायित्व/(परिसंपत्ति)	521.91	830.84
ब्याज लागत	99.50	107.03
(ब्याज आय)	(64.43)	(47.21)
अगली अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत	35.07	59.82

अगले अवधि के लिए लाभ–हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
वर्तमान सेवा लागत	29.95	31.37
शुद्ध ब्याज लागत	35.07	59.82
मान्यता प्राप्त व्यय	**65.02**	**91.19**

प्रक्षेपित लाभ दायित्व का परिपक्वता विश्लेषण: फंड से

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
रिपोर्टिंग की तारीख से भविष्य के वर्षों में देय अनुमानित लाभ		
पहला आगामी वर्ष	335.34	253.40
दूसरा आगामी वर्ष	114.80	205.42
तीसरा आगामी वर्ष	230.19	199.19
चौथा आगामी वर्ष	147.01	215.96
पांचवां आगामी वर्ष	127.46	137.03
6 से 10 वर्ष का योग	565.77	557.44
11 वर्ष और उससे उधिक का योग	711.06	731.85

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
वर्तमान मान्यताओं पर अनुमानित लाभ दायित्व	1,480.64	1,486.46
डिस्काऊंटिग दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(66.30)	(65.55)
डिस्काऊंटिग दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	74.39	73.25
वेतन वृद्धि की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	38.67	38.91
वेतन वृद्धि की दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(38.82)	(38.17)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	12.67	13.88
कर्मचारी टर्नओवर की दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(14.05)	(15.30)

32. वित्तीय साधन

32.1 पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से इक्विटी शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी पर विचार किया जाता है।

कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन इस तरह करती है कि वह एक चालू व्यवसाय के रूप में अपनी क्षमता को सुरक्षित रख सके और शेयरधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान कर सके। कंकंपनी की पूंजी संरचना, निवेशकों, लेनदारों और बाजार का विश्वास बनाए रखने के लिए, कुल इक्विटी पर केंद्रित, प्रबंधन द्वारा उसकी रणनीतिक और दैनिक आवश्यकताओं के आकलन पर आधारित है।

प्रबंधन और निदेशक मंडल पूंजी पर रिर्टन के साथ–साथ शेयरधारकों को दिए जाने वाले लाभांश के स्तर पर भी नजर रखते हैं। कंपनी अपनी पूंजी संरचना को बनाए रखने या आवश्यक होने पर उसे समायोजित करने के लिए उचित कदम उठा सकती है।

32.2 वित्तीय साधनों की श्रेणियां और उचित मूल्य

अ) वित्तीय साधनों की श्रेणियों के अनुसार वहन राशि और उचित मूल्य इस प्रकार हैं :

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
	वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां	**22,249.95**	**22,249.95**	**16,593.50**	**16,593.50**
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :				
गैर वर्तमान				
व्यापार प्राप्तियां	116.17	116.17	102.92	102.92
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	56.53	56.53	78.76	78.76
वर्तमान				
व्यापार प्राप्तियां	17,048.04	17,048.04	15,180.16	15,180.16
नकद और नकद समतुल्य	4,846.89	4,846.89	1,118.02	1,118.02
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	182.32	182.32	113.64	113.64
वित्तीय दायित्व				
परिशोधन लागत पर धारित वित्तीय दायित्व :	**19,018.96**	**19,018.96**	**14,797.38**	**14,797.38**
गैर वर्तमान				
व्यापार देय	16.60	16.60	48.52	48.52
उधार	-	-	-	-
वर्तमान				
व्यापार देय	18,548.75	18,548.75	14,375.89	14,375.89
अन्य वित्तीय दायित्व	453.61	453.61	372.97	372.97

कंपनी ने नकद और नकद समतुल्य, वर्तमान व्यापार प्राप्तियां, वर्तमान व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों / दायित्वों जैसे वित्तीय साधनों का खुलासा वहन मूल्य पर किया है, क्योंकि उनकी वहन राशि उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उचित मूल्यों का एक उचित अनुमान है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

ब) उचित मूल्य अनुक्रम

नकद और नकद समतुल्य को छोड़कर, वर्तमान व्यापार प्राप्ति, वर्तमान व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां / दायित्व, जिनका वहन मूल्य पर खुलासा किया गया है, अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों / दायित्वों का उचित मूल्यांकन 3 स्तर का उपयोग करके किया जाता है।

उपरोक्त स्तर 3 श्रेणियों में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय दायित्वों के उचित मूल्यों का निर्धारण रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण के आधार पर आम तौर पर स्वीकृत मूल्य निर्धारण मॉडल के अनुसार किया गया है।

32.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य

कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों जैसे तरलता जोखिम, बाज़ार जोखिम और ऋण जोखिम, से जुड़ी हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के पास कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे को स्थापित करने और उसके संचालन करने की समग्र जिम्मेदारी है। व्यावसायिक विस्तार और हितों से उत्पन्न होने वाले नए और उभरते जोखिमों के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे को निरंतर अद्यतन किया जाता है। कंपनी का जोखिम प्रबंधन ढांचा प्रमुख व्यावसायिक उद्देश्यों से जुड़े विभिन्न जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और न्यूनीकरण से संबंधित प्रथाओं को समाहित करता है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन पद्धतियां कंपनी के दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बनाए रखने और बढ़ाने का प्रयास करती हैं। कंपनी के मूल मूल्य और नैतिकता उसके जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के लिए आधार प्रदान करते हैं। यह प्रणाली व्यवसाय का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें जोखिमों की पहचान एक संरचित तरीके से की जाती है।

जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य निम्नलिखित के लिए समय पर और विवेकपूर्ण निर्णय सुनिश्चित करना है :

– अवसरों के सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम करना

– जोखिमों के नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करना

– जोखिमों को अवसरों में बदलना

अ) बाजार जोखिम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियां उसे मुख्यतः विदेशी मुद्रा विनिमय दरों (नीचे नोट **ए (i)** देखें) और ब्याज दरों (नीचे नोट **ए (ii)** देखें) में परिवर्तन के वित्तीय जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।

कंपनी के बाजार जोखिमों के प्रति जोखिम या इन जोखिमों के प्रबंधन और मापन के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया है।

अ)(i) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी इस जोखिम के अधीन है कि विदेशी मुद्रा मूल्यों में परिवर्तन कंपनी के निर्यात राजस्व और कच्चे माल, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के आयात को प्रभावित कर सकते हैं।

कंपनी अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी विभिन्न मुद्रा जोखिमों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम के अधीन है।

31 मार्च, 2025 तक, कंपनी के वित्तीय दायित्वों (व्यापार देय) पर विदेशी मुद्रा जोखिम 18 लाख रुपये (31 मार्च, 2024: 58 लाख रुपये) और वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार प्राप्य) पर 258 लाख रुपये (31 मार्च, 2024: शून्य) था।

<u>अ)(i)(अ) विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण</u>

कंपनी जिन प्रमुख मुद्राओं के संपर्क में है, उनके मुकाबले भारतीय रुपये में 5% की मजबूती से लाभ–हानि विवरण में लगभग 16.35 लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ होता (2023–24: 327 लाख रुपये का लाभ)। इन मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये में 5% की कमजोरो से समान लेकिन विपरीत प्रभाव पड़ता।

अ)(ii)ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कैश क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट का कोई बकाया क्रेडिट शेष नहीं है। इस प्रकार, कंपनी को ब्याज दरों में परिवर्तन का कोई जोखिम नहीं है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

ब) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जिसमें प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में चूक करेगा, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होगा। कंपनी ने केवल क्रेडिट योग्य प्रतिपक्षों के साथ ही लेन–देन करने की नीति अपनाई है। कंपनी ज्यादातर सरकारी संस्थाओं के साथ लेन–देन करती है, जिससे संविदात्मक दायित्वों में चूक का जोखिम कम होता है। कंपनी के जोखिम की निरंतर निगरानी की जाती है।

प्रत्येक ग्राहक के लिए क्रेडिट सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, जिन्हें विपणन विभाग प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ग्राहकों से ऑर्डर स्वीकार करने से पहले इन सीमाओं की जांच की जाती है। इसके अलावा, क्रेडिट सीमाओ की समय–समय पर समीक्षा की व्यवस्था भी है।

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 तक कंपनी का क्रेडिट जोखिम के प्रति अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग का वहन मूल्य है।

कंपनी अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल के सरलीकृत दृष्टिकोण के आधार पर व्यापार प्राप्तियों पर प्रावधान कर रही है।

कंपनी ने संदिग्ध ऋणों के लिए 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष तक के बकाया के लिए @ 10%, 4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक के बकाया के लिए @ 20% और 5 वर्षों से अधिक के बकाया के लिए @ 30% से प्रावधान किया है, जिससे कुल 327.92 लाख रुपये की राशि बनती है। उपरोक्त सिद्धांत विवेकशीलता की धारणा पर आधारित है; पिछले रुझानों के अनुसार देनदारों की वसूली में निरंतरता, जहां वसूली में देरी हुई है, लेकिन देनदारी हमेशा अच्छी रही है।

विवरण	2024-25	2023-24
प्रारंभिक शेष	**2,529.74**	**2,428.81**
हानि स्वीकार्यता में परिवर्तनः		
अतिरिक्त प्रावधान	319.63	100.93
अंतिम शेष	**2,849.37**	**2,529.74**

स) तरलता जोखिम प्रबंधन

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसका सामना कंपनी को अपनी वित्तीय दायित्वों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में करना पड़ेगा। तरलता प्रबंधन में कंपनी का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि उसके पास अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि हो, बिना किसी अस्वीकार्य हानि के। ऐसा करते समय, प्रबंधन सामान्य और तनावपूर्ण दोनों स्थितियों पर विचार करता है। प्रबंधन नियमित रूप से अनुमानों की तुलना में नकद और नकद समतुल्यों की स्थिति और अनुमानों की निगरानी करता है। तरलता स्थिति की समीक्षा करते समय ऋण वित्तपोषण योजनाओं और तुलन पत्र तरलता अनुपात के रखरखाव सहित वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय दायित्वों की परिपक्वता प्रोफाइल का आकलन किया जाता है।

परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह, दैनिक आधार पर वित्तीय देनदारियों को चुकाने के लिए धन उपलब्ध कराता है।

कंपनी पर्याप्त नकदी बनाए रखकर और बैंक खातों में फंड आधारित सीमा के माध्यम से वित्तपोषण प्राप्त करके तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है।

निम्नलिखित तालिका तुलन पत्र की तिथि पर कंपनी के वित्तीय दायित्वों के अनुमानित प्रवाह और उसके वहन मूल्य के आधार पर परिपक्वता विश्लेषण दर्शाती है।

विवरण	वहन मूल्य	1 वर्ष के अंदर देय	1–2 वर्ष	2 वर्ष से ज्यादा	कुल
31 मार्च, 2025 को					
व्यापार देय*	18,565.35	7,323.19	921.47	10,320.69	18,565.35
अन्य वित्तीय दायित्व	453.61	453.61	-	-	453.61
कुल	**19,018.96**	**7,776.80**	**921.47**	**10,320.69**	**19,018.96**
31 मार्च, 2024 को					
व्यापार देय*	14,424.41	3,984.94	372.06	10,067.41	14,424,41
अन्य वित्तीय दायित्व	372.97	372.97	-	-	372.97
कुल	**14,797.38**	**4,357.91**	**372.06**	**10,067.41**	**14,797.38**

* व्यापार देय में 31 मार्च, 2025 तक 10661.54 लाख रुपये (31 मार्च 2024 तक 9593.19 लाख रुपये) शामिल हैं, जो ग्राहक से भुगतान प्राप्त होने पर ही ठेकेदार को देय होगा।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

33. संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

(अ) संबंधित पक्षों का नाम और रिश्ते का विवरण :

31 मार्च, 2025 तक

संबंध की प्रकृति	इकाई का नाम	इस्तेमाल किया संक्षेप नाम
नियंत्रण	भारत सरकार	GOI
महत्वपूर्ण प्रभाव	रीको	RIICO
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	श्री पी. एन. शर्मा	MD
	श्री सुभाष अग्रवाल	CFO
	श्री अमित कुमार जैन	CS

31 मार्च, 2024 तक

संबंध की प्रकृति	इकाई का नाम	इस्तेमाल किया संक्षेप नाम
नियंत्रण	भारत सरकार	GOI
महत्वपूर्ण प्रभाव	रीको	RIICO
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	श्री राकेश चौपड़ा	MD
	श्री सुभाष अग्रवाल	CFO
	श्री अमित कुमार जैन	CS

33 (बी). उपरोक्त संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन/शेष (नोट 33 (ए) में ऊपर उल्लेखित)

31 मार्च, 2025 तक

विवरण	भारत सरकार	रीको	एमडी	सीएफओ	सीएस	कुल
शेष						
व्यापार प्राप्तियां	1,284.85	984.30	-	-	-	**2,269.15**
प्रतिभूति जमा	-	0.40	-	-	-	**0.40**
व्यापार देय	-	-	-	-	-	**-**
प्राप्त अग्रिम	-	-	-	-	-	**-**
लेनदेन						
ड्रोन परियोजना के तहत सेवाओं की बिक्री	-	576.85	-	-	-	**576.85**
पारिश्रमिक	-	-	74.43	47.58	18.28	**140.29**
अ) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	-	-	70.58	44.21	15.90	**130.69**
ब) नौकरी के बाद के लाभ	-	-	-	-	-	**-**
स) अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-	3.85	3.37	2.38	**9.60**
द) समाप्ति लाभ	-	-	-	-	-	**-**
य) शेयर आधारित भुगतान	-	-	-	-	-	**-**
परिसंपत्तियों की बिक्री	-	-	1.85	-	-	**1.85**

31 मार्च, 2024 तक

विवरण	भारत सरकार	रीको	एमडी	सीएफओ	सीएस	कुल
शेष						
व्यापार प्राप्तियां	1,284.85	793.89	-	-	-	**2,078.74**
प्रतिभूति जमा	-	0.40	-	-	-	**0.40**
व्यापार देय	-	-	-	-	-	**-**
प्राप्त अग्रिम	-	42.39	-	-	-	**42.39**
लेनदेन						
ड्रोन परियोजना के तहत सेवाओं की बिक्री	-	1,116.62	-	-	-	**1,116.62**
पारिश्रमिक	-	-	49.77	44.26	16.95	**110.98**
अ) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	-	-	46.67	39.99	15.35	**102.01**
ब) नौकरी के बाद के लाभ	-	-	-	-	-	**-**
स) अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-	3.10	4.27	1.60	**8.97**
द) समाप्ति लाभ	-	-	-	-	-	**-**
य) शेयर आधारित भुगतान	-	-	-	-	-	**-**
परिसंपत्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-	**-**

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

34. खंड प्रतिवेदन

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

''खंड प्रतिवेदन'' पर भारतीय लेखा मानक 108 के अनुपालन में, आवश्यक जानकारी निम्नानुसार हैः

व्यवसायिक खंडः कंपनी ने निम्नलिखित व्यवसाय खंडों को अपने रिपोर्ट योग्य खंड के रूप में अपनाया है।

1. अक्षय ऊर्जा
2. इलेक्ट्रॉनिक

भारत और विदेशों में बिक्री राजस्व को अलग–अलग भौगोलिक खंडों के रूप में मानकर भौगोलिक खंड को सहायक खंड रिपोर्टिंग के लिए माना गया है।

(I) प्राथमिक - व्यवसाय खंड :

	अक्षय ऊर्जा		इलेक्ट्रॉनिक्क		कुल	
विवरण	**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**
राजस्व						
बाहरी	8,895.29	10,492.30	6,853.49	8,095.70	15,748.78	18,588.00
अंतर–खंड	-	-	-	-	-	-
खंड राजस्व	**8,895.29**	**10,492.30**	**6,853.49**	**8,095.70**	**15,748.78**	**18,588.00**
कुल राजस्व						
खंड परिणाम	**346.82**	**1,125.51**	**(1,632.73)**	**(711.76)**	**(1,285.91)**	**413.75**
ब्याज आय(+)					92.27	106.45
ब्याज व्यय(–)					30.35	83.32
कर व्यय(–/+)					328.56	120.74
शुद्ध लाभ/(हानि)					**(895.43)**	**316.14**

विवरण	**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**
खंड परिसंपत्तियां	**11,987.77**	**16,902.33**	**9,305.71**	**4,953.20**	**21,293.48**	**21,855.53**
आवंटित नहीं की गई परिसंपत्तियां					8,582.45	2,937.09
कुल परिसंपत्तियां					**29,875.93**	**24,792.62**
खंड दायित्व	**11,653.60**	**11,366.27**	**11,033.86**	**4,165.11**	**22,687.46**	**15,531.38**
आवंटित नहीं किया गया दायित्व					7,188.47	9,261.24
कुल दायित्व					**29,875.93**	**24,792.62**

विवरण	**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**
वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय	-	-	7.43	16.72	**7.43**	**16.72**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	140.59	142.06	53.96	48.98	**194.55**	**191.04**

(II) माध्यमिक - भौगोलिक खंड :

विवरण	**भारत**		**भारत के बाहर**	
	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**
राजस्व	14,111.20	12,033.12	1,637.58	6,554.88
खंड परिसंपत्तियों की वहन राशि	21,293.48	21,855.53	-	-
पूंजीगत व्यय/अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि	7.43	16.72	-	-

35. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए खातों के साथ संलग्न और उसके भाग बनाने वाले अन्य नोट

अ. आयात का सीआईएफ मूल्य

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
कच्चा माल एवं कंपोनेन्ट्स	332.27	357.26
कुल	**332.27**	**357.26**

ब. विदेशी मुद्रा में व्यय

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
रॉयल्टी	112.18	28.78
यात्रा व्यय	-	1.60
कुल	**112.18**	**30.38**

स. एफओबी मूल्य पर विदेशी मुद्रा में कमाई

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
निर्यात बिक्री	1,637.58	6,554.88
कुल	**1,637.58**	**6,554.88**

द.(i) निगमित सामाजिक दायित्व (2024-25)

– वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली सकल राशि – शून्य रुपये
– वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि;

कार्य की प्रकृति	नकद में	अभी तक नकद भुगतान नहीं किया गया	कुल
किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्य पर	-	-	-

द.(ii) निगमित सामाजिक दायित्व (2023-24)

– वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि – शून्य रुपये
– वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि;

कार्य की प्रकृति	नकद में	अभी तक नकद भुगतान नहीं किया गया	कुल
किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्य पर	-	-	-

य. अनुसंधान और विकास पर व्यय

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
राजस्व	228.46	336.09
पूंजीगत	-	-
कुल	**228.46**	**336.09**

ह. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत प्रकटीकरण

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
i) लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई मूल राशि*	2,193.76	2,214.10
ii) लेखा वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	3.92	-
iii) धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
iv) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) लेकिन अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
v) वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की राशि और लेखा वर्ष के अंत में अदा नहीं की गई	-	-
vi) आगामी वर्षों में भी देय और शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ लघु उद्यमों को उपरोक्त ब्याज देय राशि का वास्तव में भुगतान नहीं कर दिया जाता।	-	-
कुल	**2,197.68**	**2,214.10**

*इसमें मुख्य रूप से वह बकाया शामिल है जो संविदागत नियमों और शर्तों के कारण देय नहीं है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए देय का निर्धारण इस सीमा तक किया गया है कि ऐसे पक्षों की पहचान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उनकी स्थिति के संबंध में ''आपूर्तिकर्ताओं'' से प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

ल. खातों में निम्नलिखित के लिए प्रावधान/समायोजन नहीं किया गया है :

(अ) लंबित अप्रत्यक्ष करों और आयकर निर्धारण के संबंध में अतिरिक्त दायित्व, यदि कोई हों, जिनका पता नहीं लगाया जा सका है और वे दायित्व जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेमेल होने के कारण भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं।

(ब) न्यायालय में निपटान के लिए लंबित दावे, जिनका पता नहीं लगाया जा सका है।

र. तकनीकी साहित्य, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टोर, रखरखाव, मुद्रण एवं स्टेशनरी तथा उपभोज्य सामग्रियों पर व्यय को क्रय वर्ष में उपभोग मानते हुए लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है।

व. बिक्री में उन स्पेयर्स की बिक्री शामिल नहीं है जिनके लिए वित्तीय वर्ष की समापन के बाद फील्ड से सर्विस जॉब रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

श. जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों को पुनःसमूहीकृत किया गया है।

36 एमसीए अधिसूचना दिनांक 24/03/2021 के संदर्भ में अतिरिक्त नियामक जानकारी :

36.1 <u>कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत</u>

ऐसा कोई मामला नहीं है जहां कंपनी के पास अपने नाम पर अचल संपत्ति न हो, इसलिए किसी खुलासे की आवश्यकता नहीं है।

36.2 <u>निवेश संपत्ति के उचित मूल्य के संबंध में खुलासा</u>

कंपनी के खाते में कोई निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए किसी खुलासे की आवश्यकता नहीं है।

36.3 <u>संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पुनर्मूल्यांकन के मामले में खुलासा</u>

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए किसी खुलासे की आवश्यकता नहीं है।

36.4 <u>अमूर्त परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में खुलासा</u>

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी अमूर्त परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए किसी खुलासे की आवश्यकता नहीं है।

36.5 <u>प्रमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (केएमपी) और संबंधित पार्टियों को ऋण और अग्रिम के संबंध में खुलासा</u>

कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दी है जो डिमांड पर या बिना किसी शर्त या पुनर्भुगतान अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाई जा सके।

36.6 <u>पूंजीगत कार्य प्रगति में के संबंध में खुलासा</u>

तुलन पत्र की तिथि तक कोई पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है।

36.7 <u>विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के संबंध में खुलासा</u>

कंपनी के पास विकासाधीन कोई अमूर्त परिसंपत्ति नहीं है।

36.8 <u>बेनामी संपत्ति के संबंध में खुलासा</u>

''बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।''

36.9 <u>वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से उधार के संबंध में खुलासा</u>

कंपनी पंजाब नेशनल बैंक से फंड/गैर–फंड आधारित सीमाएं प्राप्त कर रही है, जो कच्चे माल, प्रक्रियाधीन स्टॉक, तैयार माल और बही ऋणों के बंधक द्वारा सुरक्षित हैं। भिन्नताएं भौतिक नहीं हैं, इसलिए कारण नहीं बताए गए हैं।

तिमाही	प्रदान की गई प्रतिभूतियां	खातों के अनुसार राशि	त्रैमासिक विवरण में बताई गई राशि	अंतर की राशि (तिमाही विवरण में बताई गई)
I	इन्वेंटरी एवं बुक ऋण			
(30 जून)	– इन्वेंटरी	1778.05	1778.00	0.05
	– बुक ऋण	11266.30	11266.00	0.30
II	इन्वेंटरी एवं बुक ऋण			
(30 सितंबर)	– इन्वेंटरी	1644.50	1644.00	0.50
	– बुक ऋण	12333.62	12333.00	0.62
III	इन्वेंटरी एवं बुक ऋण			
(31 दिसंबर)	– इन्वेंटरी	1561.98	1562.00	-0.02
	– बुक ऋण	13152.46	13152.00	0.46
IV	इन्वेंटरी एवं बुक ऋण			
(31 मार्च)	– इन्वेंटरी	1838.60	1838.60	0.00
	– बुक ऋण	14535.14	14535.00	0.14

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

36.10 इरादतन डिफॉल्टर के संबंध में खुलासा

वर्ष के दौरान कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा इरादतन डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

36.11 हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध–सामान्य खुलासा

कंपनी का अधिनियम की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेन–देन नहीं है।

36.12 आर.ओ.सी. के साथ शुल्क या संतुष्टि के पंजीकरण में देरी के संबंध में खुलासा

आर.ओ.सी. के साथ वैधानिक अवधि के बाद कोई शुल्क या संतुष्टि पंजीकृत नहीं की जानी है।

36.13 विभिन्न कंपनियों के अनुपालन संबंधी खुलासा

यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता।

36.14 अनुपात का खुलासा

क्र.सं.	विवरण	अंश–गणक	विभाजक	31/03/2025	31/03/2024	परिवर्तन	विवरण
(अ)	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देनदारियां	1.04	1.12	-7.14%	लागू नहीं
(ब)	देनदार–इक्विटी अनुपात	दीर्घकालिक देनदार	शेयरधारक का फंड + दीर्घकालिक देनदार	-	-	-	लागू नहीं
(स)	देनदार सेवा कवरेज अनुपात	ईबीडीआईटीए	ब्याज+मूलधन ब्याज का अर्थ केवल सावधि ऋण ब्याज है न कि डब्ल्यूसी ब्याज	-	-	-	लागू नहीं
(द)	इक्विटी रिटर्न पर अनुपात	कर पश्चात शुद्ध आय	शेयरधारकों की इक्विटी	-15.82%	4.82%	-428.22%	वर्ष के दौरान हुई हानि
(य)	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बिक्री की लागत	औसत स्टॉक	4.90	5.16	-5.03%	लागू नहीं
(ह)	व्यापार प्राप्त टर्नओवर अनुपात	उधार बिक्री	प्राप्त खाते	0.92	1.22	-24.59%	लागू नहीं
(र)	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	क्रेडिट खरीद	देय खाते	0.47	0.70	-32.86%	संविदात्मक शर्तों के अनुसार देय
(ल)	शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	परिचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी	15.53	8.59	80.79%	कारोबार में कमी के कारण
(श)	शुद्ध लाभ अनुपात	कर पश्चात शुद्ध लाभ	परिचालन में राजस्व	-5.69%	1.70%	-434.71%	वर्ष के दौरान हुई हानि
(ष)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज, कर और पूर्व अवधि मद से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी	-21.10%	7.93%	-366.08%	
(क्ष)	निवेश पर प्रतिफल	ब्याज, कर और अधिमान्य लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिज़र्व	-15.83%	4.82%	428.42%	

36.15 व्यवस्था की अनुमोदित योजना के अनुपालन के संबंध में खुलासा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार कोई व्यवस्था योजना स्वीकृत नहीं है।

36.16 उधार ली गई धनराशि के उपयोग और शेयर प्रीमियम के संबंध में खुलासा

कंपनी ने न तो मध्यस्थों को कोई फंड अग्रिम दिया है और न ही इस समझ के साथ कोई फंड प्राप्त किया है कि मध्यस्थ या कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनीधवित्त पोषण एजेंसी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या इसके लिए कोई गारंटी प्रदान करेगी।

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट्स देखें (1–36)

हमारी समसंख्यक तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार।
कृते जी. के. मित्तल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN 005842C
हस्ताक्षरित
(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)
साझेदार
सदस्यता संख्या 079348
स्थान : जयपुर
दिनांक : 18.07.2025
यूडीआईएन : 25079348BMOU2Y2665

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरित
(दिनेश कुमार पहाड़िया)
निदेशक
डीआईएन : 08925960

हस्ताक्षरित
(बृजेश दीक्षित)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 11086971

हस्ताक्षरित
(अमित कुमार जैन)
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
(सुभाष अग्रवाल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

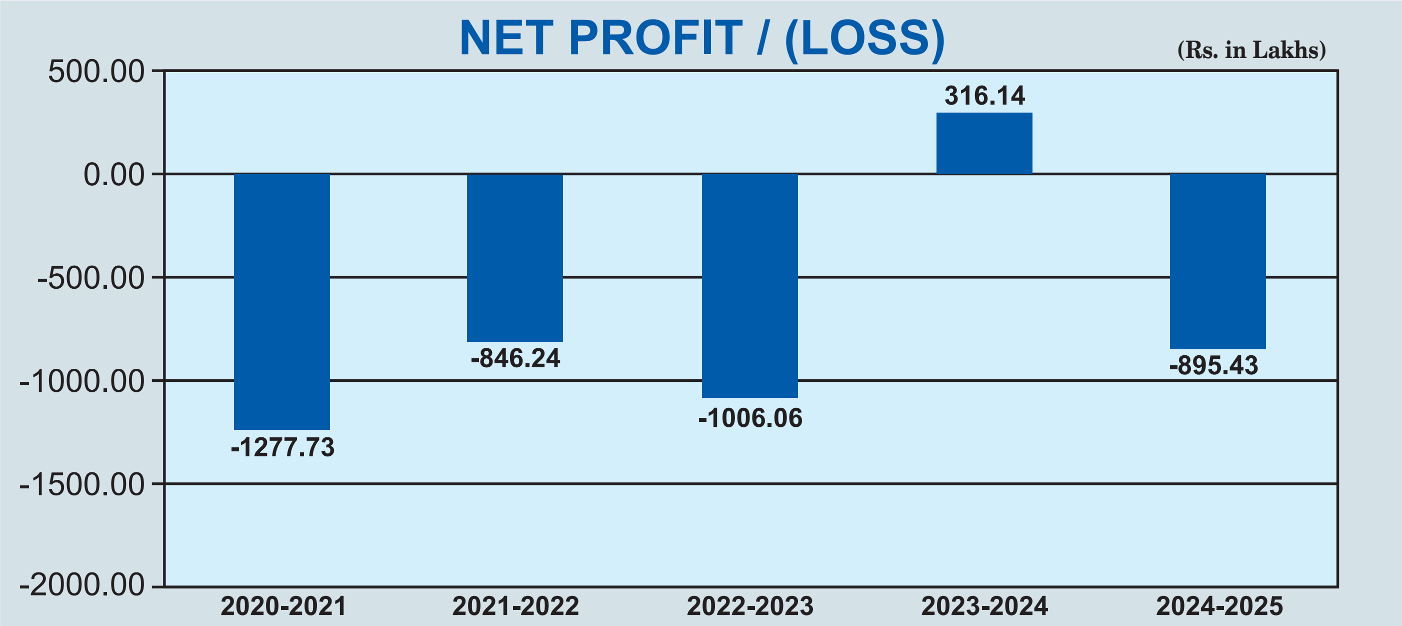
NET PROFIT / (LOSS)
(Rs. in Lakhs)
500.00
0.00
-500.00
-1000.00
-1500.00
-2000.00
316.14
-1277.73
-846.24
-1006.06
-895.43
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025

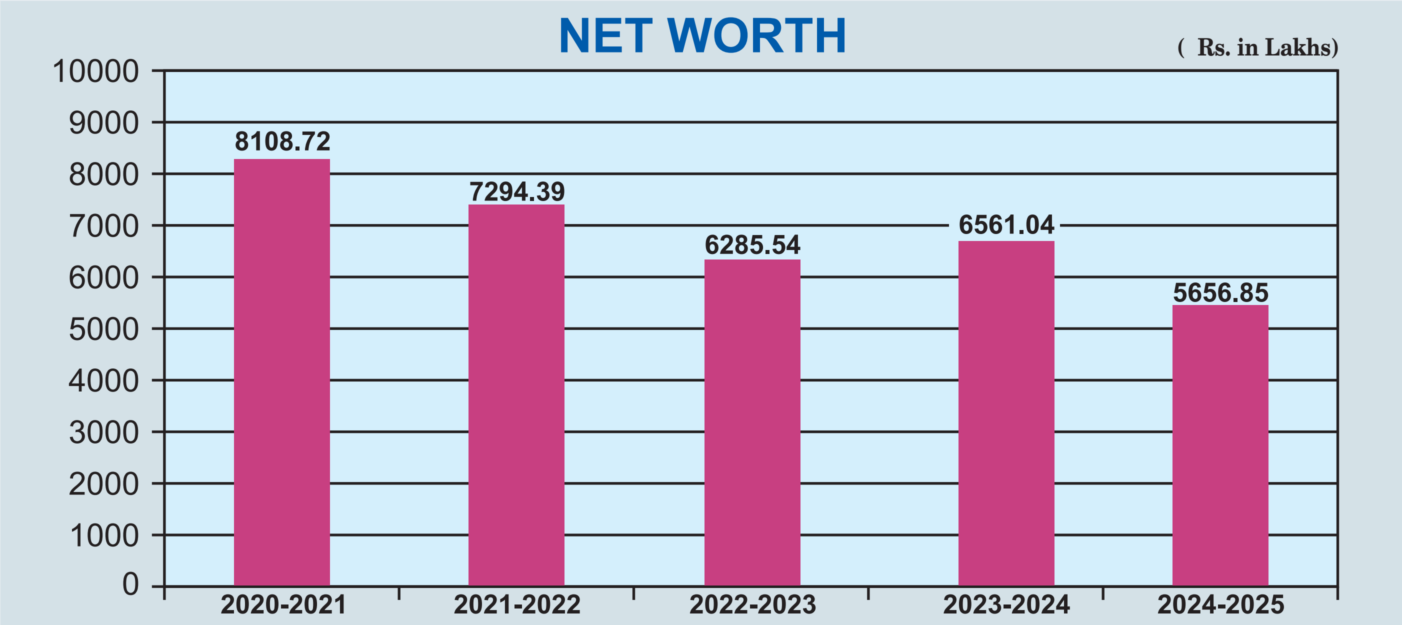
NET WORTH
(Rs. in Lakhs)
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
8108.72
7294.39
6285.54
6561.04
5656.85
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025

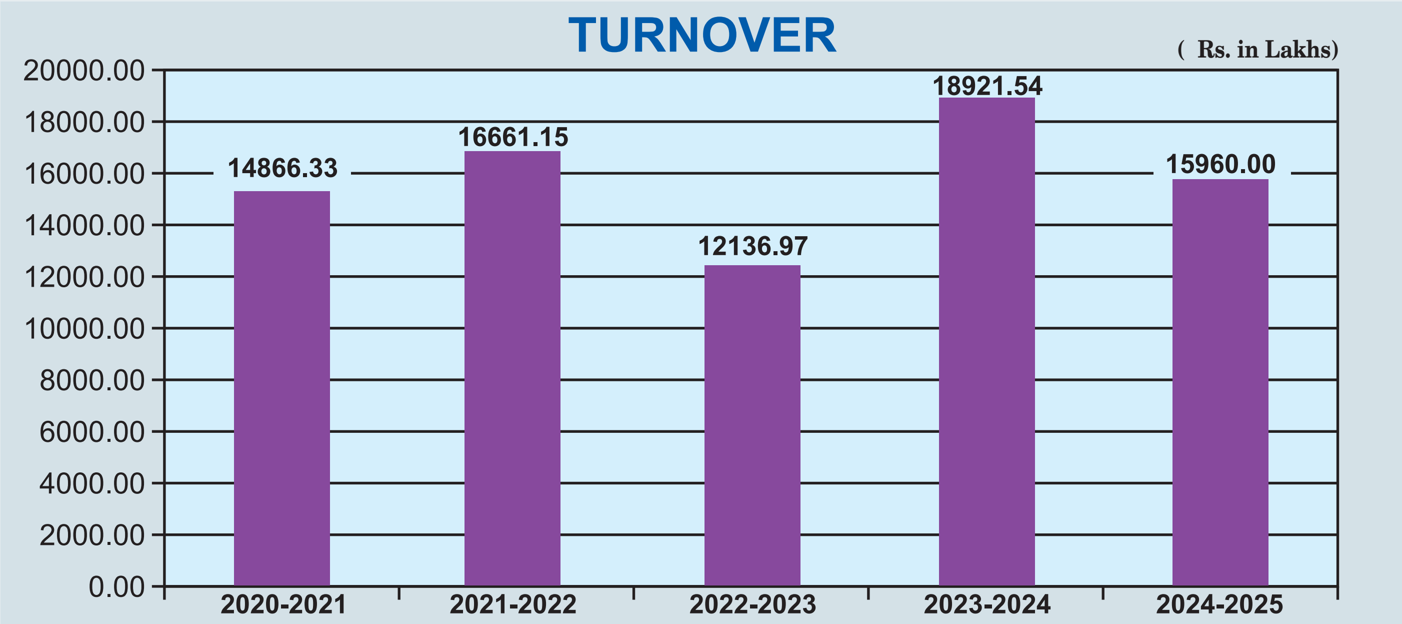
TURNOVER
(Rs. in Lakhs)
20000.00
18000.00
16000.00
14000.00
12000.00
10000.00
8000.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
14866.33
16661.15
12136.97
18921.54
15960.00
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025

Registered Office & Works

Rajasthan Electronics and Instruments Ltd.
2, Kanakpura Industrial Area, Sirsi Road,
Jaipur-302034 (Rajasthan) India

Tel : 91-141-2470363, 2470062
E-Mail : reiljp@reiljp.com
CIN : U51395RJ1981GOI002249

Corporate Office

Rajasthan Electronics and Instruments Ltd.
REIL House, Shipra Path, Mansarovar,
Jaipur - 302020 (Rajasthan) India

Tel : 91-141-2888400, 2940103
E-Mail : mdo@reiljp.com

Laxmi Printers # 9829125258

Regional Offices :

Jaipur | Anand | Bhopal | Chandigarh | Patna | Lucknow | Bangalore